

3

प्रतिबन्धित
RESTRICTED

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
तृतीय रिपोर्ट

THIRD REPORT OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993

2000



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अभिलेखागार
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
नई दिल्ली
NEW DELHI
2002

अभिलेख महानिदेशक
की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में

तृतीय रिपोर्ट

2000



भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली
2002

विषय वस्तु

	पृष्ठ
1 प्रस्तावना	1
2 आंकड़ों का विश्लेषण : सामान्य सूचना	2
3 विभागीय अभिलेख कक्ष	3
4 विभागीय अभिलेख अधिकारी	6
5 स्थान की भागीदारी	10
6 अर्धप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा विनष्टीकरण <i>See - current</i>	12
7 अभिलेखों का सूचीकरण	17
8 अभिलेख - प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	21
9 वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण	25
10 निष्क्रिय आयोग / समितियाँ	30
11 अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई	33
12 संगठनात्मक इतिहास	36
13 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	40
14 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	41
15 संदर्भ माध्यम	42
16 अवाप्ति/अधिग्रहण	43

17	अभिलेख प्रतिधारण सूची की जाँच	45
18	परामर्श कार्य	46
19	प्रशिक्षण	47
20	अभिलेखीय जागरूकता	50
21	प्राथमिकताएँ	53

अनुबंध - I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों की सूची	55
---	----

अनुबंध - II

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची	63
--	----

अनुबंध - III

अर्धप्रचलित अभिलेख के अभिलेखीकरण, समीक्षा तथा सूचीकरण की प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची	66
---	----

अनुबंध - IV

वर्गीकृत अभिलेखों के अव श्रेणीकरण पर अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची	75
--	----

अनुबंध - V

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2000 में आयोजित पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची	83
---	----

प्रस्तावना

1.1 लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 8(2) के विहितार्थ के अनुसार अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय), अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अनुच्छेद (क) से (ड.) के अनुपालन में अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर प्रतिवर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, परिपत्र संख्या 16/12/2001-आर एम दिनांक 9 अप्रैल 2001 के तहत 1918 अभिलेख सर्जक अभिकरणों अर्थात् भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि से वर्ष 2000 के दौरान उपर्युक्त अनुच्छेदों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना लोक अभिलेख नियम, 1997 के फार्म - 5 में भर कर भेजने का अनुरोध किया गया ताकि अभिलेख महानिदेशक उसका संकलन कर लोक अभिलेख अधिनियम की कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर सकें।

1.2 प्रस्तुत रिपोर्ट अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर उनके द्वारा वर्ष 2000 के दौरान की गई कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित की गई है:-

- (i) व्यवस्थित विभाग अभिलेख कक्ष की स्थापना; अभिलेख अधिकारी का नामांकन;
- (ii) अभिलेख अधिकारी एवं स्टाफ का प्रशिक्षण
- (iii) अर्धप्रचलित अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी, अर्धप्रचलित अभिलेखों का समय-समय पर अभिलेखीकरण, पुनरीक्षण एवं विनष्टीकरण,
- (iv) अर्धप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन
- (v) अभिलेखों की प्रतिधारण समय सूची का संकलन / पुनरावलोकन, वर्गीकृत अभिलेखों का समय-समय पर पुनरीक्षण,
- (vi) अभिलेखों के वार्षिक अनुक्रम का संकलन, संगठनात्मक इतिहास का संकलन तथा
- (vii) निष्क्रिय हो चुके निकाय आदि के अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण

1.3 उपर्युक्त बिन्दुओं के बारे में विस्तृत सूचना रिपोर्ट के अगले अध्यायों में प्रस्तुत की गई है।

आंकड़ों का विश्लेषण

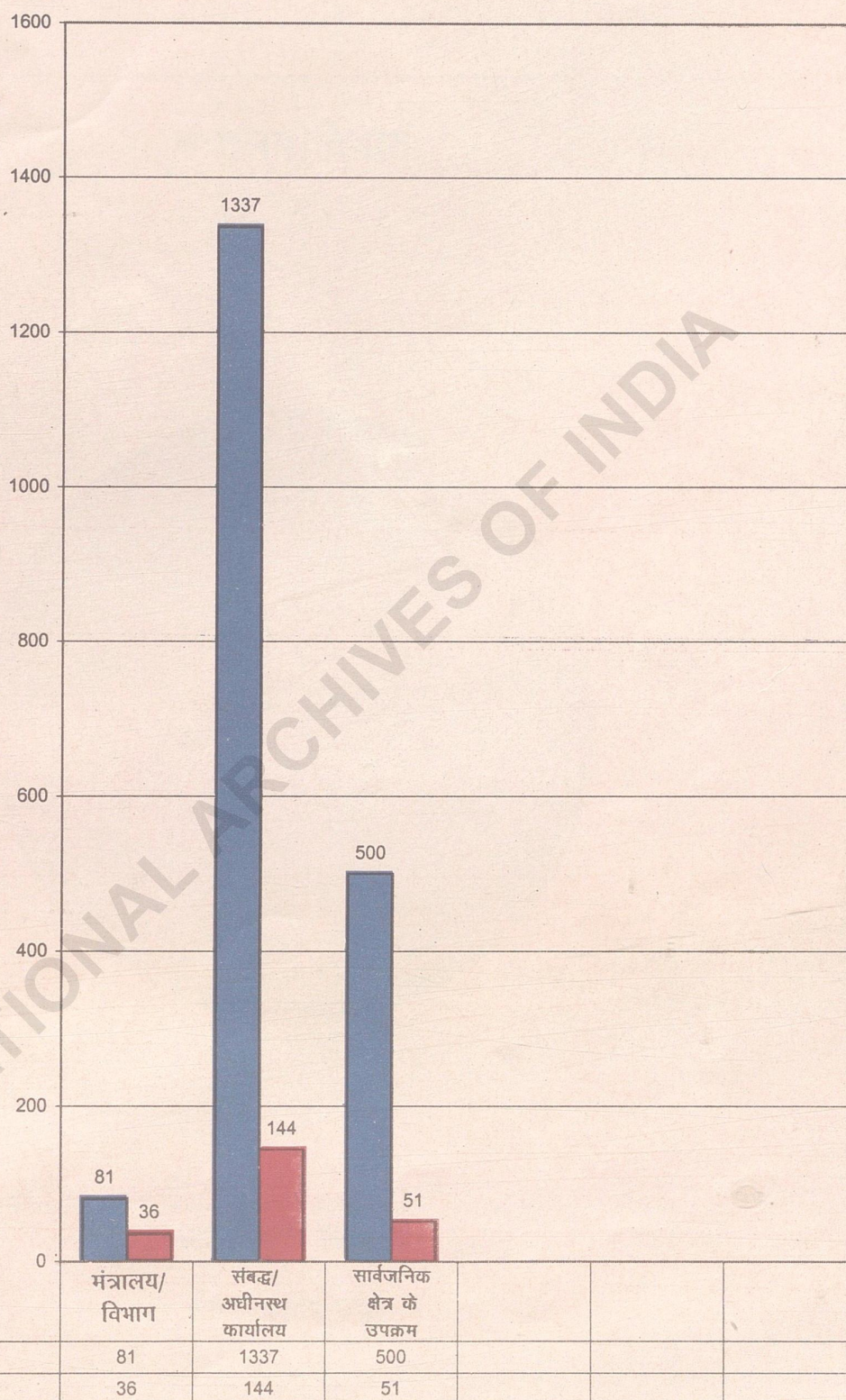
सामान्य सूचना

वर्ष 2000 के लिए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार के 1918 मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि से सूचना मांगी गई थी। लेकिन सिर्फ 231 संगठनों से ही सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 9 अप्रैल 2001 को जारी परिपत्र संख्या 16-12/2001-आर०एम० के प्रत्युत्तर में प्राप्त सूचना को नीचे की तालिका में दर्शाया गया है :-

अभिलेख सर्जक अभिकरण	संगठनों की कुल संख्या	कुल प्राप्त उत्तर
मंत्रालय / विभाग	81	36
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1337	144
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि	500	51
कुल	1918	231

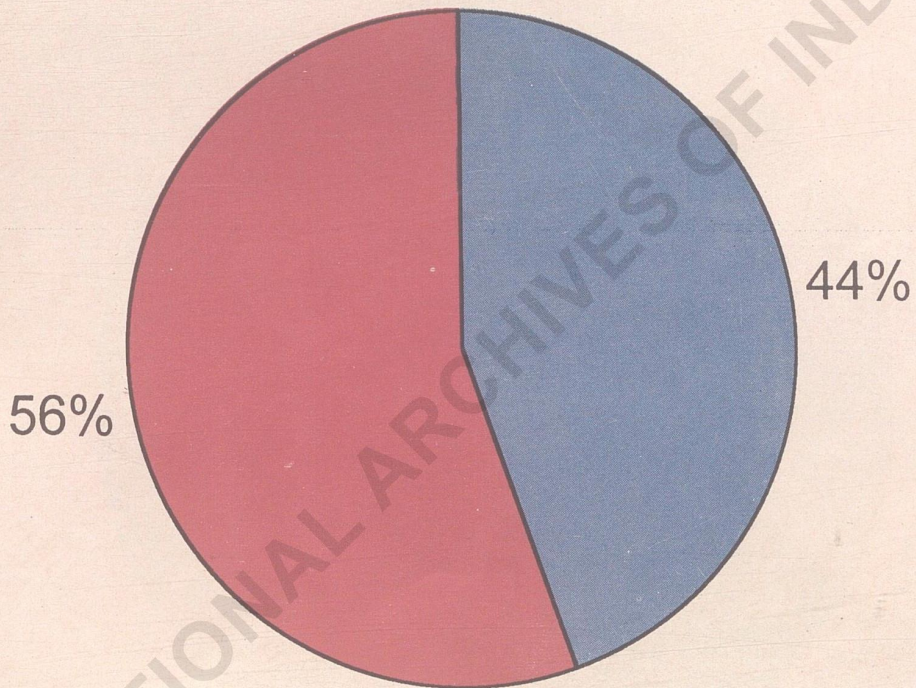
2.1 उपर्युक्त विश्लेषणात्मक तालिका से यह स्पष्ट है कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों के प्रत्युत्तर में इस वर्ष मेरे पूर्व के प्रतिवेदन की स्थिति से किंचित सुधार हुआ है क्योंकि परिपत्र के उत्तर में 1999 की तुलना में पिछली बार के 19 की जगह 36 मंत्रालयों / विभागों ने तथा पिछली बार के 89 कार्यालयों की तुलना में इस बार 144 सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों ने तथा पिछली बार के 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में इस बार 51 उपक्रमों ने प्रत्युत्तर दिया है। लेकिन इसे किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रत्युत्तर महज 12.04 % रहा है। यानी 87.6 प्रतिशत ने बिल्कुल ही जवाब नहीं दिया। इसे ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करना चाहिए तथा उन्हें इस पक्ष पर लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के मुताबिक अपनी गतिविधियों को पुनर्योजित करना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार को इस संबंध में सूचनाएँ समय से प्रेषित करनी चाहिए।

2.2 उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है, की सूची को अनुबंध - I पर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची को अनुबंध - II पर रखा गया है।



■ संगठनों की कुल संख्या ■ प्राप्त कुल प्रत्युत्तर

मंत्रालय/विभाग

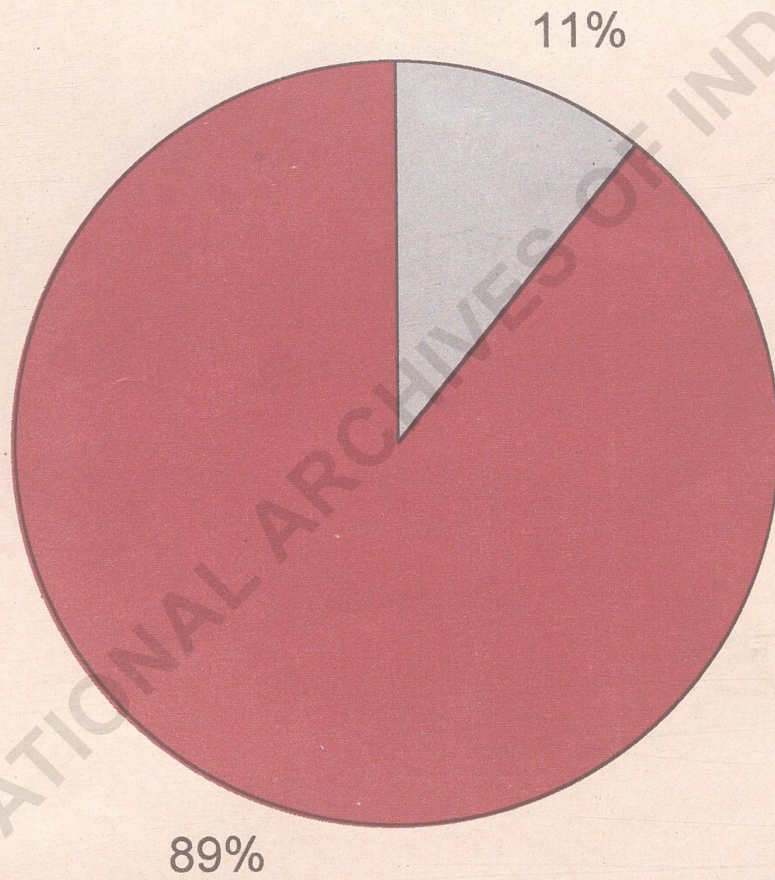


प्राप्त कुल प्रत्युत्तर



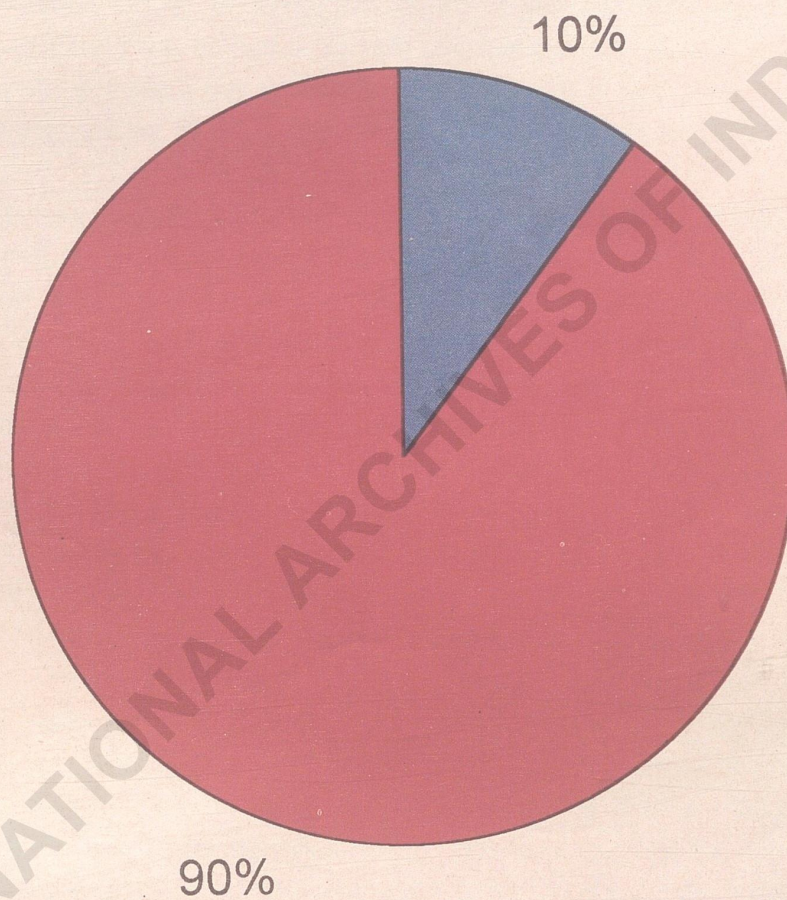
उत्तर प्राप्त नहीं

संबद्ध/अधीनस्थ
कार्यालय



	प्राप्त कुल प्रत्युत्तर
	उत्तर प्राप्त नहीं

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम



प्राप्त कुल प्रत्युत्तर

उत्तर प्राप्त नहीं

विभागीय अभिलेख कक्ष

3.1 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अपने अर्धप्रचलित अभिलेखों के उचित भंडारण के लिए अभिलेख कक्ष की स्थापना करनी चाहिए। विभागीय अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित होना चाहिए तथा उसे एक अभिलेख अधिकारी की देख रेख में कार्य करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य शाश्वत मूल्य के अभिलेखों को वैज्ञानिक रूप से परिरक्षित करना है तथा उनके पुनरीक्षण, सूचीकरण तथा वैसे अभिलेख जिनके रक्षण की आवश्यकता नहीं है, के विनष्टीकरण के बारे में समय पर कदम उठाना है। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख सर्जक अभिकरणों का ध्यान अभिलेख कक्ष स्थापित करने की ओर बार-बार आकृष्ट करता रहा है। तथापि इस बारे में प्राप्त उत्तरों को देखने से पता चलता है कि अभिलेख प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

3.2 कुल मिलाकर 210 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की। इनमें से 159 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय हैं तथा 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इस बारे में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है -- 94 मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों ने सूचना प्रेषित की है कि उनके पास सुसंगठित विभागीय अभिलेख कक्ष हैं। ये हैं -- राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्रालय, नागर विमानन, कोयला, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, विद्युत, रेलवे, जहाजरानी, इस्पात, वस्त्र, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन तथा जल संसाधन, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग, कार्मिक तथा प्रशिक्षण, रसायन एवं पेट्रोरसायन, आर्थिक कार्य, व्यय, खाद्य एवं जन वितरण, भारी उद्योग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति, डाक, राजस्व, आपूर्ति तथा महिला एवं बाल विकास, वायु सेना मुख्यालय, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आपूर्ति एवं निपटान, चिकित्सा सेवा (वायु), प्रबंधन सेवा मुख्यालय, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा नगर एवं ग्राम योजना संगठन, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय मत्स्य संस्थान, नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी इकाई, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र और केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई में, आयकर आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय एटलस व थिमैटिक मानचित्रण संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, पटसन आयुक्त कार्यालय तथा पत्तन स्वास्थ्य संगठन, सभी कोलकाता में, आणविक ऊर्जा विभाग, कपास विकास निदेशालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र और अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुम्बई में, सरकारी परिसमापक कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गारलादिन्ने (जिला - अनन्तपुर), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद, अन्तरिक्ष विभाग, शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग), राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान तथा उपमुख्य श्रम कल्याण आयुक्त कार्यालय, सभी बंगलोर में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, काजू व कोका विकास

निदेशालय तथा सुपारी व मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मरमागोवा, न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लेक्स तथा शिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय, दोनों हैदराबाद में, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर, नमक आयुक्त कार्यालय, तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण विकास केन्द्र, दोनों जयपुर में, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर, डाक प्रशिक्षण केन्द्र तथा महा पोस्टमास्टर कार्यालय, दक्षिण क्षेत्र, दोनों मदुरै में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, राष्ट्रीय भाषा संस्थान, मैसूर, इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय गोवा, दमन एवं दीव, पणजी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर, हैदराबाद, नागपुर, वडोदरा, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, राँची और विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम।

3.3 निम्नलिखित 17 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके अभिलेख-कक्ष पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं हैं -- युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, आई जी आई विमान पत्तन एवं मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सभी नई दिल्ली में, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई एवं विशाखापट्टनम, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, चेन्नई, पटसन विकास निदेशालय तथा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, दोनों कोलकाता में, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई, आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील), आयकर आयुक्त कार्यालय, दोनों अहमदाबाद में, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, बंगलोर, केन्द्रीय मत्स्य, नॉटिकल एवं अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर तथा कल्याण आयुक्त कार्यालय, श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद।

3.4 निम्नलिखित 8 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके पास अलग से विभागीय अभिलेख-कक्ष नहीं हैं --संसदीय कार्य मंत्रालय तथा शिक्षा निदेशालय(वायुसेना मुख्यालय) दोनों नई दिल्ली में, अ0 जा0/ अ0 ज0 जा0 अनुशिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता तथा सूरत, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुम्बई तथा पोर्ट ब्लेयर, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलोर, तथा मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर।

3.5 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने सूचित किया कि वे अलग से अभिलेख कक्ष की आवश्यकता नहीं समझते --कंप्यूटर केन्द्र (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), नई दिल्ली, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, इलाहाबाद तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर,

3.6 निम्नलिखित 37 कार्यालयों ने 'शून्य' तथा अस्पष्ट उत्तर दिया -- सशस्त्र सेना फिल्म व फोटो प्रभाग, तटरक्षक मुख्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली - ।, सक्षम प्राधिकरण एवं प्रशासक कार्यालय, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक्स ड्रग एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, नई दिल्ली तथा मुम्बई, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला तथा कर्मचारी चयन आयोग (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय) दोनों

कोलकाता में, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय तथा मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय दोनों मुम्बई में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ओंगोल (आ० प्र०), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद तथा शिमला, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद, सूरत, नासिक रोड, तिरुपुर तथा विशाखापट्टनम, महापोस्ट मास्टर कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, गोवा क्षेत्र, पणजी, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़, पुणे क्षेत्र, पुणे, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा, मुख्य आयुक्त आयकर कार्यालय, केरल, कोची, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय अहमदाबाद, निदर्श जीवनाधार तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई नागपुर, अतिरिक्त महानिदेशक कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना बंगलोर, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम, अनु० जा० / अ० जा० अनुशिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, जोवाई, सहायक श्रम आयुक्त, बेल्तारी एवं फरीदाबाद, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, पोरबन्दर, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ तथा शिलांग तथा मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, कोची ।

3.7 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 28 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि उनके पास सुसंगठित अभिलेख-कक्ष हैं — मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० तथा कारगो हैंडलिंग प्रभाग, दोनों चेन्नई में, भारतीय यूरेनियम निगम लि०, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी), मुम्बई पत्तन न्यास तथा मझगाँव डॉक लि०, सभी मुम्बई में, डी० एन० ए० फिंगर प्रिन्टिंग तथा डाइग्नोस्टिक्स व अन्तर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी एवं नव्य सामग्री अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र दोनों हैदराबाद में, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि०, दोनों नागपुर में, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे, मुरमुगाँव पत्तन न्यास, गोवा तथा कोचीन, विशेष आर्थिक जोन, कोची, बहमपुर बोर्ड, गुवाहाटी, भारतीय पैट्रोसायन निगम, वडोदरा, ए आई आर (समाचार सेवा प्रभाग), महानिदेशक (ए आई आर) केन्द्रीय मॉनिटरिंग सेवा, सभी नई दिल्ली में, प्रसार भारती (ए आई आर), जयपुर, गुलबर्गा, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी तथा तूतीकोरन ।

3.8 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 4 उपक्रमों ने बताया कि उनके यहाँ कार्य प्रगति पर है — भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली, भारतीय रेयर अर्थ लि० मुम्बई, भारतीय ट्रोपिकल एवं मैटरोलॉजी, पुणे तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर (असम) ।

3.9 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ने सूचित किया कि वे अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं ।

3.10 सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी है जिसने 'शून्य' रिपोर्ट प्रेषित की । उनके नाम इस प्रकार हैं — वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, गणितीय विज्ञान, संस्थान, चेन्नई, साहा आणविक भौतिकी संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) सभी मुम्बई में, अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र, पुणे, डीजल कम्पोनेन्ट वर्क्स, पटियाला, प्रसार भारती (ए आई आर), चेन्नई, शिमला, ग्वालियर, पटना, गुना, कराइकल, जमशेदपुर, चाईबासा, कालीकट तथा तिरुअनंतपुरम ।

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) के अनुसार प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने किसी एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अभिलेख अधिकारी नामित करेंगे। लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 में यह विहित है कि अभिलेख अधिकारी को अनुभाग अधिकारी से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए तथा उस संबंध में जारी किये जाने वाले आदेश की एक प्रति अभिलेख महानिदेशक को अग्रसारित की जानी चाहिए। यह बात बताये जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि किसी संगठन में सुदृढ़ अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम है क्योंकि यह लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) में विभागीय अभिलेख अधिकारी के लिए नियत दायित्वों के निभाये जाने को सुनिश्चित करता है। विभागीय अभिलेख अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपने संगठन के अनुभागों / शाखाओं / प्रभागों को न सिर्फ निर्देशित व संयोजित करे बल्कि वह मूल प्रकार्यों के प्रतिधारण सूची के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन तथा 25 वर्ष से पुराने स्थाई प्रकृति के अभिलेखों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में अंतरण के बारे में अभिलेख महानिदेशक से संपर्क स्थापित करे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों से यह अनुरोध किया कि वे जल्दी से जल्दी एक विभागीय अभिलेख अधिकारी नियुक्त करें। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 570 संगठनों ने अपने यहाँ अधिकारियों को अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में प्राप्त उत्तर का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

4.1 कुल मिला कर 203 संगठनों ने वांछित सूचना प्रेषित की जिसमें से 153 मंत्रालय/ विभाग/ कार्यालय थे तथा 50 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। निम्नलिखित 32 मंत्रालयों /विभागों/ कार्यालयों ने यह सूचना दी है कि उनके यहाँ पूर्णकालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं— कृषि मंत्रालय, कोयला, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम, इस्पात, वस्त्र, रेलवे, जल संसाधन, तथा युवा कार्य एवं खेल, उर्वरक विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन, वाणिज्य, भारी उद्योग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, डाक, आपूर्ति, जन वितरण, महिला एवं बाल विकास, वायु सेना मुख्यालय एवं योजना निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तट रक्षक मुख्यालय, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, सभी नई दिल्ली में, पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता, विपणन एवं निरीक्षण तथा काजू एवं कोका विकास, दोनों कोचीन में, सुपारी एवं मसाला विकास, कालीकट, महापोस्टमास्टर कार्यालय, भुवनेश्वर तथा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़।

4.2 कुल मिला कर 91 मंत्रालयों/विभागों /कार्यालयों ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके यहाँ अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ विश्लेषक, सहायक वैयक्तिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, आकलन अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, अभियंता, अवर सचिव, संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी विभागीय

अभिलेख कक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं । वे इस प्रकार हैं --- कृषि मंत्रालय, नागर विमानन, कोयला, पर्यावरण एवं वन, विदेश, श्रम, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, संसदीय कार्य, विद्युत, रेलवे, जहाजरानी, इस्पात, वस्त्र, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन, युवा कार्य एवं खेल, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, व्यय, आर्थिक कार्य, खाद्य एवं जन वितरण, भारी उद्योग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, विधि कार्य, डाक, आपूर्ति, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आपूर्ति एवं निपटान, प्रबंधन सेवा विभाग (रक्षा मंत्रालय), अखिल भारतीय मृदा, उपयोगी भूमि सर्वेक्षण, सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, अग्रवर्ती अनुदेश प्राधिकरण (राजस्व विभाग), विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली विमान पत्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा कम्प्यूटर केन्द्र (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), सभी नई दिल्ली में, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो तथा बी सी जी टीका प्रयोगशाला, दोनों चेन्नई में, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, अ० जा० / अ० ज० जा० अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, पटसन आयुक्त कार्यालय, सभी कोलकाता में, आणविक ऊर्जा विभाग, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग तथा अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, सभी मुम्बई में, आयकर मुख्यायुक्त कार्यालय, मुम्बई, कोचीन एवं पुणे, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, नागपुर, वडोदरा, रायपुर, बेलगाम, चण्डीगढ़ एवं हैदराबाद, अन्तरिक्ष विभाग, शाखा सचिवालय, (विधि कार्य विभाग) केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, सभी बंगलोर में, राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, वृक्ष संरक्षण, संगरोध तथा भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (केन्द्रीय), दोनों लखनऊ में, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्वी) शिलांग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, मोहाली, कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, रांची, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद, न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय दोनों हैदराबाद में, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून ।

4.3 नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय ने अपने अभिलेख कक्षों को सहायक/सहायक अभिलेखाधिकारी की देख रेख में सौंप रखा है ।

4.4 निम्नलिखित 6 कार्यालयों ने अपने अभिलेख कक्ष को अवर श्रेणी लिपिक, अपर श्रेणी लिपिक तथा रिकार्ड कीपरों की देख रेख में रखा है -- वायु सेना शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली, केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा केन्द्रीय अनुशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सभी चेन्नई में, कपास विकास निदेशालय, मुम्बई तथा उपमुख्य श्रम आयुक्त, बंगलोर ।

4.5 दलहन विकास निदेशालय, भोपाल ने वर्तमान में अभिलेख अधिकारी नहीं होने की सूचना दी है। यह कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। छोटा संगठन होने के नाते यहाँ अभिलेख अधिकारी नामित किये जाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलोर ने यह बताया कि छोटा कार्यालय होने के कारण वे अभिलेख कक्ष नहीं रखते।

4.6 निम्नलिखित 52 मंत्रालयों/कार्यालयों ने 'शून्य'/अस्पष्ट रिपोर्ट दिया अथवा यह बताया कि यह उन पर लागू नहीं होता — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (ए आई आर), क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कर्मचारी चयन आयोग, दोनों कोलकाता में, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई, मुम्बई, पोर्ट ब्लेयर, पोरबन्दर, मुरमुगांव, विशाखापट्टनम, सहायक श्रम आयुक्त, बेल्लारी तथा फरीदाबाद, दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गारलेदिन्ने (जिला अनन्तपुर), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तिरुपुर, सूरत, हैदराबाद, तथा विशाखापट्टनम, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, बडोदरा तथा मदुरै, महापोस्टमास्टर कार्यालय, पुणे क्षेत्र, पुणे, उत्तर कर्नाटक क्षेत्र, धारवाड़, गोवा क्षेत्र, पणजी, पश्चिमी क्षेत्र (तमिलनाडु), कोयम्बटूर, दक्षिणी क्षेत्र (तमिलनाडु) मदुरै तथा (केरल सर्कल) त्रिवेन्द्रम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तथा औरंगाबाद, सक्षम प्राधिकरण एवं प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985, नई दिल्ली तथा मुम्बई, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय तथा आयकर आयुक्त IX, अहमदाबाद तथा कोलकाता, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई, बंगलोर तथा जबलपुर, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता एवं मण्डपम, निदर्श प्रत्याहार तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई नागपुर, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला तथा हैदराबाद, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद, जबलपुर तथा मुम्बई, अ0जा0/अ0 ज0जा0 अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, सूरत तथा जोवाई, सरकारी परिसमापक कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गोवा, दमन एवं दीव, पणजी तथा क्षेत्रीय कार्यालय अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भुवनेश्वर।

4.7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के बारे में स्थिति इस प्रकार है —

सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 28 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं, वे इस प्रकार हैं — समाचार सेवा प्रभाग तथा महानिदेशक आकाशवाणी, दोनों नई दिल्ली में, कारगो हैण्डलिंग प्रभाग तथा मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड दोनों चेन्नई में, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, यूरेनियम निगम लि0, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, साहा आणविक भौतिक संस्थान, क्षेत्रीय विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी), मुम्बई पत्तन न्यास तथा मझगाँव डॉक लि0 सभी मुम्बई में, डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तथा डाइग्नोस्टिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय चूर्ण

धात्विकी एवं अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र दोनों हैदराबाद में, खनिज खोज निगम लि० तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों नागपुर में, इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र तथा अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र दोनों पुणे में, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, मुरमुगाँव पत्तन न्यास, गोवा, कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोची, भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि०, बडोदरा, ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी, प्रसार भारती, तिरुवनन्तपुरम, जयपुर, गोवा, पाण्डिचेरी, तूतीकोरिन ।

4.8 नई दिल्ली स्थित भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा केन्द्रीय अनुवीक्षण सेवा तथा पुणे स्थित भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान ने यह सूचित किया है कि विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है ।

4.9 चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई ने अस्पष्ट उत्तर देते हुए यह कहा है कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं ।

4.10 निम्नलिखित ने शून्य रिपोर्ट भेजी है -- वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), मुम्बई, डीजल कम्पोनेन्ट वर्क्स, पटियाला, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान सोनितपुर (असम) , प्रसार भारती (ए आई आर), चेन्नई, चाईबासा, कालीकट, इम्फाल, कराइकल, गुलबर्गा, जमशेदपुर, भागलपुर, बोलंगीर, शिमला, ग्वालियर, पटना तथा गुना ।

स्थान की भागीदारी

अभिलेखों की दीर्घजीविता अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा उसके रख-रखाव तथा परिरक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने पर निर्भर करती हैं। तथापि यह देखा गया है कि कतिपय अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने अर्धप्रचलित अभिलेखों को स्थान की कमी के कारण अपने भवन के आलमीरे या कॉरिडोर इत्यादि में रख देते हैं जो न सिर्फ अवैज्ञानिक है बल्कि हानिकारक भी है। स्थान की कमी की इस समस्या से निपटने के लिए तथा अभिलेखों को सही वैज्ञानिक तरीके से रखे जाने को तब तक के लिए सुनिश्चित किये जाने के लिए जब तक कि अभिलेख सर्जक अभिकरण अपना विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित नहीं कर लेते, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के सभी संगठनों को अपने सौध भवन तथा अपने भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय या जयपुर, पांडिचेरी एवं भुवनेश्वर स्थित अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करने की पेशकश करता रहा है।

5.1 कुल मिलाकर 216 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस संबंध में सूचना प्रेषित की है। इनमें से 165 केन्द्रीय सरकार के कार्यालय तथा 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का संबंध है 153 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है तथा केवल 12 कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन तथा इसके क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। उत्तर का विवरण इस प्रकार है -- कोयला तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन में स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे। आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि इस विषय पर अभिलेखों को लाने के लिए उपलब्ध कराये जा रहे कर्मचारियों की संख्या की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा ताकि स्थानांतरण के दौरान अभिलेख सुरक्षित रहें। खाद्य एवं जन वितरण विभाग, नई दिल्ली ने 1578 फाइलों के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौध भवन में स्थान की भागीदारी करने की इच्छा व्यक्त की है जबकि भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली 37 फाइलों के लिए स्थान की भागीदारी करना चाहता है। अंतरिक्ष विभाग, बंगलोर ने यह बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थान की भागीदारी के प्रश्न पर विचार किया जाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता ने यह बताया कि भुवनेश्वर के निकटतम अभिलेख केन्द्र होने के कारण वे वहाँ स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे। इसी प्रकार नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर राष्ट्रीय अभिलेखागार, जयपुर अभिलेख केन्द्र में स्थान की भागीदारी करना चाहता है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, उड़ीसा सर्किल, भुवनेश्वर अपने 234 फाइलों के लिए भुवनेश्वर अभिलेख केन्द्र में स्थान की भागीदारी करना चाहता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर स्थित अभिलेख केन्द्र में स्थान की भागीदारी करना चाहेंगे। सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, फरीदाबाद अपनी 100 फाइलें परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली को भेजना चाहते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, अंगोल (आंध्र प्रदेश) भी अपने अभिलेखों के लिए स्थान की भागीदारी के इच्छुक हैं।

5.2 सार्वजनिक क्षेत्र के 51 उपक्रमों जिन्हें राष्ट्रीय अभिलेखागार, सौध भवन तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थान की भागीदारी के लिए लिखा गया था, में से सिर्फ 2 संगठनों अर्थात् प्रसार भारती (आकाशवाणी), जयपुर एवं इंफाल ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा जाहिर की है। शेष 49 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अनिच्छा जाहिर की है।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

अर्धप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा विनष्टीकरण

किसी भी संगठन में अर्धप्रचलित अभिलेखों का अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा विनष्टीकरण अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस संबंध में सही समय पर उठाया गया कदम न सिर्फ अल्पकालिक प्रकृति के अभिलेखों को समाप्त करने में मदद पहुँचाता है बल्कि यह अभिलेख सर्जक अभिकरणों के शाश्वत मूल्य के अभिलेखों के समुचित प्रबंधन, देखभाल व रख रखाव को भी सुनिश्चित करता है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ख) तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 9 के तहत यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अभिलेख, अभिलेख सर्जक अभिकरण द्वारा अभिलेखीकृत अथवा पुनरीक्षा किये बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। इस संबंध में की गई कार्रवाई को मानीटर करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख सर्जक अभिकरणों से नियमित रूप से अर्धवार्षिक प्रेषण भेजने का आग्रह करता रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिपत्र संख्या 16-5/2001 आर एम दिनांक 11 जुलाई 2001 के प्रत्युत्तर में भारत सरकार के 92 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अर्धवार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण किया। विस्तार के लिए कृपया देखें अनुबंध III (क)

6.1 निम्नलिखित कार्यालयों से अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा विनष्टीकरण के बारे में प्रगति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई -- रक्षा मंत्रालय, विदेश, गृह मंत्रालय के साथ-साथ न्याय, जम्मू एवं कश्मीर कार्य तथा राजभाषा विभाग, खान, संसदीय कार्य, रेलवे, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, वस्त्र, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन तथा जल संसाधन, दूर संचार विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, आर्थिक कार्य, संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, योजना आयोग, मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (रक्षा मंत्रालय), सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक कार्यालय, सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, आंचलिक परिषद सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फोरेन्सिक विज्ञान संस्थान, राजभाषा (विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन, सभी नई दिल्ली में, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई, निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा पटसन आयुक्त सभी कोलकाता में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, सहायक औषध नियंत्रक (भारत) कार्यालय, फिल्म प्रभाग, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, अग्रवर्ती बाजार आयोग, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सभी मुम्बई में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद, बेलगाम, मदुरै, नागपुर एवं रायपुर, श्रमिक कल्याण संगठन, इलाहाबाद, महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक परीक्षण संस्थान तथा शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) दोनों बंगलोर में, क्षेत्रीय कार्यालय (अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय), भुवनेश्वर, प्रमाण एवं प्रयोगात्मक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालासोर),

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, बोंडिनायकानूर , सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट , काजू व कोका विकास निदेशालय, कोची, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) (पर्यावरण व वन मंत्रालय) तथा टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सभी चंडीगढ़ में, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून, अन्न बचाओ अभियान, अहमदाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद तथा जयपुर, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, गुवाहाटी, न्यूक्लीयर फ्यूल काम्प्लैक्स तथा सरदार बल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी दोनों हैदराबाद में, अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर एवं जबलपुर, अनु० जा० / अ० ज० जा० अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र हिसार, जयपुर , जोवाई एवं नागपुर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, यू०पी, कानपुर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, केरल, कोची, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) लखनऊ, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, विपणन एवं निरीक्षण महानिदेशालय, उप कार्यालय, नासिक रोड, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रीय संस्थान, अद्वैतमाइल (मेघालय), गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना, महापोस्टमास्टर कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी, मुख्य अभियंता एवं प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर, विदेश व्यापार उप महानिदेशक तथा कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम दोनों शिलांग में, सेना उड़नयोग्यता क्षेत्रीय केन्द्र (एच.ए.एल.) , कोरबा, जिला सुल्तानपुर (यू.पी.), क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा भारतीय अग्रवर्ती शिक्षा संस्थान दोनों शिमला में तथा श्रम मूल्यांकन अधिकारी, कार्यालय (केन्द्रीय) तिरुचिरापल्ली ।

6.2 इस संबंध में दिनांक 9 अप्रैल 2001 के हमारे सामान्य परिपत्र संख्या 16-12/2001 आर० एम० के प्रत्युत्तर में भी 180 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सूचना प्राप्त हुई है । इनमें से 132 सरकारी संगठन हैं तथा 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । उन सरकारी संगठनों में से 95 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह सूचित किया कि वे अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं, 23 ने 'शून्य' रिपोर्ट प्रेषित की है, 4 कार्यालयों ने यह बताया कि यह पद्धति उन पर लागू नहीं होती है, 2 कार्यालयों ने अस्पष्ट उत्तर दिया । 2 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि कार्रवाई की जा रही है, 2 कार्यालयों ने बताया कि उचित समय पर कार्रवाई की जायेगी । 3 कार्यालयों ने स्टाफ की कमी को वजह से काम कर पाने में अपनी असमर्थता जाहिर की । 1 कार्यालय ने यह रिपोर्ट दी कि इस संबंध में उनके मुख्यालय से संपर्क किया जाना उचित रहेगा । प्राप्त समस्त सूचना का विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है --

6.3 निम्नलिखित 95 मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों ने यह सूचित किया कि वे अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा व विनष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं -- नागर विमानन मंत्रालय, कोयला, रक्षा, पर्यावरण एवं वन, विदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, संसदीय कार्य , पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत, रेलवे, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, इस्पात, वस्त्र , शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, वाणिज्य, आर्थिक कार्य, व्यय, उर्वरक, खाद्य एवं जन वितरण , भारी उद्योग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, डाक, राजस्व, आपूर्ति, महिला एवं बाल

विकास, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सचिवालय संस्थान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, वायु सेना मुख्यालय, प्रबंधन सेवा महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय), चिकित्सा सेवा (ए0आई0आर0) महानिदेशालय, शिक्षा निदेशालय (ए0आई0आर0) सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, डाटा प्रोसेसिंग महानिदेशालय (वायु सेना मुख्यालय) अनुसंधान एवं विकास संगठन, कम्प्यूटर केन्द्र (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), प्रशुल्क आयोग, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक कार्यालय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशक कार्यालय, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद सभी नई दिल्ली में, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान तथा सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, सभी चेन्नई में, पटसन विकास निदेशालय, आयकर आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, सभी कोलकाता में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, आयकर उपायुक्त (मुख्यालय), अग्रवर्ती बाजार आयोग एवं अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (श्रम मंत्रालय), सभी मुम्बई में, आयकर आयुक्त अहमदाबाद, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, औरंगाबाद, बेलगाम, हैदराबाद तथा रायपुर, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, मुख्य महापोस्टमास्टर, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीशनरात तथा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, सभी चंडीगढ़ में, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय तथा सहायक श्रम आयुक्त, दोनों फरीदाबाद में, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय तथा न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स, दोनों हैदराबाद में, नमक आयुक्त कार्यालय जयपुर, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ, कोची, नासिक, तथा तिरुपुर, काजू व कोका विकास निदेशालय, केन्द्रीय मत्स्य, नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान दोनों कोची में, महापोस्टमास्टर कार्यालय, दक्षिण क्षेत्र (तमिलनाडु) तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र, दोनों मदुरै में, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज, दोनों नागपुर में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, रांची, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कमीशनरात, बडोदरा ।

6.4 एक अन्य श्रेणी, जिसमें से 23 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है, की सूची इस प्रकार है -- तटरक्षक मुख्यालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दोनों नई दिल्ली में, अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय दोनों अहमदाबाद में, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय तथा यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र दोनों बंगलोर में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, महापोस्टमास्टर (पश्चिमी क्षेत्र) कोयम्बटूर, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद, इलेक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, जयपुर, अनु0 जा0 / अनु0 ज0 जा0 अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई तथा सूरत, क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) लखनऊ, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम कैम्प, इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र मोहाली,

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर , महा पोस्टमास्टर कार्यालय, गोवा क्षेत्र, पणजी, महापोस्टमास्टर, कार्यालय, पुणे क्षेत्र, पुणे, क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, विशाखापट्टनम ।

6.5 अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय) , नई दिल्ली, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता, संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने यह सूचित किया कि यह पद्धति उन पर लागू नहीं होती है ।

6.6 आयकर आयुक्त कार्यालय, गुजरात ॥ , अहमदाबाद तथा विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, हैदराबाद ने अस्पष्ट प्रत्युत्तर दिया ।

6.7 केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं इंजीनियरी संस्थान, चेन्नई तथा श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद ने यह सूचना दी कि वे कार्य आरंभ कर रहे हैं ।

6.8 जिन अन्य दो कार्यालयों ने यह सूचित किया कि समय आने पर कार्रवाई आरंभ की जायेगी । वे इस प्रकार हैं -- दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, गालादिने (अनंतपुर) जिला (आंध्र प्रदेश) तथा कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचि ।

6.9 कलकत्ता में स्थित दो कार्यालयों अतिरिक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना तथा भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण एवं मुंबई स्थित कपास विकास निदेशालय ने यह सूचित किया कि स्टाफ की कमी की वजह से यह कार्य संभव नहीं है ।

6.10 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उनके मुख्यालय से संपर्क किया जाये ।

6.11 कुल मिला कर सार्वजनिक क्षेत्र के 48 उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की उसमें से 30 ने यह बताया कि उनके यहाँ कार्य किया जा रहा है । एक उपक्रम अपनी पद्धति अपना रहा है । एक ने बताया कि समय आने पर वे इस पर कार्रवाई करेंगे तथा 16 वे शून्य रिपोर्ट प्रेषित की ।

6.12 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 30 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि वे कार्रवाई कर रहे हैं, की सूची इस प्रकार है -- कारगो हैडलिंग प्रभाग, चेन्नई , भारतीय रेयर अर्थ लि0, भारतीय यूरेनियम निगम, साहा आणविक भौतिकी संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र मुम्बई, मुम्बई पत्तन न्यास तथा मझगांव डाक लि0, सभी मुम्बई में, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि0, दोनों नागपुर में, मुरमुगांव पत्तन न्यास गोवा, भारतीय ट्रोपिकल मेटेयोरोलॉजी संस्थान, पुणे, अंतर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी अग्रवर्ती अनुसंधान तथा नव्य सामग्री केन्द्र, हैदराबाद, भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि0 , वडोदरा, ऑल इण्डिया रेडियो, महानिदेशक, नई दिल्ली, प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो) समाचार सेवा

प्रभाग (केन्द्रीय मानिट्रिंग सेवा) नई दिल्ली, बोलंगीर, शिमला, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, कराईकल, गुलबर्ग, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी, तूतीकोरिन तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ।

6.13 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ने यह बताया कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं ।

6.14 शून्य रिपोर्ट प्रेषित करने वाले 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस प्रकार हैं -- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, दोनों नई दिल्ली में, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई, क्षेत्रीय इलैक्ट्रानिकी परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) दोनों मुम्बई में , राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे, डीजल कम्पोनेन्ट वर्क्स , पटियाला , डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तथा डाइग्नोस्टिक्स, हैदराबाद, उत्तर पूर्वी फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, सोनितपुर (असम) प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो), ग्वालियर, चेन्नई , पटना, गुना, चाईबासा तथा कालीकट ।

6.15 मद्रास उर्वरक लिमिटेड, चेन्नई ने यह बताया कि वे समय आने पर कार्रवाई करेंगे ।

6.16 दिनांक 11 जुलाई 2001 को इस विषय पर अलग से परिचालित परिपत्र संख्या 16-5/2001 आर एम के प्रत्युत्तर में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों ने अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा सूचीकरण के संबंध में अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रेषित की जिसे अनुबंध III ख पर देखा जा सकता है ।

अभिलेखों का सूचीकरण

मैं अपने पहले के प्रतिवेदनों में इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों को कं, ख तथा ग - 10 श्रेणियों के सूचीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि सूचना की त्वरित पुनर्प्राप्ति संभव हो सके। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में कोई खास अंतर नहीं आया है तथा अभिलेख प्रबंधन के इस पहलू की ओर अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बरकरार है। यह फिर से बताये जाने की आवश्यकता नहीं है कि सूचियों के अभाव में दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे अभिलेखों के ढेर से सूचना की पुनर्प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाती है। सूचना की पुनर्प्राप्ति का एक मात्र हल अभिलेखों का समुचित सूचीकरण किया जाना है। अतः इस स्थल पर मैं अनुरोध करूँगा कि मंत्रालयों/विभागों/इत्यादि को राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विशेषज्ञ दिशा-निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए।

7.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों से इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रेषित करने के लिए अपने पत्र संख्या 16-12/2001 आर एम दिनांक 9 अप्रैल 2001 के माध्यम से अनुरोध किया। कुल मिलाकर 165 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि ने सूचना प्रेषित की। इसमें से केन्द्रीय सरकार के 116 कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों ने सूचना भेजी। जहाँ तक सरकारी संगठनों का सवाल है 12 ने यह सूचित किया कि वे सूची तैयार कर रहे हैं जबकि 23 ने शून्य सूचना प्रेषित की, 53 ने बताया कि वे इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, 14 ने बताया कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती है, 2 ने बताया कि कार्य आरंभ कर दिया गया है, जबकि 2 कार्यालयों ने यह सूचित किया है कि विभागीय अभिलेख कक्ष न होने के कारण सूचीकरण का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका है, एक कार्यालय ने बताया कि उनका कार्यालय नया है, दो कार्यालयों ने बताया कि समय आने पर संकलन का कार्य आरंभ किया जायेगा तथा 7 कार्यालयों ने विविध उत्तर दिये। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है --

7.2 निम्नलिखित 12 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने यह बताया कि अभिलेखों की सूची के संकलन का कार्य किया जा रहा है -- नागर विमानन मंत्रालय, उर्वरक विभाग एवं मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद सभी नई दिल्ली में, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता, अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम तथा नागपुर, मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर, केन्द्रीय मत्स्य, नौटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान कोची, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, तथा विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम।

7.3 ऐसे 53 मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय हैं जिन्होंने यह बताया कि वे सूची का संकलन नहीं कर रहे हैं — पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, बिजली, रेलवे, इस्पात, वस्त्र तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, योजना आयोग, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, आर्थिक कार्य, व्यय विभाग, भारी उद्योग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, महिला एवं बाल विकास, शहर एवं ग्राम योजना संगठन, प्रधानमंत्री कार्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, डाटा प्रोसेसिंग निदेशालय (वायुसेना मुख्यालय) तटरक्षक मुख्यालय, सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, शिक्षा निदेशालय (वायु सेना) विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग) सभी नई दिल्ली में, बी सी जी टीका प्रयोगशाला तथा मेडिकल स्टोर डिपो दोनों चेन्नई में, आयकर आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, पटसन आयुक्त कार्यालय तथा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय सभी कोलकाता में, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय तथा भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण दोनों मुम्बई में, अन्तरिक्ष विभाग, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र तथा राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान सभी बंगलोर में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमीशनरात तथा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला सभी चण्डीगढ़ में, सर्वेयर जनरल कार्यालय , देहरादून, वृक्ष संरक्षण, संगरोध तथा भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) गाजियाबाद, काजू व कोका विकास निदेशालय, केन्द्रीय मत्स्य संस्थान तथा कोचीन विशेष आर्थिक जोन, सभी कोची में, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) लखनऊ , डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मदुरै, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा ।

7.4 कुल मिला कर 23 कार्यालयों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की । उनके नाम इस प्रकार हैं— शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, वाणिज्य विभाग तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, सभी नई दिल्ली में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सभी कोलकाता में, आयकर आयुक्त कार्यालय, गुजरात - III तथा आयकर आयुक्त (अपील) ix , दोनों अहमदाबाद में, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद, अतिरिक्त महानिदेशक कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, बंगलोर, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय (अपराम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर, सुपारी व मसाला विकास निदेशालय , कालीकट, महापोस्टमास्टर पश्चिमी क्षेत्र (टी एन) , कोयंबटूर, आयकर आयुक्त कार्यालय, कोची, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प, राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज, नागपुर, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगल, महापोस्टमास्टर कार्यालय, गोवा क्षेत्र पणजी , आयकर मुख्य आयुक्त कार्यालय तथा महापोस्टमास्टर कार्यालय दोनों पुणे में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय सूरत तथा विशाखट्टनम ।

7.5 14 संगठन जिन्होंने यह कहा कि यह प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती, के नाम इस प्रकार हैं — प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, रसायन एवं पेट्रोरसायन, राजस्व, चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (वायु सेना) तथा अखिल भारतीय मृदा एवं उपयोगी भूमि सर्वेक्षण सभी नई दिल्ली में, आयकर आयुक्त कार्यालय, मुम्बई IX , अतिरिक्त निदेशक कार्यालय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य

योजना तथा सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 कार्यालय , सभी मुम्बई में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों हैदराबाद में, संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोची , लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उप कार्यालय, नासिक रोड ।

7.6 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर ने यह सूचित किया कि कार्य आरंभ कर दिया गया है ।

7.7 संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर पूर्व क्षेत्र) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग ने यह बताया चूंकि अभी उनके यहाँ अभिलेख कक्ष नहीं है अतः यह कार्य आरंभ नहीं किया गया है ।

7.8 जूट विकास निदेशालय, कोलकाता ने यह सूचित किया चूंकि उनका कार्यालय नया है अतः सूची के संकलन का कार्य आवश्यक नहीं है ।

7.9 प्रबंधन सेवा निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली ने यह रिपोर्ट किया कि अभी तक सूची के संकलन का कार्य आरंभ नहीं किया गया है तथा उचित वक्त आने पर यह कार्य आरंभ किया जायेगा । प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि अभिलेख कक्ष में अभिलेखपाल की पदनियुक्ति के बाद ही यह कार्य आरंभ किया जायेगा ।

7.10 कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह रिपोर्ट किया कि मंत्रालयों की सूची के संकलन के लिए निदेश जारी कर दिये गये हैं । रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि उनके यहाँ चूंकि ऐसी फाइलों की संख्या सीमित है अतः सूची के संकलन के कार्य की आवश्यकता महसूस नहीं हुई । राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ने बताया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । दक्षिणी क्षेत्र (तमिलनाडु) के पोस्टमास्टर जनरल ने यह बताया कि उनके यहाँ अभिलेखों की पंजिका आवश्यक प्रावधानों के साथ रखी जाती है । नाभिकीय ईंधन कांप्लेक्स, हैदराबाद ने यह रिपोर्ट किया कि इस कार्य के लिए उनके संगठन में अभिलेखों की जाँच की जा रही है । आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि सूची का संकलन आवश्यक नहीं है, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली ने यह बताया कि चूंकि उनके पास क, ख, तथा ग - 10 श्रेणी की फाइलें नहीं हैं अतः अभिलेखों के वार्षिक सूची के संकलन के कार्य का सवाल ही नहीं पैदा होता है।

7.11 कुल मिला कर इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों / सांविधिक निकायों / कॉरपोरेशनों ने सूचना प्रेषित की । सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है --

7.12 सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उपक्रमों ने यह बताया कि वे अभिलेखों की सूची के निर्माण का कार्य कर रहे हैं । ये इस प्रकार हैं--

गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई, मुर्मुगांव पत्तन न्यास गोवा, भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि०, वडोदरा तथा प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो) इम्फाल तथा तूतीकोरिन ।

7.13 सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य 4 उपक्रमों ने यह सूचित किया कि यह उन पर नहीं लागू होता है । वे इस प्रकार हैं — वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा आल इण्डिया रेडियो समाचार सेवा प्रभाग, दोनों नई दिल्ली में, इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे तथा प्रसार भारती, कराईकल ।

7.14 कारगो संचालन प्रभाग तथा चेन्नई पत्तन न्यास, दोनों चेन्नई स्थित, ने यह बताया कि वे अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं । चूर्ण धात्विकी एवं नव्य सामग्री अंतर्राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद तथा खनिज खोज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर को अपने अभिलेखों की सूची के संकलन का कार्य आरंभ करना है ।

7.15 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 36 उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है — भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क तथा आल इण्डिया रेडियो महानिदेशक, दोनों नई दिल्ली में, मद्रास उर्वरक लि०, चेन्नई, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), मझगांव डॉक लि०, भारतीय रेयर अर्थ लि०, साहा आणविक भौतिकी संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र, भारतीय यूरेनियम निगम तथा इलैक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी), सभी मुम्बई में, अग्रवर्ती कंप्यूटिंग विकास केन्द्र तथा भारतीय ट्रोपिकल मेटेयोरोलोजी संस्थान, दोनों पुणे में, डीजल उपकरण वर्क्स पटियाला, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तथा डाइग्नोस्टिक केन्द्र, हैदराबाद, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर, केन्द्रीय मॉनिटरिंग सेवा (आल इण्डिया रेडियो) नई दिल्ली, प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो), चेन्नई, बोलनगीर, शिमला, तिरुवनन्तपुरम, जयपुर, ग्वालियर, पटना, गुना, गुलबर्ग, जमशेदपुर, गोवा, भागलपुर, पाण्डिचेरी, चाईबासा, तथा कालीकट ।

अभिलेख - प्रतिधारण समय - सूची का संकलन

समीचीन ढंग से तैयार अभिलेख प्रतिधारण सूची, जिसमें विभिन्न अभिलेख समूहों की प्रतिधारण अवधि का उल्लेख होता है, प्रशासकों के हाथ में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक हथियार होता है जिसकी मदद से वे महत्वपूर्ण अभिलेखों तथा अल्पकालिक प्रकृति के अभिलेखों के बीच एक उचित अनुपात बनाये रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ड.) के अंतर्गत यह विनिर्दिष्ट है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने मूल कार्यों के लिए प्रतिधारण सूची का निर्माण करेंगे तथा उसकी वे राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पुनरीक्षा करवायेंगे। इसके अतिरिक्त इन प्रतिधारण सूचियों की हर एक पांच वर्ष में मूल्यांकन की भी नितांत आवश्यकता होती है क्योंकि किसी भी संगठन में प्रशासनिक वजहों से नये विषय आ सकते हैं तथा कुछ पुराने त्याग दिये जा सकते हैं। अतः इन अभिलेख समूहों का प्रतिधारण समय तदनुसार तय किया जाना अपेक्षित रहता है।

8.1 हमारे परिपत्र संख्या 16-12/2001 आर एम दिनांक 9 अप्रैल 2001 के प्रत्युत्तर में 156 सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 51 उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की। विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है --

निम्नलिखित 43 कार्यालयों ने यह सूचित किया कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समयसूची तैयार कर ली है। ये हैं -- शहरी मामले व गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन, रेलवे, विद्युत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, श्रम, संसदीय कार्य, सड़क परिवहन व राजमार्ग, जहाजरानी, नागर विमानन, रक्षा, कोयला, विदेश, पर्यावरण एवं वन, तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग, खाद्य एवं जनवितरण, आर्थिक कार्य, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, डाक, वाणिज्य, नागर विमानन महानिदेशक, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, शहरी तथा ग्राम योजना संगठन तथा प्रशुल्क आयोग सभी नई दिल्ली में, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन तथा पटसन आयुक्त दोनों कोलकाता में, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई तथा जबलपुर, अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज दोनों नागपुर में, अंतरिक्ष विभाग तथा राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान दोनों बंगलोर में, काजू एवं कोका विकास निदेशालय कोची, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, आयुक्त गुजरात।।। अहमदाबाद, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त हैदराबाद - I, हैदराबाद, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल) गाजियाबाद, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय रांची, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर तथा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चण्डीगढ़।

8.2 निम्नलिखित 7 संगठनों ने यह अनुरोध किया कि इस संबंध में उनके मुख्यालय से संपर्क स्थापित किया जाना चाहिए। ये हैं -- क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली, अ0 जा0 / अ0 जा0 जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता तथा सूरत, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,

हैदराबाद तथा लखनऊ, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त(म०) कार्यालय तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (डी जी ई एण्ड टी) दोनों हैदराबाद में ।

8.3 केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान तथा कंपनी रजिस्ट्रार , केरल, दोनों कोची में, ने यह रिपोर्ट किया कि जब नामित विभागीय अभिलेख अधिकारी को प्रशिक्षण प्राप्त होगा तब अभिलेख प्रतिधारण सूची तैयार की जायेगी । इसी प्रकार , डाक निदेशालय ने यह सूचित किया कि मुख्य महापोस्टमास्टर जनरल से चूंकि आज्ञा नहीं मिली है अतः कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

8.4 निम्नलिखित 8 कार्यालयों ने अस्पष्ट सूचना प्रेषित की है । ये है -- इतिहास प्रकोष्ठ (वायु सेना मुख्यालय) तथा अखिल भारतीय मृदा तथा उपयोगी भूमि सर्वेक्षण दोनों नई दिल्ली में, सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा कपास विकास निदेशालय दोनों मुम्बई में, आयकर आयुक्त कार्यालय, गुजरात तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दोनों अहमदाबाद में, अ० जा० / अ० ज० जा० अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

8.5 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, विशाखापट्टनम , श्रम कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद तथा खान सुरक्षा महानिदेशक , धनबाद ने इस बारे में हमारी सलाह मांगी है ।

8.6 संगठनों की एक अन्य श्रेणी भी है जो अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं । वे इस प्रकार हैं -- प्रबंधन निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक दोनों नई दिल्ली में, सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, कोलकाता, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (डी जी ई एण्ड टी) मुम्बई , न्यूक्लीयर फ्यूल काम्प्लेक्स, आणविक खनिज खोज व अनुसंधान निदेशालय दोनों हैदराबाद में, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , नागपुर तथा उपमुख्य श्रम आयुक्त, बंगलोर, मुख्य महापोस्टमास्टर , उड़ीसा सर्कल भुवनेश्वर, आयकर मुख्य आयुक्त कार्यालय केरल, कोची ।

8.7 निम्नलिखित 5 कार्यालयों ने बताया कि वे कार्यालय पद्धति मैनुअल का अनुसरण कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग, कम्प्यूटर केन्द्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय सभी नई दिल्ली में, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा बी सी जी टीका प्रयोगशाला दोनों चेन्नई में ।

8.8 इस्पात एवं वस्त्र मंत्रालय , प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, आपूर्ति विभाग, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय तथा कर्मचारी चयन आयोग दोनों कोलकाता में, ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी है ।

8.9 अतिरिक्त निदेशक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा, मुंबई तथा सहायक श्रम आयुक्त, बैल्लारी, दोनों ने यह सूचना दी कि स्टाफ की कमी की वजह से कार्य आरंभ नहीं किया जा सका ।

8.10 निम्नलिखित 69 कार्यालयों ने शून्य सूचना प्रेषित की है। वे हैं -- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारी उद्योग तथा जन उद्यम, तटरक्षक मुख्यालय, वायु सेना मुख्यालय, सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, शिक्षा महानिदेशालय (ए0आई0आर0), महानिदेशक चिकित्सा सेवा (ए0आई0आर0), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली।, अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग), राष्ट्रपति सचिवालय तथा सक्षम प्राधिकरण एवं प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण)।

अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक पदार्थ अधिनियम, 1985 सभी नई दिल्ली में, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण चेन्नई, मुम्बई, पोर्ट ब्लेयर, पोरबंदर तथा गोवा, केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल तथा अभियांत्रिकी संस्थान, चेन्नई में, पटसन विकास निदेशालय, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन तथा लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त सभी कोलकाता में, आणविक ऊर्जा विभाग, रेडिएशन एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, तथा आणविक ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई ॥, सभी मुम्बई में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तिरुपुर, कोची, नासिक, सूरत तथा विशाखापट्टनम, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा, पुणे, धारवाड़, मदुरै तथा पणजी, पोस्टमास्टर कार्यालय (पश्चिमी क्षेत्र) तमिलनाडु, कोयम्बटूर, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्था, गारलेदिन्ने (जिला अनन्तपुर), सामान्य सेवा संगठन (आणविक ऊर्जा विभाग) तथा इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केन्द्र दोनों कलपक्कम में, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) तथा अतिरिक्त निदेशक के0 स0 स्वा0 योजना सभी बंगलोर में, सुपारी व मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, सहकारी समिति रजिस्ट्रार पणजी, गोवा, अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) लखनऊ, आयकर आयुक्त (अपील) IX, अहमदाबाद, संयुक्त निदेशक के0 स0 स्वा0 यो0, जबलपुर, निदर्श प्रत्याहार तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, नागपुर, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिमला, भोपाल तथा हैदराबाद, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, जयपुर तथा मोहाली, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम, क्षेत्रीय कार्यालय (अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, कंपनी रजिस्ट्रार, यू0पी0, कानपुर, शारकीय परिसमापक कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, वडोदरा।

8.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/आयोगों/निगमों इत्यादि द्वारा जहाँ तक अभिलेख प्रतिधारण सूची तैयार करने का संबंध है, 3 ने यह सूचित किया कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण सूची तैयार कर ली है, 4 ऐसी सूची तैयार करना आवश्यक नहीं समझते, 7 ने यह बताया कि वे अपनी सूची का अनुसरण कर रहे हैं, 7 को कार्रवाई आरंभ करनी है जबकि 30 ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की।

8.12 सार्वजनिक क्षेत्र के 3 अन्य उपक्रमों, नामतः महानिदेशक आकाशवाणी, नई दिल्ली, हरिश्चंद्र अनुसंधान, इलाहाबाद तथा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तथा डायग्नोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद ने यह सूचित किया कि उन्होंने अपनी सूची तैयार कर ली है।

8.13 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 4 उपक्रमों ने कहा कि वे ऐसी सूची तैयार करना आवश्यक नहीं समझते हैं -- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, गणितीय विज्ञान संस्थान तथा कारगो हैण्डलिंग प्रभाग(चेन्नई पत्तन न्यास) दोनों चेन्नई में तथा मझगांव डॉक लि०, मुम्बई।

8.14 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 7 उपक्रम अपनी सूची का अनुसरण कर रहे हैं-- आकाशवाणी (समाचार सेवा प्रभाग), चेन्नई पत्तन न्यास चेन्नई, क्षेत्रीय इलैक्ट्रानिकी परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी) मुम्बई, प्रसार भारती (आकाशवाणी) तूतीकोरिन, तिरुवनन्तपुरम तथा कराईकल तथा कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोची।

8.15 केन्द्रीय मानिट्रिंग सेवा, आकाशवाणी, नई दिल्ली, मद्रास उर्वरक लि० चेन्नई, अग्रवर्ती कंप्यूटिंग विकास केन्द्र तथा भारतीय ट्रोपिकल मेटेयोरोलॉजी दोनों पुणे में, खनिज खोज निगम लि० नागपुर, तथा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद को अपनी अनुसूची पर कार्य आरंभ करना है।

8.16 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 30 उपक्रमों ने शून्य रिपोर्ट प्रेषित की-- भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली, भारतीय रेयर अर्थ लि०, भारतीय यूरेनियम निगम लि०, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, टाटा मैमोरियल केन्द्र, मुम्बई पत्तन न्यास तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) सभी मुम्बई में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधक संस्थान, फरीदाबाद, इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, डीजल उपकरण वर्क्स, पटियाला, भारतीय पैट्रोसायन निगम लि० वडोदरा, प्रसार भारती (आकाशवाणी) चेन्नई, बोलंगीर, शिमला, जयपुर, ग्वालियर, पटना, गुना, गुलबर्ग, जमशेदपुर, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी, चाईबासा तथा कालीकट।

वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (च) तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 7 के अनुसार उक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण करें। अवर्गीकृत श्रेणी की हद तक डाउनग्रेड किये गये सभी अभिलेखों को अभिलेखों की नियमित श्रृंखला में मिला दिया जाता है। अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे हो जाने के बाद राष्ट्रीय अभिलेखागार की सलाह से उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के पश्चात् स्थायी परिरक्षण के लिए संस्तुत अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस संबंध में अभिलेख सर्जक अभिकरणों का ध्यान उपर्युक्त प्रावधानों की ओर आकृष्ट करते हुए उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचना देने के लिए एक परिपत्र संख्या 16-12/2001 दिनांक 9 अप्रैल 2001 जारी किया गया था। इस संबंध में प्राप्त प्रत्युत्तर बहुत ही अल्प तथा निराशाजनक रहे। मात्र 157 सरकारी संगठनों तथा 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने प्रत्युत्तर दिया। पत्र के उत्तर में प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण इस प्रकार है ---

9.1 निम्नलिखित 33 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने यह सूचना दी कि वे समय-समय पर वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण करते रहते हैं— रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन, श्रम, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जल संसाधन, रेलवे, आर्थिक कार्य विभाग, आपूर्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, इस्पात, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, शिक्षा निदेशालय (वायु सेवा) मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक, सभी नई दिल्ली में, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन तथा लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, सभी कोलकाता में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त मुम्बई III, मुम्बई, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, आयकर आयुक्त गुजरात III, अहमदाबाद, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद, राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज तथा भारतीय खान ब्यूरो दोनों नागपुर में, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर, सहायक श्रम आयुक्त रांची, क्षेत्रीय कार्यालय (अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर, महापोस्टमास्टर, दक्षिण क्षेत्र (तमिलनाडु) मदुरै, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम तथा श्रम कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद।

9.2 निम्नलिखित 22 कार्यालयों ने यह सम्प्रेषित किया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं— कृषि एवं सहकारिता विभाग, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत, नागर विमानन महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक तथा कम्प्यूटर केन्द्र सभी नई दिल्ली में, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा केन्द्रीय अनुशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डी जी ई एण्ड टी) सभी चेन्नई में, अ० जा० / अ ज० जा० अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, कोलकाता, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (डी जी ई एण्ड टी),

मुम्बई, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कोची, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) भोपाल, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना संयुक्त निदेशक, जबलपुर, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) तथा सरकारी परिसमापक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) बंगलोर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मदुरै।

9.3 निम्नलिखित 6 कार्यालयों ने अस्पष्ट सूचना दी --- विद्युत विभाग, नई दिल्ली, केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण इकाई संस्थान, चेन्नई, कपास विकास निदेशालय, मुम्बई, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ, आयकर आयुक्त, गुजरात II, अहमदाबाद तथा दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण इकाई, गार्लादिन्ने (अनन्तपुर जिला)

9.4 सेना फिल्म तथा फोटो प्रभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि एक बार सेना के लिए यदि वर्गीकृत फिल्म का निर्माण कर लिया जाता है तो उसे अवश्रेणीकृत नहीं किया जा सकता।

9.5 केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली तथा खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद ने सूचित किया है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से इस कार्य को आरम्भ करेंगे। इसी प्रकार भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई तथा केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, दोनों ने बताया कि वे अपने कर्मियों के प्रशिक्षण के अभाव में कार्य को हाथ में नहीं ले पा रहे हैं।

9.6 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने उनके मुख्यालय से संपर्क करने का अनुरोध किया -- क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) दोनों हैदराबाद में।

9.7 प्रबंधन निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), नई दिल्ली ने यह बताया कि इस बारे में समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

9.8 निम्नलिखित 6 संगठनों ने यह सूचित किया कि वे इस संबंध में कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखते हैं। ये संगठन हैं -- खाद्य एवं जन वितरण विभाग, नई दिल्ली, सक्षम प्राधिकरण एवं प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, आणविक ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड दोनों मुम्बई में, भारतीय सर्वेक्षण, गोवा, आणविक खनिज खनन एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, रायपुर।

9.9 अन्य उत्तरों को सारगर्भित रूप में नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है -- कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह सूचित किया कि इस संबंध में निर्णय लिया जाना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह बताया कि यद्यपि सभी अनुभागों को अनुदेश जारी किये गये थे पर उनकी ओर से किसी भी प्रकार की कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं आई है। विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह सूचित

किया कि आरंभकर्ता द्वारा फाइलों का अवश्रेणीकरण किया जाता है। तथापि, आरंभकर्ता फाइल को डाउनग्रेड नहीं करते हैं महज उसकी पुनरीक्षा करके वापिस भेज देते हैं। सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, हैदराबाद। हैदराबाद ने यह सूचना दी कि वे अपनी पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं। निदर्श प्रत्याहार एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, नागपुर ने यह बताया कि वे जैव - सांख्यिकी में प्रशिक्षण देते हैं, वे इस प्रकार के अभिलेख का निर्माण नहीं करते। वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने यह बताया कि अभी तक इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति हुई है। अतिरिक्त निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई ने यह सूचित किया कि उनका कार्य अभिलेख कक्ष में विशेष स्टाफ की नियुक्ति के अभाव में पूरा नहीं किया जा सका।

9.10 अ० जा०/अ० ज० जा० प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश केन्द्र, जोवाई (मेघालय) ने यह सूचना दी कि उनका कार्यालय नया है अतः कार्रवाई करना संभव नहीं हुआ। इसी प्रकार, अ० जा०/अ० ज० जा० प्रशिक्षण एवं दिशा -निर्देश केन्द्र, सूरत ने यह बताया कि सूचना नहीं भेजी जा सकी क्योंकि कोई नामित अभिलेख अधिकारी नहीं था। सहायक श्रम आयुक्त, बेल्लारी ने यह रिपोर्ट किया कि इस बारे में निर्देश / सुझाव देने के लिए मुख्यालय को लिखा जायेगा। अंतरिक्ष विभाग, बंगलोर ने यह सम्प्रेषित किया कि इस मामले पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है। युवा मामले तथा खेल मंत्रालय, नई दिल्ली ने यह सूचना दी कि स्टाफ की कमी की वजह से यह कार्य नहीं किया जा सका। महासर्वेक्षक, कार्यालय, देहरादून ने यह बताया कि उनके तकनीकी अभिलेख स्थाई प्रकृति के हैं। कंपनी रजिस्ट्रार केरल, कोची ने यह सूचना दी कि विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के बाद ही रिपोर्ट भेजी जायेगी।

9.11 निम्नलिखित 66 कार्यालयों ने शून्य सूचना प्रेषित की है — वस्त्र मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी कार्य एवं गरीबी उन्मूलन, डाक विभाग, राजस्व, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम, वायु सेना मुख्यालय इतिहास प्रकोष्ठ (वायु सेना मुख्यालय), चिकित्सा सेवा महानिदेशक (ए०आई०आर०), अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग), प्रशुल्क आयोग, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली।, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, शहरी तथा ग्रामीण योजना संगठन, तटरक्षक मुख्यालय, सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, सभी नई दिल्ली में, पटसन आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पत्तन स्वास्थ्य संगठन तथा जूट विकास निदेशालय, सभी कोलकाता में, आणविक ऊर्जा विभाग, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, रेडिएशन एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, अग्रवर्ती बाजार आयोग, भारतीय शत्रु सम्पत्ति का अभिरक्षक तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र सभी मुम्बई में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तिरुपुर, नासिक, सूरत, लखनऊ तथा विशाखापट्टनम, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर तथा पोर्बंदर, काजू व कोका विकास निदेशालय तथा आयकर मुख्यायुक्त, केरल, दोनों कोची में, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुकुक्ट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, अतिरिक्त निदेशक तथा उपमुख्य श्रम आयुक्त (सी) सभी बंगलोर में, वृक्ष संरक्षण संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, सुपारी एवं

मसाला विकास निदेशालय , कालीकट, उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ , अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर, सामान्य सेवा संगठन (आणविक ऊर्जा विभाग), परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र तथा इंदिरा गांधी आणविक ऊर्जा केन्द्र सभी कलपक्कम में, सहकारी समिति रजिस्ट्रार , कंपनी रजिस्ट्रार तथा महापोस्टमास्टर सभी पणजी गोवा में, नमक आयुक्त तथा इलेक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, दोनों जयपुर में, आयकर आयुक्त (अपील) IX अहमदाबाद, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कमिशनरात, बडोदरा, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद, कम्पनी रजिस्ट्रार, सहायक श्रम आयुक्त (के0) फरीदाबाद, कंपनी रजिस्ट्रार, यू0 पी0, कानपुर, महा पोस्टमास्टर, धारवाड़ तथा मदुरै तथा न्यूक्लीयर फ्यूल काम्प्लैक्स, हैदराबाद ।

9.12 सार्वजनिक क्षेत्र के 51 उपक्रमों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण इस प्रकार है -- कुल मिला कर 3 संगठनों यह सूचना दी कि वे फाइलों का अवश्रेणीकरण कर रहे हैं, 2 ने यह उत्तर दिया कि वे अपने दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं, 3 ने यह रिपोर्ट किया कि यह उन पर लागू नहीं होता, 3 ने यह उत्तर दिया कि वे समय आने पर सूचना का प्रेषण करेंगे, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उपक्रमों से शून्य सूचना प्राप्त हुई ।

9.13 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 13 उपक्रमों ने कहा कि वे अभिलेखों के अवश्रेणीकरण का कार्य कर रहे हैं - प्रसार भारती, नई दिल्ली , बंगाल रसायन एवं पेट्रोरसायन लि0, कोलकाता, मुम्बई पत्तन न्यास, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान तथा इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी) , सभी मुम्बई में, मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा, डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तथा डाइग्नोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद, भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि0, बडोदरा, प्रसार भारती (आकाशवाणी) जयपुर, तिरुवनन्तपुरम, कराइकल भागलपुर तथा पाण्डिचेरी ।

9.14 कारगो हैंडलिंग प्रभाग तथा चेन्नई पत्तन न्यास, दोनों चेन्नई में, ने यह बताया कि वे अपनी पद्धति अपना रहे हैं ।

9.15 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 3 उपक्रमों ने यह सूचना दी कि यह उन पर नहीं लागू होता है - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई तथा प्रसार भारती (ए आई आर), तूतीकोरिन ।

9.16 मद्रास उर्वरक लि0, चेन्नई , भारतीय पोत निगम लि0, मुम्बई तथा अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री केन्द्र, हैदराबाद ने यह रिपोर्ट किया कि वे समय आने पर सूचना भेज देंगे ।

9.17 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 30 उपक्रमों द्वारा शून्य सूचना प्रेषित की गई - भारतीय अभियंता लि०, केन्द्रीय भारतीय गृह उद्योग निगम लि० , राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, केन्द्र सरकार, कर्मचारी कल्याण संगठन, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, समाचार सेवा प्रभाग (आकाशवाणी) तथा महानिदेशक (आकाशवाणी) सभी नई दिल्ली में, प्रसार भारती, चेन्नई, फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण अंचल , राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान तथा राष्ट्रीय जूट विनिर्माण बिगम लि., सभी कोलकाता में, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान अकादमी, भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, रमन अनुसंधान संस्थान, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत अर्थ मूवर्स लि० तथा मसाला व्यापार निगम सभी बंगलोर में, अनुप्रयुक्त सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान सोसायटी , महानिदेशक फ़ैक्टरी सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान, भारतीय रेयर अर्थ लि०, भारतीय यूरेनियम निगम लि०, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुम्बई पत्तन न्यास, मझगांव लि० तथा महानगर परिवहन परियोजना सभी मुम्बई में, इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र तथा भारतीय ट्रोपिकल मैटेरोलॉजी संस्थान, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड दोनों नागपुर में, भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर , भारतीय ड्रेजिंग कॉरपोरेशन लि०, विशाखापट्टनम , भारतीय अग्रवर्ती शिक्षा संस्थान, शिमला, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा, भारत सरकार क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, दुबई, राष्ट्रीय हाइड्रोलोजी संस्थान, रुड़की, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़, उत्तरपूर्वी फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, कोचीन विशेष आर्थिक अंचल कोची, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, डीजल उपकरण वर्क्स , पटियाला, प्रसार भारती (आकाशवाणी) बोलंगीर, शिमला, ग्वालियर, पटना, गुना, कराइकल, गुलबर्गा, जमशेदपुर, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, चाईबासा तथा कालीकट ।

9.18 इसके अलावा एक अन्य परिपत्र संख्या 16-4/2001 आर एम दिनांक 11 जुलाई 2001 जिसमें इस विषय पर अभिलेख सर्जक अभिकरणों से अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने के लिए कहा गया था, के प्रत्युत्तर में 102 सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 34 उपक्रमों ने सूचना भेजी । अनुबंध IV -क तथा ख पर अर्धवार्षिक सूचना का ब्यौरा देखा जा सकता है ।

निष्क्रिय आयोग / समितियाँ

सरकार द्वारा समय-समय पर गठित आयोग / समितियों के अभिलेखों बेहद ऐतिहासिक महत्व के होते हैं। ये अभिलेख इस मायने में भी विशिष्ट होते हैं कि इनमें उपलब्ध सूचना और कहीं उपलब्ध नहीं रहती। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन रिपोर्टों के निष्कर्ष लोक अभिलेखों के लिये अनुपूरक का कार्य करते हैं। इन अभिलेखों के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ठ) में निहित उस प्रावधान जिसके मुताबिक निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है, के अनुसार दिनांक 9 अप्रैल 2001 को सभी संगठनों को इस बारे में सूचना प्रेषित करने के लिए परिपत्र संख्या 16-12/2001 आर0 एम0 जारी किया गया। उक्त परिपत्र के उत्तर में भारत सरकार के 167 मंत्रालय/ विभागों / कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 51 उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की। सरकारी संगठनों द्वारा प्रेषित सूचना का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है —

10.1 रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने बताया कि उनके संरक्षण में दो निष्क्रिय निकायों अर्थात् विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति तथा विशेष सरप्लस भंडारण निपटान समिति के अभिलेख उपलब्ध हैं।

10.2 नई दिल्ली स्थिति नागर विमानन तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने यह बताया कि इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

10.3 निम्नलिखित 153 कार्यालयों ने शून्य सूचना प्रेषित की। ये हैं — पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश, श्रम, संसदीय कार्य, इस्पात, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, शहरी कार्य तथा गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन, वस्त्र, युवा कार्य तथा खेल, रेलवे, विद्युत विभाग, खाद्य एवं जन वितरण, कोयला, राजस्व, आपूर्ति, भारी उद्योग तथा महिला एवं बाल विकास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत, डाक, अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागर विमानन महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, प्रबंधन सेवा निदेशालय (रक्षा मंत्रालय) इतिहास प्रकोष्ठ (वायु सेना मुख्यालय), चिकित्सा सेवा (ए0आई0आर0) महानिदेशक, शिक्षा महानिदेशालय (ए0आई0आर0), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय दिल्ली - 1, सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग),

आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, प्रशुल्क आयोग, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, कम्प्यूटर सेंटर, प्रधानमंत्री कार्यालय, शहर तथा ग्राम योजना संगठन, राष्ट्रपति सचिवालय, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय मत्स्य, नॉटिकल तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण इकाई संस्थान, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, केन्द्रीय अनुशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, (डी जी ई एण्ड टी)

, सभी चेन्नई में, पटसन विकास निदेशालय, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय एटलस एवं

थिमैटिक मानचित्रण संगठन तथा पटसन आयुक्त सभी कोलकाता में, आणविक ऊर्जा विभाग, कपास विकास निदेशालय, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, आणविक ऊर्जा बोर्ड, रेडिएशन एवं आइसोटोप प्रौद्योगिक बोर्ड, अग्रवर्ती बाजार आयोग, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (श्रम मंत्रालय), सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक पदार्थ अधिनियम, 1985 सभी मुम्बई में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तिरुपुर, कोची, नासिक रोड, सूरत, लखनऊ, हैदराबाद तथा विशाखापट्टनम, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ओंगोल, काजू एवं कोका विकास निदेशालय, कोची, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर एवं कोची, अंतरिक्ष विभाग, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान, अतिरिक्त निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना तथा शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) सभी बंगलोर में, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, पोरबंदर, गोवा, दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गारलेदिन्ने (जिला अनन्तपुर), सहकारी समिति रजिस्ट्रार पणजी, न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलैक्स, आणविक खनिज प्रभाग तथा खनन एवं अनुसंधान निदेशालय, सभी हैदराबाद में, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शिलांग तथा लखनऊ , आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय , अहमदाबाद - III अहमदाबाद, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, नागपुर, वडोदरा , अहमदाबाद, रायपुर, हैदराबाद , संयुक्त निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर तथा बंगलोर, राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज, निदर्श प्रत्याहार तथा स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, दोनों नागपुर में, क्षेत्रीय कार्यालय , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिमला, भोपाल व हैदराबाद, पत्तन स्वास्थ्य संगठन मण्डपम, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) गाजियाबाद , केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, इलैक्ट्रानिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र , जयपुर तथा मोहाली, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई, मुम्बई, अहमदाबाद, तथा जबलपुर, अ0 जा0/ अ0 ज0 जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कोलकाता, जोवाई (मेघालय) तथा सूरत , श्रमिक कल्याण आयुक्त इलाहाबाद, उपमुख्य श्रम आयुक्त , (सी) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) दोनों बंगलोर में, सहायक श्रम आयुक्त रांची तथा फरीदाबाद, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (डी जी इ एण्ड टी) हैदराबाद, सरकारी परिसमापक कार्यालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय यू0 पी0, कानपुर, गोवा दमन तथा दीव, पणजी गोवा, क्षेत्रीय कार्यालय, परम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय, भुवनेश्वर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी डाक प्रशिक्षण केन्द्र , वडोदरा तथा मदुरै महापोस्टमास्टर, पुणे क्षेत्र , पुणे , एन के क्षेत्र, धारवाड़, गोवा क्षेत्र, पणजी, दक्षिणी क्षेत्र ,(तमिलनाडु) , मदुरै, भुवनेश्वर, पश्चिमी क्षेत्र, (तमिलनाडु) कोयंबटूर , विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, इलैक्ट्रानिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र मोहाली तथा सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून ।

10.4 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कोची, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) हैदराबाद तथा सहायक श्रम आयुक्त, बेल्लारी ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय मुख्यालय से इस संबंध में सम्पर्क स्थापित करेंगे ।

10.5 लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, कोलकाता ने सूचना दी है कि सक्षम प्राधिकरण के आदेशों के बाद ही निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों का विनिष्ठीकरण किया जाएगा ।

10.6 आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया कि निष्क्रिय निकायों के अभिलेखों को स्थानांतरित किया जाना है ।

10.7 मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय केरल ने कहा कि उनके विभाग, कर उगाही विभाग हैं इसलिए अभिलेखों के स्थानांतरण का प्रश्न नहीं उठता ।

10.8 अतिरिक्त निदेशक कार्यालय के० स० स्वा० यो०, मुम्बई ने सूचना दी है कि उनका कार्य अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात् किया जाएगा , इसी प्रकार कंपनी रजिस्ट्रार, केरल कोची ने सूचित किया कि यह कार्य विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् किया जाएगा ।

10.9 मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय तिरुवनंतपुरम ने बताया कि इस संबंध में डाक निदेशालय से आदेश का इंतजार किया जा रहा है ।

10.10 निष्क्रिय समितियों/आयोगों पर सूचना भेजने वाले 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 50 ने शून्य सूचना भेजी है । ये हैं --- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स, आकाशवाणी महानिदेशक तथा केन्द्रीय मॉनिटरिंग सेवा सभी नई दिल्ली में, कारगो हैण्डलिंग प्रभाग, मद्रास उर्वरक लि० तथा गणितीय विज्ञान संस्थान सभी चेन्नई में, भारतीय रेयर अर्थ लि०, भारतीय यूरेनियम निगम लि० , साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण प्रयोगशाला, महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) , मुम्बई पत्तन न्यास तथा मझगांव डॉक लि० सभी मुंबई में, इलैक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र, अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र तथा भारतीय ट्रापिकल मैटेयोरोलॉजी संस्थान, सभी पुणे में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि०, वडोदरा, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि० दोनों नागपुर में, डीजल उपकरण वर्क्स, पटियाला, अन्तर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग केन्द्र दोनों हैदराबाद में, मझगांव पत्तन न्यास गोवा, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद प्रसार भारती (आकाशवाणी) , समाचार सेवा प्रभाग, नई दिल्ली, बोलंगीर, शिमला, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, ग्वालियर, गुना, कराइकल, गुलबर्गा , जमशेदपुर, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी, तूतीकोरिन, चाईबासा, प्रसारण सेवा, चेन्नई , पटना, भारत संचार निगम लि०, कालीकट तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी, रायबरेली ।

10.11 चेन्नई पत्तन न्यास ने यह कह कर कि वे अपनी प्रक्रिया अपना रहे हैं , अस्पष्ट उत्तर दिया है ।

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1)(ग) के अनुसार, पूर्व के प्रतिवेदनों में राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ मिल कर अप्रचलित अभिलेखों के नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस कार्य की वजह से मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में अल्पकालिक प्रकृति के अभिलेखों के विनष्टीकरण द्वारा न सिर्फ मूल्यवान स्थान की बचत होती है बल्कि शाश्वत प्रकृति के अभिलेखों के समुचित रख रखाव एवं परिरक्षण में भी मदद मिलती है। राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख सर्जक अभिकरणों को इस पहलू पर दिशा-निर्देश व सलाह देने का अपना प्रयास जारी रखता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों से इस बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 9 अप्रैल 2001 को एक परिपत्र संख्या 16-12/2001 आर एम जारी किया गया।

11.1 उपर्युक्त परिपत्र के संदर्भ में 163 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की। जिनमें से 116 केन्द्र सरकार के संगठन तथा 47 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 116 सरकारी संगठनों में से 18 कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे अपने 25 वर्ष पुराने अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से कर रहे हैं, जबकि 65 कार्यालयों ने शून्य सूचना भेजी है। 23 कार्यालयों ने कहा कि उक्त पद्धति उन पर लागू नहीं होती है। 7 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास 25 वर्ष पुराने अभिलेख नहीं हैं। 2 कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि उनके मुख्यालय से वांछित सूचना प्राप्ति हेतु संपर्क किया जा सकता है तथा एक कार्यालय ने अस्पष्ट उत्तर दिया है कि वांछित सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है। प्राप्त सूचनाओं का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है ---

11.2 निम्नलिखित 18 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से किया जा चुका है। ये हैं -- विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य, रेलवे, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग, जहाजरानी, शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन तथा जल संसाधन, आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, योजना आयोग, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशक कार्यालय, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन दोनों कोलकाता में, सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, मुम्बई, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद, राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान, बंगलोर तथा नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

11.3 शून्य सूचना भेजने वाले 65 संगठनों की सूची निम्नलिखित है -- कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत, वस्त्र, युवा मामले तथा खेल, भारी उद्योग, आपूर्ति विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, तटरक्षक

मुख्यालय, डाटा प्रोसेसिंग (वायुसेना मुख्यालय) निदेशालय, अनुसंधान एवं विकास संगठन निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), शिक्षा निदेशालय (वायु), सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग) सभी नई दिल्ली में, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई, कर्मचारी चयन आयोग पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त, पटसन आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय एवं केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सभी कोलकाता में, भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, अग्रवर्ती बाजार आयोग, तथा भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, सभी मुम्बई में, अन्तरिक्ष विभाग, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, अतिरिक्त महानिदेशक कार्यालय तथा यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र सभी बंगलोर में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) तथा टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला सभी चंडीगढ़ में, महापोस्टमास्टर, पश्चिमी क्षेत्र (टी एन) कोयम्बटूर, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद, केन्द्रीय मत्स्य, नाटिकल एवं अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण संस्थान एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), लखनऊ, महापोस्टमास्टर दक्षिणी क्षेत्र (टी एन) तथा डाक प्रशिक्षण केन्द्र, दोनों मदुरै में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन मण्डपम कैम्प, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज दोनों नागपुर में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, महापोस्टमास्टर कार्यालय, गोवा क्षेत्र पणजी तथा पुणे, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली, बेलगाम, नागपुर तथा रायपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय, आयुक्त कोलकाता, अहमदाबाद, कोची तथा पुणे, डाक प्रशिक्षण केन्द्र, वडोदरा तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय सूरत तथा विशाखापट्टनम।

11.4 23 कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि यह पक्ष उन पर लागू नहीं होता, ये हैं -- . रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग, राजस्व तथा महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा सेवा महानिदेशक (वायु), पत्तन स्वास्थ्य संगठन, आई जी आई विमान पत्तन, शहरी एवं ग्राम योजना संगठन, अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान, सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय मत्स्य, नाटिकल एवं अभियान्त्रिकी प्रशिक्षण इकाई संस्थान, चेन्नई, पत्तन स्वास्थ्य संगठन तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना महानिदेशक, दोनों कोलकाता में, आयकर आयुक्त कार्यालय मुम्बई XI, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, तथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अतिरिक्त निदेशक कार्यालय सभी मुम्बई में, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान, गारलेदिन्ने, (अनन्तपुर जिला), क्षेत्रीय कार्यालय अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भुवनेश्वर, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हैदराबाद, काजू व कोका विकास निदेशालय कोची, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शिमला।

11.5 नीचे दिए गए 7 कार्यालयों ने सूचना दी है कि उनके पास 25 वर्ष पुराने अभिलेख नहीं हैं -- आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय तथा मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद दोनों नई दिल्ली में, आयकर

आयुक्त कार्यालय, गुजरात - III अहमदाबाद, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय उप-कार्यालय, हैदराबाद, संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना जबलपुर तथा राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज नागपुर ।

11.6 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नई दिल्ली तथा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय लखनऊ ने सूचित किया है कि उनके मुख्यालय से अपेक्षित सूचना हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।

11.7 पटसन विकास निदेशालय कोलकाता ने अस्पष्ट सूचना भेजी है कि वांछित सूचना भेजी जानी आवश्यक नहीं है ।

11.8 सूचना प्रेषित करने वाले सभी 47 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 2 ने अभीष्ट सूचना प्रेषित की है, 39 ने शून्य सूचना दी है, 1 उपक्रम अपनी प्रक्रिया अपना रहा है, 3 ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता जबकि 2 ने कहा है कि वे समय आने पर इसे पूरा कर लेंगे ।

11.9 कारगो हैण्डलिंग प्रभाग (चेन्नई पत्तन न्यास) चेन्नई तथा भारतीय ट्रापेकल मेटेरोलोजी संस्थान पुणे ने अभीष्ट सूचना भेजी है ।

11.10 सार्वजनिक क्षेत्र के 39 उपक्रमों के शून्य सूचना प्रेषित की है । ये हैं -- भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिक पार्क, आल इण्डिया रेडियो महानिदेशक तथा केन्द्रीय मानिट्रिंग सेवा, सभी नई दिल्ली में, भारतीय रेयर अर्थ लि0, भारतीय यूरेनियम निगम, साहा आणविक भौतिक संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र, क्षेत्रीय इलैक्ट्रानिकी परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिमी) मुम्बई पत्तन न्यास, मझगाँव डॉक लि0 तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) सभी मुम्बई में, प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो), चेन्नई, बंगलोर, शिमला, तिरुवनन्तपुरम, जयपुर, ग्वालियर, पटना, गुना, गुलबर्ग, जमशेदपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी, चाईबासा तथा कालीकट, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, इलैक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र तथा अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र दोनों पुणे में, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, मुरमुगाँव पत्तन न्यास, गोवा, डी एन ए फिंगर प्रिन्टिंग तथा डायग्नोस्टिक केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी एवं सामग्री अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र दोनों हैदराबाद में, बहमपुर बोर्ड, गुवाहाटी, खनिज खोज निगम लि0, नागपुर, डीजल उपकरण वर्क्स, पटियाला तथा भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि. वडोदरा तथा हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान लि0, इलाहाबाद।

11.11 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई तथा प्रसार भारती, कराइकल से सूचित किया है कि उक्त प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होती है ।

11.12 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई अपनी प्रक्रिया अपना रहा है ।

11.13 मद्रास उर्वरक लि. चेन्नई, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान सोनितपुर (असम) समय आने पर कार्रवाई करेंगे ।

संगठनात्मक इतिहास

किसी भी संगठन के इतिहास की जानकारी उस संगठन के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि उसके माध्यम से ही प्रशासनिक आवश्यकताओं की वजह से समय-समय पर उस संगठन में आये बदलावों का पता लगता है तथा इसके द्वारा ही विभिन्न अभिलेख श्रृंखलाओं एवं उनके महत्व की सीधी जानकारी प्राप्त होती है जो अंततः वहाँ स्थल पर प्रतिधारण समयसूची पुनरीक्षा तथा 25 वर्षों से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से गये अधिकारियों को जानकारी देकर कार्यक्षम बनाता है। प्रशासनिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से भी संगठनात्मक इतिहास का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1)(झ) में यह विहित है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन करेंगे। इसके अनुक्रमण में राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए एक परिपत्र संख्या 16-12/2001-आर० एम० दिनांक 9 अप्रैल 2001 जारी किया गया। कुल मिला कर 212 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सूचना प्रेषित की जिनमें से 161 मंत्रालय/विभाग हैं तथा 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है --

12.1 निम्नलिखित 56 संगठनों ने सूचना दी है कि वे पहले से ही संगठनात्मक इतिहास को संकलित कर चुके हैं। ये संगठन हैं -- कोयला मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम, संसदीय कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जल संसाधन तथा रेलवे, कृषि एवं सहकारिता विभाग, खाद्य एवं जन वितरण, राजस्व, आर्थिक कार्य, वाणिज्य, भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम, अखिल भारतीय मृदा एवं उपयोगी भूमि सर्वेक्षण विभाग, नागर विमानन महानिदेशक, विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा योजना आयोग सभी नई दिल्ली में, केन्द्रीय मत्स्य, नौटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण इकाई संस्थान, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र तथा केन्द्रीय अनुदेशक (डी जी ई एण्ड टी) प्रशिक्षण संस्थान, सभी चेन्नई में, पटसन विकास निदेशालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय सभी कोलकाता में, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, अग्रवर्ती बाजार आयोग, सक्षम प्राधिकरण एवं प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (सम्पति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नाराकोटिक ड्रग्स तथा साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा भारतीय शत्रु सम्पति अभिरक्षक कार्यालय सभी मुम्बई में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ऑगोल, दलहन विकास निदेशालय, भोपाल, काजू व कोका विकास निदेशालय कोची, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान सभी बंगलोर में, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान गालादिन्ने (जिला अनन्तपुर), न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लैक्स तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय (डी

जी ई एण्ड टी) दोनों हैदराबाद में, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), लखनऊ , केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) गाजियाबाद, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली, सहायक श्रम आयुक्त, राँची, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गोवा, दमन एवं दीव, पणजी, गोवा, महापोस्टमास्टर कार्यालय, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर तथा सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून।

12.2 निम्नलिखित 11 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके मुख्यालय से इसके लिए संपर्क स्थापित किया जाना चाहिये। ये संगठन हैं -- क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली, सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, चेन्नई, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय लखनऊ एवं हैदराबाद, महापोस्टमास्टर कार्यालय, दक्षिणी क्षेत्र (टी एन) मदुरै, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, कोची व गोवा, श्रम आयुक्त कार्यालय, बेल्लारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद तथा उपमुख्य श्रम आयुक्त (सी), बंगलोर।

12.3 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद मुख्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि सूचनाएँ गोपनीय प्रकृति की होने के कारण प्रकाश में नहीं लाई जा सकतीं।

12.4 आणविक खोज तथा अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ने यह रिपोर्ट किया कि वे वेबसाइट पर उपलब्ध आणविक ऊर्जा विभाग की पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि कंपनी रजिस्ट्रार, केरल, कोची ने यह सूचना दी कि विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के बाद कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसी प्रकार, अतिरिक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवा, मुम्बई ने यह बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य नहीं किया जा सका।

12.5 निम्नलिखित 8 कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर रहे हैं तथा उसे राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेज दिया जाएगा। ये कार्यालय हैं -- रक्षा मंत्रालय, नागर विमानन एवं वस्त्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत, प्रशुल्क आयोग, सभी नई दिल्ली में, कर्मचारी चयन आयोग, कोलकाता तथा नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

12.6 इतिहास प्रकोष्ठ (वायु सेना मुख्यालय) नई दिल्ली, आयकर मुख्य आयुक्त, केरल, कोची तथा क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

12.7 आपूर्ति विभाग नई दिल्ली ने कहा कि उनका संगठनात्मक इतिहास उनके वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदर्शित होता है।

12.8 निम्नलिखित 78 कार्यालयों ने शून्य सूचना प्रेषित की है -- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इस्पात, बिजली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, युवा कार्य एवं खेल, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, डाक विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, शहरी एवं ग्राम योजना संगठन, तटरक्षक मुख्यालय, सेना फोटो एवं फिल्म प्रभाग, महानिदेशक चिकित्सा सेवा (ए आई आर), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली - 1, अग्रवर्ती विनिर्णय प्राधिकरण (राजस्व विभाग), सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी, (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 कार्यालय, सभी नई दिल्ली में, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर, पोरबन्दर तथा विशाखापट्टनम, बी सी जी टीका प्रयोगशाला चेन्नई, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र तथा केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, दोनों कोलकाता में, परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा विकीर्णन एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (डी जी इ एण्ड टी), सभी मुम्बई में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, तिरुपुर, कोची, नासिक, सूरत एवं विशाखापट्टनम, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई, जबलपुर तथा अहमदाबाद, केन्द्रीय मत्स्य, नॉटिकल तथा अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय कालीकट, सहकारी समिति रजिस्ट्रार, पणजी, सामान्य सेवा संगठन (डी / ए ई), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम, अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर, उत्तरपूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, आयकर आयुक्त (अपील) IX, आयकर आयुक्त गुजरात II तथा आयकर आयुक्त गुजरात III सभी अहमदाबाद में, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई, नागपुर, वडोदरा रायपुर तथा हैदराबाद, संयुक्त निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर तथा बंगलोर, निदर्श प्रत्याहार एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी तथा राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज दोनों में नागपुर में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मण्डपम, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) भोपाल, इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, जयपुर, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति अनुशिक्षण एवं निर्देशन केन्द्र, कोलकाता, सूरत तथा जोवाई (मेघालय), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी, डाक प्रशिक्षण केन्द्र मदुरै तथा बडोदरा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र तिरुवनंतपुरम, महापोस्टमास्टर (गोवा क्षेत्र), गोवा पश्चिमी क्षेत्र (टी एन) (पुणे क्षेत्र), पणजी, कोयम्बटूर तथा पुणे, अन्तरिक्ष विभाग तथा शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) दोनों बंगलोर में, श्रम कल्याण आयुक्त, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी) सहायक श्रम आयुक्त इलाहाबाद, हैदराबाद तथा फरीदाबाद, सरकारी परिसमापक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, कम्पनी रजिस्ट्रार, उ0प्र0, कानपुर तथा क्षेत्रीय कार्यालय (अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय) भुवनेश्वर ।

12.9 सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों द्वारा संगठनात्मक इतिहास की प्रतिलिपियाँ प्रेषित की गईं । ये हैं -- राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि0, भारतीय फार्मैसी परिषद् तथा ऑल इण्डिया रेडियो (समाचार सेवा प्रभाग) सभी नई दिल्ली में, गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई, बंगाल केमिकल एवं फार्मास्युटिकल लि0 कोलकाता, मुम्बई पत्तन न्यास, भारतीय रेयर अर्थ मुम्बई, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लि0, पोर्ट ब्लेयर, इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी

सामग्री केन्द्र तथा अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र, दोनों पुणे में, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि०, दोनों नागपुर में, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर, ओरोविल प्रतिष्ठान विलुपुरम, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून उत्तर पूर्वी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोची तथा ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी ।

12.10 सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों ने सूचना दी है कि वे समय आने पर अपने संगठनात्मक इतिहास को संकलित करेंगे । ये हैं -- भारतीय यूरेनियम निगम लि०, मुम्बई, मर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, अन्तर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी एवं नव्य सामग्री अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद ।

12.11 सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी जिन्होंने शून्य सूचना प्रेषित की है, इस प्रकार हैं -- साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा केन्द्रीय अनुवीक्षण सेवा (आल इण्डिया रेडियो) सभी नई दिल्ली में तथा मद्रास उर्वरक लि०, प्रसार भारती (आल इण्डिया रेडियो) तथा कारगो हैण्डलिंग प्रभाग, सभी चेन्नई में, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र, मझगांव डॉक लि०, इलैक्ट्रानिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) तथा महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) सभी मुम्बई में, प्रसार भारती (ऑल इण्डिया रेडियो), शिमला, तिरुवनन्तपुरम, जयपुर, ग्वालियर, पटना, गुना, गुलबर्ग, जमशेदपुर, गोवा, कराइकल, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी, चाईबासा तथा कालीकट ।

12.12 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है ।

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

जैसा कि पहले के प्रतिवेदन में बताया गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक अभिकरणों के संरक्षण में उपलब्ध क श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म का कार्य आरंभ कर दिया है। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान भी इसने उस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। कुल मिला कर 5 संगठनों ने सूचना प्रेषित की है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है --

13.1 क श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग से पहले अभिलेखों को सत्यापित करना आवश्यक समझा गया कि वे उक्त श्रेणी के तहत आते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित डाक तथा व्यय विभाग एवं इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, के अभिलेखों की जांच के लिए नियुक्त किया। निरीक्षण के पश्चात् उपर्युक्त संगठनों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

13.2 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कोयम्बटूर ने यह सूचित किया कि उनके पास इस श्रेणी के बहुत कम अभिलेख हैं। इन अभिलेखों का संबंध इरोड, सालेम तथा पोल्लाचि डिवाजन कार्यालय के पंजीकरण डीड तथा कोयम्बटूर शहर में कार्यालय मुख्यालय के लिए तैयार फ्लैटों की खरीद की डीड से है। चूंकि यह संख्या बहुत कम है, जिसमें करीब 276 पृष्ठ ही हैं, अतः इन पृष्ठों के माइक्रोफिल्मिंग का कार्य दक्षिण क्षेत्र में उपलब्ध अभिलेखों के साथ किया जायेगा।

13.3 आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली ने इस बारे में शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है।

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) जो कि लोक अभिलेख नियम, 1997 के व्यापक नियम 5 के साथ पठित है, के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को 25 वर्षों से अधिक पुराने स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अपने संरक्षण में सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त करने तथा उसके मूल्यांकन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इससे न सिर्फ अनियोजित विनष्टीकरण से रक्षा होती है बल्कि निश्चित अवधि तक रखे जाने वाले अभिलेखों से शाश्वत मूल्य के अभिलेखों को विलगाने में भी मदद मिलती है।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल मिला कर 48,200 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जिसमें से 35,100 फाइलों को प्रतिधारण के लिए संस्तुत किया गया तथा 13,100 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया। इससे अभिलेखों के रख - रखाव पर 13,100/- ₹ प्रतिवर्ष की बचत हुई। ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है --

14.2 निम्नलिखित संगठनों के अभिलेख मूल्यांकित किये गये -- गृह (1972-75) तथा संसदीय कार्य (1969-74) मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन विभाग (1959-71), कार्मिक तथा प्रशिक्षण (1950-75), डाक (1946 -76), राजस्व (1951-76), दूरसंचार (1953-76), योजना आयोग (1956-75) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली सर्किल (1911-65), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (1949-68), विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (1945-76), विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय (1956-75) सभी नई दिल्ली में।

14.3 इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित इकाइयों / रेजिमेंट / सशस्त्र कार्प्स के अभिलेखों का भी मूल्यांकन किया गया -- राजपूताना रायफल्स, दिल्ली कैंट (1916-48) कुमाऊँ रेजिमेंट, रानीखेत (1911-53), जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स (1933-53), ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर (1933-52) तथा कार्प्स सिग्नल्स (1932-71) सभी जबलपुर स्थित तथा आर्मर्ड कार्प्स, अहमदनगर (1933-53)।

14.4 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर मंडल (1963-75), लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता (1957-75), बामर लॉरी लि०, कोलकाता (1967-75), बीको लॉरीज लि०, कोलकाता (1915-75) की 1536 फाइलों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 963 फाइलों को प्रतिधारण के लिए तथा 573 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

जैसा कि पहले के प्रतिवेदन में बताया गया था, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक अभिकरणों के संरक्षण में उपलब्ध क श्रेणी के अभिलेखों के माइक्रोफिल्म का कार्य आरंभ कर दिया है। प्रतिवेदन की अवधि के दौरान भी इसने उस दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। कुल मिला कर 5 संगठनों ने सूचना प्रेषित की है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है --

13.1 क श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग से पहले अभिलेखों को सत्यापित करना आवश्यक समझा गया कि वे उक्त श्रेणी के तहत आते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने अधिकारियों को नई दिल्ली स्थित डाक तथा व्यय विभाग एवं इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, के अभिलेखों की जांच के लिए नियुक्त किया। निरीक्षण के पश्चात् उपर्युक्त संगठनों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

13.2 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कोयम्बटूर ने यह सूचित किया कि उनके पास इस श्रेणी के बहुत कम अभिलेख हैं। इन अभिलेखों का संबंध इरोड, सालेम तथा पोल्लाचि डिवीजन कार्यालय के पंजीकरण डीड तथा कोयम्बटूर शहर में कार्यालय मुख्यालय के लिए तैयार फ्लैटों की खरीद की डीड से है। चूंकि यह संख्या बहुत कम है, जिसमें करीब 276 पृष्ठ ही हैं, अतः इन पृष्ठों के माइक्रोफिल्मिंग का कार्य दक्षिण क्षेत्र में उपलब्ध अभिलेखों के साथ किया जायेगा।

13.3 आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली ने इस बारे में शून्य रिपोर्ट प्रेषित की है।

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) जो कि लोक अभिलेख नियम, 1997 के व्यापक नियम 5 के साथ पठित है, के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को 25 वर्षों से अधिक पुराने स्थाई प्रकृति के अभिलेखों को अपने संरक्षण में सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त करने तथा उसके मूल्यांकन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इससे न सिर्फ अनियोजित विनष्टीकरण से रक्षा होती है बल्कि निश्चित अवधि तक रखे जाने वाले अभिलेखों से शाश्वत मूल्य के अभिलेखों को विलगाने में भी मदद मिलती है।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल मिला कर 48,200 अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जिसमें से 35,100 फाइलों को प्रतिधारण के लिए संस्तुत किया गया तथा 13,100 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया। इससे अभिलेखों के रख-रखाव पर 13,100/- रु० प्रतिवर्ष की बचत हुई। ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है --

14.2 निम्नलिखित संगठनों के अभिलेख मूल्यांकित किये गये -- गृह (1972-75) तथा संसदीय कार्य (1969-74) मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन विभाग (1959-71), कार्मिक तथा प्रशिक्षण (1950-75), डाक (1946 -76), राजस्व (1951-76), दूरसंचार (1953-76), योजना आयोग (1956-75) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली सर्किल (1911-65), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (1949-68), विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (1945-76), विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय (1956-75) सभी नई दिल्ली में।

14.3 इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित इकाइयों / रेजिमेंट / सशस्त्र कार्प्स के अभिलेखों का भी मूल्यांकन किया गया -- राजपूताना रायफल्स, दिल्ली कैंट (1916-48) कुमाऊँ रेजिमेंट, रानीखेत (1911-53), जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स (1933-53), ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर (1933-52) तथा कार्प्स सिग्नल्स (1932-71) सभी जबलपुर स्थित तथा आर्मर्ड कार्प्स, अहमदनगर (1933-53)।

14.4 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भुवनेश्वर मंडल (1963-75), लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता (1957-75), बामर लॉरी लि०, कोलकाता (1967-75), बीको लॉरीज लि०, कोलकाता (1915-75) की 1536 फाइलों का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 963 फाइलों को प्रतिधारण के लिए तथा 573 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

संदर्भ माध्यम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2)(ड.) के तहत अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेखों की सूची, अनुक्रमणिका तथा अन्य संदर्भ माध्यम तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है। चूंकि संदर्भ माध्यम सूचना की त्वरित प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहायता देते हैं, अतः राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने पहले के प्रतिवेदनों में इस बात पर बल देता रहा है कि प्रत्येक संगठन को अपने संरक्षण में उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ माध्यमों को तैयार करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास करने चाहिए। अवधि के दौरान किये गये कार्य के ब्यौरे को नीचे दर्शाया गया है --

15.1 “ एशियाई इतिहास स्रोत निर्देशिका ” परियोजना के कार्य में खासी प्रगति हुई तथा खंड 3.4 का मुद्रण एवं वितरण किया गया। इसी प्रकार उपर्युक्त परियोजना के तहत खंड 3.5 के संकलन के कार्य में भी खासी प्रगति हुई तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक के संकलन संबंधित आलेख तैयार किये गये एवं पांडिचेरी तथा चंडीगढ़ के संकलन के आलेखों को संशोधित किया गया। इसके अलावा उक्त खंड हेतु सूचना के संचयन के लिए अधिकारियों का एक दल पटियाला के भंडारण शाखा सहित पंजाब राज्य अभिलेखागार तथा आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेखागार, हैदराबाद भेजा गया।

15.2 इसके अलावा, नागरिक उड्डयन विभाग/नागरिक उड्डयन मंत्रालय (1933-70) की 680 फाइलों तथा मद्रास पोलिटिकल एजेंसी (1863-1942) की 1306 फाइलों की विषयसूची तैयार की गई।

15.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखों के संदर्भ माध्यम के कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत फॉरेन डिपार्टमेंट के 22,558 अभिलेखों की डाटा एंट्री का कार्य पूरा किया गया तथा होम (पब्लिक), (1747-1859) के 39,684 एवं फॉरेन डिपार्टमेंट के 19,725 अभिलेखों का सत्यापन किया गया।

अवाप्ति / अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2)(ख) तथा लोक अभिलेख नियम, 1997 का नियम 5 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख महानिदेशक को अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अपने अभिलेख कक्षों में अभिलेखीकरण के पश्चात् रखे गये पिछले 25 या उससे अधिक वर्ष पुराने वैसे अभिलेख जो स्थाई प्रकृति के लोक अभिलेख हैं, को ग्रहण करने तथा उसे परिरक्षित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के किसी भी अभिलेख को किसी निजी स्रोत से उपहार, क्रय अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रतिवेदन की अवधि के दौरान निम्नांकित अभिलेख श्रृंखलाओं एवं अन्य निजी कागजातों को प्राप्त किया --

16.1 लोक अभिलेखों की अवाप्ति के क्रम में गृह मंत्रालय (1949-71) की 4409 फाइलें, संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) (1945-71) की 2230 फाइलें, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (1953-72) की 3994 फाइलें, व्यय विभाग (1963-74) (वित्त मंत्रालय) की 56 फाइलें, विदेश मंत्रालय (1914-71) की 1270 फाइलों की अवाप्ति की गई। इसके अलावा कांगड़ा सेटलमेंट पर जार्ज कारनाक बार्न्स की रिपोर्ट (1850) के एक खंड की भी विदेश मंत्रालय से अवाप्ति की गई।

16.2 उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, भुवनेश्वर द्वारा महापोस्ट मास्टर कार्यालय, भुवनेश्वर (1900-75) की 234 फाइलों, सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (1927-96) के 168 कागजातों/ छिटपुट दस्तावेजों जिसमें रमा देवी कागजात के 100 कागजात/मद (1961-82) भी शामिल हैं, प्राप्त किए गये। इसी प्रकार, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केन्द्र, जयपुर द्वारा भी भावनगर, बदोदा तथा राजकोट में गुजरात राज्य अभिलेखागार के संरक्षण में पड़े क्राउन स्ट्रिपेजेंटेटिव की 1,76,038 फाइलों (1803-1953) को प्राप्त किया गया।

16.3 लोक अभिलेखों के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात भारतीयों के निजी कागजातों तथा विदेशों से भारतीय रूचि के अभिलेखों को प्राप्त करने का अपना अभियान भी जारी रखा। इस कार्यक्रम के तहत देहरादून के श्री राजेश्वर प्रसाद द्वारा प्रदत्त श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के 6 नवम्बर 1963 को लिखे गये एक पत्र को प्राप्त किया गया। इस पत्र में तत्कालीन राजनीति, कांग्रेस की नीतियों तथा गांधीजी के जन्म दिन पर उनके द्वारा राजघाट जाने इत्यादि का उल्लेख है। श्री अरविंद ए. देशपांडे तथा श्रीमती शीला मसानी, मुंबई द्वारा प्रदत्त स्वर्गीय श्री मीनू आर. मसानी के 7 फोल्डर जिसमें करीब 238 पृष्ठ, 38 छायाचित्रों से युक्त एक अल्बम तथा 129 फोटोग्राफों के 3 पैकेट हैं, को भी प्राप्त किया गया। इन कागजातों का सम्बन्ध विभिन्न नेताओं, जैसे - महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, राजाजी इत्यादि के साथ श्री एम.आर.मसानी के हुए पत्राचार से है।

16.4 इसके अलावा, विदेशों से भारतीय रूचि के अभिलेखों/माइक्रोफिल्म रीलों की प्राप्ति के कार्यक्रम के तहत पब्लिक रिकार्ड ऑफिस, लंदन से डोमिनियन ऑफिसोज -35 श्रृंखला (1946-60) की 14 माइक्रोफिल्म रीलों का क्रय किया गया। इन रीलों का संबंध --- संयुक्त राष्ट्र नीति 1947, दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय, इंडियन प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, द सिटिजन एक्ट 1955, संविधान (दसवां संशोधन बिल) 1956, गणराज्य बनने का भारत का निर्णय 1946-50, भारत तथा पाकिस्तान निवासी संशोधन अधिनियम 1952, सिलोन में भारतीयों की स्थिति, मलाया तथा सिंगापुर में भारतीय प्रतिनिधियों के कार्य, नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य श्री सी.डी. देशमुख तथा टी.टी. कृष्णामाचारी के त्यागपत्र, राजस्थान के मामले, भारतीय संविधान की धारा 356, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, बंगाल तथा बिहार के बीच सीमा-विवाद, बंबई के अफसोसनाक दंगे, जिब्राल्टर में भारतीय व्यापारियों की स्थिति, 1954 का चीन-भारत व्यापार संबंध, भारतीय आम चुनाव, 1957, नेहरू की संयुक्त राज्य अमरीका, इंग्लैंड तथा कनाडा की यात्रा, भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिकता कानून, कश्मीर पर भारत की नीति, कश्मीर पर पाकिस्तान का संभावित आक्रमण - से है।

अभिलेख प्रतिधारण सूची की जाँच

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (ड.) के अनुसार अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सूची के संकलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन प्रतिधारण सूचियों की पांच साल में एक बार पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है ताकि संबंधित अभिलेख सर्जक अभिकरण की गतिविधियों में हो रहे परिवर्तनों व प्रसार को नोटिस में लिया जा सके तथा ऐसे अभिलेख समूहों की समुचित प्रतिधारण अवधि तय की जा सके। इस बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है --

17.1 भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, राष्ट्रीय बचत संगठन तथा राष्ट्रीय बचत संगठन के क्षेत्रीय निदेशालय, दोनों नागपुर में, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को-डि गामा, गोवा तथा संयंत्र अनुसंधान एवं विकास स्थापना, देहरादून, के अध्ययन, पूर्व के वर्ष अर्थात् 1999 में पूरे कर लिये गये थे, के अध्ययन रिपोर्टों को विधिवत् विवीक्षित अभिलेख प्रतिधारण सूची के साथ संबंधित अभिकरणों को कार्यान्वयन के लिए अग्रसारित किया गया।

17.2 निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की प्रतिधारण सूचियों को अध्ययन रिपोर्टों के साथ क्रियान्वयन के लिए भेजा गया - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन तथा पेंशनभोक्ता कल्याण, सार्वजनिक उद्यमिता चयन बोर्ड, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक, विदेश व्यापार, महानिदेशक, नागरिक उड्डयन महानिदेशक, इंस्पेक्टर जनरल ब्रांच (रक्षा मंत्रालय), विदेश व्यापार महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त सभी नई दिल्ली में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन कोलकाता एवं मुंबई सर्वेयर जनरल का कार्यालय तथा भारतीय सर्वेक्षण की जियोडेटिक व अनुसंधान शाखा, दोनों देहरादून में, वृक्ष संरक्षण, संगरोध व भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड कॉरपोरेट कार्यालय (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) तथा पायराइट्स फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल लिमिटेड दोनों नोयडा में।

17.3 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दोनों नई दिल्ली में, के अभिलेख प्रतिधारण समयसूची की मौके पर जाकर पुनरीक्षा का कार्य हाथ में लिया गया। अध्ययन प्रतिवेदन अंतिम रूप दिये जाने के विभिन्न चरणों में है।

परामर्श कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 3 (2)(झ) अभिलेख महानिदेशक को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की परिधि में आने वाले समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेख प्रबंधन तथा उससे जुड़े विषयों पर परामर्श देने के लिए शक्ति प्रदत्त करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न कार्यालयों को उनके अभिलेख प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों पर परामर्श देने का अपना प्रयास जारी रखा।

18.1 मंत्रालयों/विभागों के विभागीय अभिलेख कक्ष में अर्धप्रचलित चरण के दौरान अभिलेख समुचित तरीके से परिरक्षित हों, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान 14 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये इस प्रकार हैं - सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण एवं वन तथा विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, राजस्व, व्यय, आपूर्ति, कृषि तथा सहकारिता, कार्मिक तथा प्रशिक्षण, भारी उद्योग, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम सभी नई दिल्ली में।

18.2 राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने उप राष्ट्रपति सचिवालय, निर्वाचन आयोग तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम, सभी नई दिल्ली में, का दौरा किया तथा उन्हें सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना के बारे में परामर्श दिया।

18.3 राष्ट्रीय अभिलेखागार के एक अधिकारी ने मंत्रिमंडल सचिवालय का भी दौरा किया तथा उन्हें वर्गीकृत अभिलेखों के निम्न श्रेणीकरण के बारे में परामर्श दिया।

18.4 इसके अलावा उक्त अधिनियम की परिधि में आने वाले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जब भी राष्ट्रीय अभिलेखागार आये उन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के बारे में सलाह दी गई।

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख अध्ययन पीठ द्वारा संव्यावसायिक अभिलेख अधिकारियों, अभिलेख प्रबंधकों एवं अर्धसंव्यावसायिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखीय प्रशासन, संरक्षण, रेप्रोग्राफी आदि से संबंधित अनेक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इनके तहत अभिलेख अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, अभिलेख प्रबंधन में लघु अवधि सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, अभिलेखीय प्रशासन तथा पुस्तकों पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों के संरक्षण, रेप्रोग्राफी, पुस्तकों के रखरखाव व मरम्मत आदि से संबंधित पाठ्यक्रम आते हैं। मंत्रालय / विभाग / कार्यालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए भेज कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अनुरूप अभिलेखीय प्रबंधन की गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन पर एक 5 दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाया गया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस विभाग ने 9 पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किये जिसमें 94 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने भाग लिया। 2000 के पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची रिपोर्ट के अनुबंध V पर देखी जा सकती है।

19.1 वर्ष 2000-2001 के शिक्षा सत्र में अभिलेख अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 7 प्रत्याशियों का बैच था जिसमें से दो प्रत्याशी क्रमशः पुरातत्व अभिलेखागार तथा संग्रहालय निदेशालय, श्रीनगर एवं पश्चिम बंगाल अभिलेखागार, कोलकाता द्वारा प्रायोजित थे तथा शेष प्रत्याशी प्राइवेट थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने पुस्तकों, पाण्डुलिपियों तथा अभिलेखों की देखभाल व संरक्षण व अभिलेखों के रखरखाव व मरम्मत पर दो पाठ्यक्रम आयोजित किए।

19.3 निजी प्रत्याशियों सहित केन्द्र सरकार व अन्य संगठनों द्वारा नामित कुल 20 छात्रों ने अभिलेख प्रबंधन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, से एक - एक व मणिपुर राज्य अभिलेखागार इम्फाल और आईजोल थियोलॉजिकल कॉलेज आइज़ोल (मिज़ोरम), द्वारा एक - एक प्रायोजित थे व शेष 16 प्रत्याशी प्राइवेट थे।

19.4 अभिलेखीय प्रशासन के एक सत्र में 7 प्रत्याशियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अभिलेखागार व जामिया हमदर्द, नई दिल्ली द्वारा एक - एक प्रत्याशी तथा महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, मुंबई द्वारा 4 प्रत्याशी प्रायोजित किए गए थे व एक निजी प्रत्याशी था।

19.5 पुस्तकों, पाण्डुलिपियों एवं अभिलेखों की देखरेख व मरम्मत पर लघु अवधि पाठ्यक्रम के 2 सत्रों में 13 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इनमें से मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय तथा पुरातत्व,

अभिलेखागार तथा संग्रहालय निदेशालय, दोनों भोपाल में, तमिलनाडु अभिलेखागार तथा इतिहास अनुसंधान कमिशनरात, चेन्नई तथा हेमवतीनंदन बहुगुणा, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उतरांचल) सभी के द्वारा एक - एक छात्र प्रायोजित किये गये थे तथा शेष प्रत्याशी प्राइवेट थे ।

19.6 अभिलेखों के रखरखाव व मरम्मत पर पाठ्यक्रम के दो सत्रों में 7 प्रत्याशियों ने भाग लिया । इनमें से पुरातत्व, अभिलेख व संग्रहालय निदेशालय, जम्मू कश्मीर सरकार, श्रीनगर, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (मुख्यालय) बंगलोर, मणिपुर राज्य अभिलेखागार, इम्फाल, प्रत्येक द्वारा एक एक प्रत्याशी प्रायोजित किए गए । दो प्रत्याशी स्कूल शिक्षा निदेशालय अगरतला द्वारा प्रायोजित थे तथा एक प्रत्याशी प्राइवेट था ।

19.7 इसी प्रकार 11 प्रत्याशियों ने दो रेप्रोग्राफी पाठ्यक्रमों में भाग लिया । औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र तथा अल हिक्मत पुस्तकालय सभी नई दिल्ली में, द्वारा एक एक प्रत्याशी प्रायोजित किए गए थे, एक छात्र उड़ीसा राज्य संग्रहालय द्वारा प्रायोजित किया गया तथा शेष 6 प्रत्याशी प्राइवेट थे ।

19.8 भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे के अधिकारियों हेतु रेप्रोग्राफी पर 10 दिन का विशेष कार्यक्रम भी राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित किया गया ।

19.9 निम्नलिखित 136 मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों ने अपने अधिकारियों को सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने की इच्छा व्यक्त की है । ये हैं -- विदेश मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन, संसदीय कार्य, श्रम, बिजली, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, युवा कार्य एवं खेल, जल संसाधन, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, नागर विमानन, वस्त्र, इस्पात, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व, व्यय, खाद्य एवं जन वितरण, कृषि एवं सहकारिता, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, डाक, महिला एवं बाल विकास, आपूर्ति, वाणिज्य, तटरक्षक मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, प्रबंधन सेवा निदेशालय (रक्षा मंत्रालय), शिक्षा निदेशालय (ए आई आर) नागर विमानन महानिदेशक, अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद महानिदेशक, प्रशुल्क आयोग, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय सभी नई दिल्ली में, अनुदेशकों के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, तथा सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, सभी चेन्नई में, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई तथा जबलपुर, अनुसूचित जाति / अनु० जनजाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, आयकर आयुक्त पश्चिमी बंगाल, जूट विकास निदेशालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त तथा राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन सभी कोलकाता में, परमाणु ऊर्जा विभाग, अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुख्य आयकर आयुक्त, परमाणु ऊर्जा रेगुलेटरी बोर्ड, रेडिएशन एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान (डी जी ई एण्ड टी) तथा भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, सभी मुम्बई में, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुम्बई, कोची, विशाखापट्टनम, पोरबन्दर, गोवा, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, गुजरात-III तथा विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास

केन्द्र सभी अहमदाबाद में, मुख्य आयुक्त आयुक्त कार्यालय, केरल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय , केन्द्रीय मत्स्य नाटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, सभी कोची में, नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अग्निसेवा कॉलेज, सभी नागपुर में, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, वडोदरा, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, रायपुर हैदराबाद, चण्डीगढ़ , औरंगाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) शिलांग, चण्डीगढ़ एवं लखनऊ, टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़, परमाणु खनिज खनन एवं अनुसंधान निदेशालय, न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलेक्स तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय सभी हैदराबाद में, सर्वेयर जनरल कार्यालय, देहरादून, अंतरिक्ष विभाग , उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी) शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग)

केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, सभी बंगलोर में, सामान्य सेवा संगठन तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र दोनों कलपक्कम में, केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना ऑगोल , दलहन विकास निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) दोनों भोपाल में, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना जबलपुर, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) गाजियाबाद, वृक्ष संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ, दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान गालादिन्ने (अनन्तपुर जिला आ0 प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय (अपरम्परागत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय) भुवनेश्वर, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय , रांची, खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद. मुख्य महा पोस्टमास्टर, केरल सर्कल तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र दोनों तिरुवनन्तपुरम में, कम्पनी रजिस्ट्रार, यू0 पी, कानपुर तथा इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली ।

19.10 इसके अतिरिक्त 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख अध्ययन पीठ द्वारा संचालित अभिलेख प्रबंधन तथा अभिलेख प्रशासन आदि सेवा कालीन प्रशिक्षणों में अपने अधिकारियों को प्रायोजित करने की इच्छा व्यक्त की है । ये हैं — भारतीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली, कारगो हैण्डलिंग प्रभाग (चेन्नई पत्तन) चेन्नई, भारतीय रेयर अर्थ लि0, यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान , टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, टाटा मेमोरियल केन्द्र, क्षेत्रीय इलैक्ट्रॉनिकी परीक्षण प्रयोगशाला (पश्चिम) तथा मुम्बई पत्तन न्यास, सभी मुम्बई में, इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र तथा अग्रवर्ती कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र दोनों पुणे में, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा खनिज खोज निगम लि0, दोनों नागपुर में, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद, मुर्मुगांव पत्तन न्यास, गोवा, प्रसार भारती, नई दिल्ली (समाचार सेवा प्रभाग,) नई दिल्ली बोलंगीर, शिमला, जयपुर, गोवा, भागलपुर, इम्फाल, पाण्डिचेरी तथा तूतीकोरन ।

अभिलेखीय जागरूकता

जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2)(घ) में परिकल्पित है अभिलेख महानिदेशक आम जनता में अभिलेखीय जागरूकता लाने के लिए लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाने हेतु प्राधिकृत हैं, तदनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित कार्य किये गए --

20.1 भारतीय गणतंत्र की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए 28 जनवरी 2000 को 'हम भारत के लोग' नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया। माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अनन्त कुमार तथा माननीय राज्यमंत्री श्री चौबा सिंह, संस्कृति युवा मामले व खेल मंत्रालय के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उद्घाटन के अवसर पर मौजूद थे। इस प्रदर्शनी ने जीवन के सभी क्षेत्रों से दर्शकों को आकर्षित किया तथा यह अत्यंत सराही गई। महाराष्ट्र एवं केरल सरकार के अनुरोध पर यह प्रदर्शनी राज्य अभिलेखागार तिरुवनन्तपुरम एवं मुम्बई के सहयोग से उन दोनों स्थानों में क्रमशः 28 फरवरी से 3 मार्च 2000 तक तथा 7 मार्च से 11 मार्च 2000 तक आयोजित की गई।

20.2 भारत-तुर्की संबंधों के 500 वर्षों के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में 'धागा प्रेम का - बैरम और रहीम' नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी मौलिक पाण्डुलिपियों, चित्राकृतियों तथा दुर्लभ साहित्य पर आधारित थी तथा अनेक शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं राजनयिकों की उपस्थिति में संस्कृति विभाग, भारत सरकार के तत्कालीन सचिव श्री आर० वी० वैद्यनाथ अय्यर द्वारा 25 अगस्त 2000 को इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। यह प्रदर्शनी 8 दिनों के लिए 4 से 11 सितम्बर 2000 तक अश्कबत (तुर्कमेनिस्तान) में भी लगाई गई। इसका उद्घाटन माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, भारत सरकार तथा तुर्कमेनिस्तान के माननीय उपप्रधानमंत्री द्वारा 4 सितम्बर 2000 को किया गया। इसके बाद सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा तुर्कमेनिस्तान सरकार को बैरम खां पर आधारित यह प्रदर्शनी भेंट की गई।

20.3 अभिलेख सप्ताह (11 दिसम्बर से 17 दिसम्बर 2000 तक) के अवसर पर विभाग में आयोजित राष्ट्रीय अभिलेखागार की दुर्लभ पाण्डुलिपियों के प्रदर्शन का उद्घाटन पण्डित सतकारी मुखोपाध्याय, संयोजक, कला कोष, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र द्वारा 11 दिसम्बर 2000 को किया गया।

20.4 राष्ट्रीय आंदोलन में आई एन ए के अभिलेखों में वर्णित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की भूमिका तथा इण्डियन नेशनल आर्मी के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान पर रक्षा मंत्रालय की विवर्गीकृत फाइलों पर आधारित 'आजाद हिन्द फौज की गौरवगाथा' नामक एक फोटो अल्बम निकाली गई।

20.5 इसी प्रकार प्रख्यात महिलाओं के 21 छायाचित्र , महिला एवं बाल कल्याण विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के परियोजना निदेशक को भेजे गए, जो 18 अप्रैल 2000 को अशोक होटल में कॉमनवेल्थ देशों की महिला मंत्रियों की बैठक के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित किए गये । इस विभाग ने 5 मई 2000 को संसद भवन में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'आंध्र केसरी टंगुटूरि प्रकाशम का जीवन व काल' में भी सहयोग प्रदान किया । उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल पर गुजरात राज्य अभिलेखागार को 'सरदार पटेल का जीवन व कार्य' पर प्रदर्शनी के आयोजन के लिए 156 जेराक्स पृष्ठ दिए गए । यह प्रदर्शनी राज्य अभिलेखागार द्वारा अहमदाबाद में सरदार पटेल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की गई ।

20.6 श्री एस सरकार, अभिलेख महानिदेशक ने रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया --

- 1) 21 जनवरी 2000 को पुराने सचिवालय, दिल्ली में आयोजित दिल्ली धरोहर अनुसंधान तथा प्रबंधन संस्थान की सोसायटी, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वार्षिक बैठक ,
- 2) राष्ट्रीय संग्रहालय , नई दिल्ली में 9,18 तथा 21 फरवरी 2000 को आयोजित क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के प्रोन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय सहायता योजना की विशेषज्ञ समिति की बैठक ,
- 3) पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के साथ पटना उच्च न्यायालय के अभिलेखों के उचित प्रबंध के सम्बन्ध में पटना में 14 मार्च तथा 15 मार्च 2000 को बैठक ।
- 4) भारत के उपराष्ट्रपति के आवास, नई दिल्ली पर बैरम खां तुर्कमान के 500 वें जन्मोत्सव के संबंध में 21 अप्रैल 2000 को भारतीय समिति की बैठक,
- 5) राष्ट्रीय अग्रवर्ती अध्ययन संस्थान, बंगलोर में 16 मई 2000 को आयोजित राष्ट्रीय डिजीटल अभिलेखागार की स्थापना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक ,
- 6) भारतीय श्रम अभिलेखागार की 19 मई 2000 को श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित सलाहकार समिति की बैठक ,
- 7) भारतीय श्रम अभिलेखागार की छठी संयुक्त सलाहकार परिषद् की 1 जून 2000 को राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में आयोजित बैठक ,
- 8) भारत दर्शन विज्ञान/ सांस्कृतिक पार्क स्थापित करने के संबंध में विचार - विमर्श के लिए 23 जून 2000 को दिल्ली में हुई बैठक ,
- 9) लाल किले में जीनत महल संग्रहालय के अपग्रेडेशन पर 27 जुलाई 2000 को हुई बैठक ,

10) अभिलेखागारों, पुस्तकालयों की कार्य प्रणाली पर 20 जुलाई 2000 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में विचार-विमर्श बैठक ,

11) भारत-तुर्की सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2000-2002 को अन्तिम रूप देने संबंधी संस्कृति विभाग की 27 मार्च 2000 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक ,

12) अभिलेखागारों के विकास पर 25-26 अगस्त 2000 को विज्ञान भवन , नई दिल्ली में आयोजित बैठक ,

13) भारत - सूडान सांस्कृतिक आदान - प्रदान कार्यक्रम कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श के लिए संस्कृति विभाग की 19 सितम्बर 2000 को नई दिल्ली में हुई बैठक,

14) वृन्दावन अनुसंधान संस्थान, वृन्दावन की शासी परिषद की 2 दिसम्बर 2000 को हुई बैठक तथा

15) आई सी एच आर की 19 दिसम्बर 2000 को नई दिल्ली में आयोजित 44 वीं बैठक ।

20.7 श्री एच डी सिंह, अभिलेख उपनिदेशक ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया --

1) संग्रहालयों के निर्देशकों एवं संगठनों के प्रमुखों की 21 - 22 जनवरी 2000 को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में हुई बैठक

2) भारतीय मानक ब्यूरो, प्रभागीय परिषद की प्रबंधन प्रणाली की 8 जून 2000 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक तथा

3) श्री ए एम अरोड़ा, संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अध्यक्षता में अभिलेखों के डिजिटलीकरण के संबंध में 17 जुलाई 2000 को जे एन यू कैम्पस, नई दिल्ली में आयोजित बैठक,

20.8 श्री एस एम आर बाकर, अभिलेख उप निदेशक ने पानीपत संग्रहालय की कला एवं क्रय समिति की 25 मई 2000 को हरियाणा भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया ,

20.9 डॉ० शीतला प्रसाद, अभिलेख उपनिदेशक ने वृन्दावन अनुसंधान संस्थान की शासी परिषद की 15 जनवरी 2000 को वृन्दावन में आयोजित बैठक में भाग लिया

20.10 डॉ० आर पी मलिक, अभिलेख सहायक निदेशक ने रामपुर रज़ा पुस्तकालय, संरक्षण उप समिति की , रामपुर में 14-15 अप्रैल 2000 को हुई बैठक तथा मुद्रित सामग्री के संरक्षण एवं परिरक्षण पर रिपोर्ट बनाने हेतु विशेषज्ञ समिति की 19 जनवरी 2000 को लखनऊ में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया ।

प्राथमिकताएँ

लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के कार्यान्वयन पर पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सदा इस बात का उल्लेख किया जाता रहा है कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा इस सांविधिक प्रावधान पर जितना ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, उतना ध्यान नहीं दिया जाता। पर अब अभिलेख सर्जक अभिकरणों के प्रत्युत्तर में किंचित सुधार आया है। प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले वर्ष के 8 % की तुलना में बढ़ कर 12.4 % हो गया है, पर जब हम सूचना न प्रेषित करने वाले अभिलेख सर्जक अभिकरणों के 87.6 % से इसकी तुलना करते हैं तो यह नगण्य प्रतीत होता है। मैं अभी भी यह महसूस करता हूँ कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेख प्रबंधन को, कभी-कभार चलाई जाने वाली गतिविधि अर्थात् विशेष अभियानों के दौरान अभिलेखों की छंटाई की गतिविधि के बजाय एक सतत जारी रहने वाली गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। पहले दिया गया यह सुझाव कि सभी संबंधित संगठनों को अपने वार्षिक प्रतिवेदन में अभिलेख प्रबंधन पर एक अध्याय देना चाहिए, ताकि प्रतिवेदन में कुछ क्रियान्वयन दिखलाने के लिए अच्छे परिणाम सामने आ सकें। आशा है, वे इस पक्ष पर गंभीरता से विचार करेंगे तथा तदनुसार अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करेंगे।

21.1 जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम की धारा 5 (1 तथा 2) के तहत अभीष्ट है, विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना तथा विभागीय अभिलेख अधिकारियों की शीघ्रता के साथ नियुक्ति दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसकी ओर अभी भी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। अगर ये गतिविधियाँ समुचित तरीके से चलाई जाती हैं तो किसी संगठन का अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम सही दिशा में अग्रसर होगा।

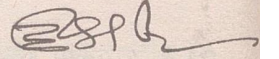
21.2 वर्गीकृत अभिलेखों का अवश्रेणीकरण किया जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें बावजूद इसके कि लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 7 के मुताबिक प्रत्येक पांचवें वर्ष अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कोई खासी प्रगति नहीं हुई है। अर्धवार्षिक रिटर्न प्रेषित करने में, जो एक सांविधिक आवश्यकता है, अभिलेख सर्जक अभिकरणों का प्रत्युत्तर बहुत ही अल्प रहा है। 1918 संगठनों में से केवल 136 संगठनों ने अर्धवार्षिक रिटर्न प्रेषित किया और उसमें से भी अधिकांश संगठनों ने “शून्य” सूचना प्रेषित की। मैं यहाँ यह निवेदन करना चाहूँगा कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों का इस संबंध में ध्येय-वाक्य होना चाहिए “कम संख्या अधिक सुरक्षा”। वस्तुतः अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेख प्रबंधन के इस पहलू की ओर जितना जल्दी हो सके, ध्यान देना चाहिए।

21.3 मेरे विचार से अभिलेखों का अनुसूचीकरण एक ऐसा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी ओर अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अभिलेखों के श्रेणीकरण के अलावा उन्हें एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशासनिक हथियार भी प्रदान करता है जो अभिलेख समूहों की जीवनावधि को निर्धारित करने में सहायता पहुँचाता है। अतः मैं उन सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों, जिन्होंने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है, से यह अपील करना चाहूँगा कि वे

राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद लें तथा जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अपने संगठन के अभिलेख प्रतिधारण समयसूची की पुनरीक्षा करवायें / उसे अंतिम रूप दें ।

21.4 चूंकि लोक अभिलेख अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है, अतः मैं उन विभिन्न संगठनों , जिन्होंने अपने द्वारा नियुक्त अभिलेख अधिकारियों को अभी तक पंच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम के लिए नहीं भेजा है, से यह अपील करूंगा कि वे जितनी जल्दी हो सके इस सुविधा का लाभ उठायें । प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अभिविन्यास पाठ्यक्रम का कैलेंडर सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जारी किया जाता है । तथापि, इस संबंध में आगे यदि किसी प्रकार की सूचना की आवश्यकता है तो उसे प्रेषित करने में मुझे खुशी होगी ।

मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त सुझावों पर भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि सही भावना के साथ विचार करेंगे तथा यदि प्राथमिकता के आधार पर इन पहलुओं पर कार्रवाई की जाये तो मेरा मानना है कि अधिनियम की परिकल्पना के अनुसार अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को सुप्रवाही बनाने में अभीष्ट परिणाम प्राप्त हो सकेंगे ।



(एच० डी० सिंह)

अभिलेख महानिदेशक (प्रभारी)

भारत सरकार

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करने वाले मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों की सूची ।

कृषि एवं सहकारिता मन्त्रालय

- 1 कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
- 2 अखिल भारतीय मृदा, भूमि उपयोग एवं सर्वेक्षण नई दिल्ली ।
- 3 क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।
- 4 केन्द्रीय मत्स्य, नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण इकाई संस्थान, चैन्नई ।
- 5 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, चेन्नई ।
- 6 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, मुम्बई ।
- 7 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, पोर्टब्लेयर ।
- 8 भारतीय मत्स्यपालन सर्वेक्षण, विशाखापट्टनम ।
- 9 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, पोरबन्दर ।
- 10 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, गोवा ।
- 11 भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण, कोची ।
- 12 पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता ।
- 13 कपास विकास निदेशालय, मुम्बई ।
- 14 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, विशाखापट्टनम ।
- 15 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, लखनऊ ।
- 16 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद ।
- 17 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, त्रिपुरा ।
- 18 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोची ।
- 19 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड ।
- 20 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सूरत ।
- 21 काजू व कोका विकास निदेशालय, कोची ।
- 22 सुपारी व मसाला विकास निदेशालय, भोपाल ।
- 23 दलहन विकास निदेशालय, भोपाल ।
- 24 केन्द्रीय पशुवृन्द पंजीकरण योजना, ओगोल ।
- 25 यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलौर ।
- 26 केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियान्त्रिकी संस्थान, बंगलौर ।
- 27 वृक्ष संरक्षण, संगरोध तथा भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद ।
- 28 दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लादिन्ने (अनन्तपुर)
- 29 सहकारी समिति रजिस्ट्रार कार्यालय, पणजी, गोवा ।

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय

- 30 रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, नई दिल्ली ।
31 उर्वरक विभाग, नई दिल्ली ।

नागर विमानन मंत्रालय

- 32 नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
33 नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली ।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- 34 आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली ।
35 वाणिज्य विभाग नई दिल्ली ।
36 आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
37 प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली ।
38 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई ।
39 विकास आयुक्त कार्यालय, कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोची ।

कोयला मन्त्रालय

- 40 कोयला मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

संचार मन्त्रालय,

- 41 डाक विभाग, नई दिल्ली ।
42 डाक प्रशिक्षण कॉलेज, मदुरै ।
43 डाक प्रशिक्षण कॉलेज, वडोदरा ।
44 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (पुणे क्षेत्र) , पुणे
45 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (एन के क्षेत्र) , धारवाड़ ।
46 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (गोवा क्षेत्र) , पणजी ।
47 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु) कोयम्बटूर ।
48 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (दक्षिणी क्षेत्र, टी एन) मदुरै ।
49 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (उड़ीसा सर्कल) भुवनेश्वर ।
50 मुख्य महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (केरल सर्कल) , तिरुवनन्तपुरम ।
51 महा पोस्टमास्टर कार्यालय, (झारखण्ड) , राँची ।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं जन वितरण मन्त्रालय

- 52 खाद्य एवं जन वितरण विभाग, नई दिल्ली
53 अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई

रक्षा मन्त्रालय

- 54 रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
55 शिक्षा निदेशालय, (ए आई आर) नई दिल्ली ।
56 चिकित्सा सेवा (वायु) नई दिल्ली ।
57 इतिहास प्रकोष्ठ (वायु मु0) नई दिल्ली ।
58 प्रबन्धन सेवा निदेशालय, नई दिल्ली ।
59 सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली ।
60 वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
61 तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली ।
62 टरमिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ ।

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय

- 63 पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
64 उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग ।
65 क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ ।
66 उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।

विदेश मन्त्रालय

- 67 विदेश मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

वित्त मन्त्रालय

- 68 आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
69 राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
70 व्यय विभाग, नई दिल्ली ।
71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली -1, नई दिल्ली ।
72 अग्रिम विनिर्णय प्रधिकरण, (राजस्व विभाग), नई दिल्ली ।

- 73 सक्षम प्रधिकरण एवं प्रशासक, कार्यालय, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा, हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985, नई दिल्ली ।
- 74 सक्षम प्रधिकरण एवं प्रशासक, कार्यालय, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा, हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं सारकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985, मुम्बई ।
- 75 आयकर आयुक्त कार्यालय, मुम्बई XI, मुम्बई ।
- 76 आयकर उपायुक्त कार्यालय (मुख्यालय), मुम्बई ।
- 77 आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील), अहमदाबाद ।
- 78 आयकर आयुक्त कार्यालय, गुजरात II, अहमदाबाद ।
- 79 आयकर मुख्यायुक्त कार्यालय, पुणे ।
- 80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली-1, नई दिल्ली ।
- 81 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई-1, मुम्बई ।
- 82 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर ।
- 83 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कमिशनरात, बड़ोदरा ।
- 84 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय हैदराबाद कमिशनरात, हैदराबाद ।
- 85 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, रायपुर ।
- 86 केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कमिशनरात, चण्डीगढ़ -1, चण्डीगढ़ ।
- 87 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद -1, अहमदाबाद ।
- 88 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम ।
- 89 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, गुलबर्ग ।
- 90 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेल्लारी ।
- 91 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, हुबली ।
- 92 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, धारवाड़ ।
- 93 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद ।
- 94 नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।

- 95 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 96 विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली ।
- 97 बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई ।
- 98 सरकारी चिकित्सा स्टोर डिपो, चेन्नई ।
- 99 पत्तन स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता ।
- 100 केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता ।
- 101 अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, सी जी एच एस, मुम्बई
- 102 अतिरिक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बंगलोर ।
- 103 राष्ट्रीय यक्ष्मा संस्थान, बंगलोर ।

- 104 क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिमला ।
- 105 क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भोपाल ।
- 106 क्षेत्रीय कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हैदराबाद ।
- 107 संयुक्त निदेशक कार्यालय, सी जी एच एस, जबलपुर ।
- 108 निदर्श प्रत्याहार एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, नागपुर ।
- 109 पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प ।
- 110 केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

- 111 भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली ।

गृह मंत्रालय

- 112 महानिदेशक कार्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
- 113 मुख्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, नई दिल्ली ।
- 114 राष्ट्रीय अग्नि सेवा कालेज, नागपुर ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- 115 महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली ।
- 116 केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता ।
- 117 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 118 इलैक्ट्रानिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र, जयपुर
- 119 इलैक्ट्रानिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली ।

श्रम मंत्रालय

- 120 श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 121 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चैन्नई ।
- 122 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई ।
- 123 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद ।
- 124 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर ।
- 125 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुशिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, कोलकाता ।
- 126 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुशिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, सूरत ।
- 127 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनुशिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र, जोवाई ।

- 128 कल्याण आयुक्त कार्यालय, इलाहाबाद ।
- 129 उपमुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय, बंगलौर ।
- 130 क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), हैदराबाद ।
- 131 सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), बेल्लारी ।
- 132 सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), फरीदाबाद ।
- 133 सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), राँची ।
- 134 अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई ।
- 135 खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद ।
- 136 क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद ।

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्रालय

- 137 शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग) बंगलौर ।
- 138 कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, केरल, कोची ।
- 139 कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
- 140 कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, गोवा, दमन एवं दीव, पणजी, गोवा ।
- 141 शासकीय परिसमापक कार्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

खान मन्त्रालय

- 142 भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर ।

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय ।

- 143 क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ।

संसदीय कार्य मन्त्रालय

- 144 संसदीय कार्य मन्त्रालय, नई दिल्ली ।
- 145 कार्मिक, एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ।
- 146 प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली
- 147 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान, नई दिल्ली ।
- 148 कर्मचारी चयन आयोग, कोलकाता।
- 149 लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी ।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

- 150 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय नई दिल्ली ।

विद्युत मंत्रालय

151 विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली ।

रेल मंत्रालय

152 रेल मंत्रालय, नई दिल्ली ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, जहाजरानी मंत्रालय

153 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्त्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ।

154 राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता ।

155 सर्वेयर जनरल कार्यालय, मानचित्रण देहरादून ।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ।

156 योजना आयोग, नई दिल्ली

157 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली ।

158 कम्प्यूटर केन्द्र, नई दिल्ली ।

159 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता ।

इस्पात मंत्रालय

160 इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली ।

161 लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता ।

वस्त्र मन्त्रालय

162 वस्त्र मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

163 पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता ।

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय,

164 शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

165 नगर एवं ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली ।

जल संसाधन मंत्रालय

166 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ।

167 युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, नई दिल्ली ।

आणविक ऊर्जा मंत्रालय

- 168 आणविक ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली ।
169 आणविक उर्जा रेगुलेटरी बोर्ड, मुम्बई ।
170 समान्य सेवा संगठन, मुम्बई ।
171 रेडियशन एवं आइसोटोप तकनीकी बोर्ड, मुम्बई ।
172 न्यूक्लीयर फ्यूल काम्पलैक्स, हैदराबाद ।
173 आणविक खनिज खोज एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद ।
174 परिवर्तनीय साइक्लोट्रोन केन्द्र, कोलकाता ।
175 इन्दिश गाँधी आणविक अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम ।
176 अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर ।

अन्तरिक्ष विभाग

- 177 अन्तरिक्ष विभाग, बंगलौर ।
178 विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम ।
179 राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
180 प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।

अनुबन्ध II

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची ।

कृषि एवं सहकारिता मन्त्रालय

- 1 उत्तरी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सोनितपुर (असम) ।

रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय

- 2 मद्रास उर्वरक लि०, चेन्नई ।
3 भारतीय पेट्रो रसायन निगम लि०, बड़ोदरा ।

वित्त मन्त्रालय

- 4 राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान, फरीदाबाद ।

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय

- 5 महानिदेशक, आल इण्डिया रेडियो, नई दिल्ली ।
6 केन्द्रीय अनुवीक्षण सेवा, नई दिल्ली ।
7 प्रसार भारती (समाचार सेवा प्रभाग) नई दिल्ली ।
8 प्रसार भारती, व्यावसायिक प्रसारण सेवा, चेन्नई ।
9 प्रसार भारती, बोलंगीर ।
10 प्रसार भारती, शिमला ।
11 प्रसार भारती, तिरुवनन्तपुरम ।
12 प्रसार भारती, जयपुर ।
13 प्रसार भारती, ग्वालियर ।
14 प्रसार भारती, गुना ।
15 प्रसार भारती, कराइकल ।
16 प्रसार भारती, गुलबर्गा ।
17 प्रसार भारती, जमशेदपुर ।
18 प्रसार भारती, गोवा ।
19 प्रसार भारती, भागलपुर ।
20 प्रसार भारती, इम्फाल ।
21 प्रसार भारती, पाण्डिचेरी ।

- 22 प्रसार भारती, तूती कोरिन
- 23 प्रसार भारती, चाईबासा ।
- 24 प्रसार भारती, व्यवसायिक प्रसारण सेवा, पटना ।
- 25 भारत संचार निगम लिमिटेड, कालीकट-1

सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय ।

- 26 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली ।
- 27 इलैक्ट्रॉनिकी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला, नई दिल्ली ।
- 28 इलैक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे ।
- 29 अग्रवर्ती विकास केन्द्र, पुणे ।

श्रम मन्त्रालय

- 30 केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर ।

खान मन्त्रालय

- 31 खनिज खोज निगम लिमिटेड, नागपुर

रेल मन्त्रालय

- 32 महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे), मुम्बई ।
- 33 डीजल कम्पोनेन्ट वर्क्स, पटियाला ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय

- 34 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
- 35 अन्तराष्ट्रीय-चूर्ण धात्विकी एवं नव्य सामग्री अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद ।
- 36 डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एवं डाईगनोस्टिक केन्द्र, हैदराबाद ।
- 37 भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मन्त्रालय तथा जहाजरानी मन्त्रालय

- 38 चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई ।
- 39 कारगो हैण्डलिंग प्रभाग (चेन्नई पत्तन न्यास) चेन्नई ।
- 40 मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई ।
- 41 मझगाँव डॉक लिमिटेड, मुम्बई ।

42 मुरमुगौव पत्तन न्यास, गोवा ।

जल संसाधन मन्त्रालय

43 ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी

आणविक ऊर्जा विभाग

- 44 गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई ।
45 भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई ।
46 भारतीय यूरेनियम सहकारिता, मुम्बई ।
47 साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, मुम्बई ।
48 टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुम्बई ।
49 टाटा मेमोरियल केन्द्र, मुम्बई ।
50 हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद ।

अन्तरिक्ष विभाग

51 राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद ।

अर्धप्रचलित अभिलेख के अभिलेखीकरण, समीक्षा तथा सूचीकरण की प्रगति
के बारे में अर्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची ।

(क) सरकारी संगठन

क्रम सं०	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणियों की संख्या
कृषि मन्त्रालय		
1	अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई	2
2	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप-कार्यालय, बोंदीनायकनूर	1
3	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, उप कार्यालय, नासिक रोड	2
4	सुपारी और मसाला विकास निदेशालय, कालीकट	1
5	काजू और कोका विकास निदेशालय कोची	1
वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय		
6	औद्योगिक नीति प्रोन्नयन विभाग, नई दिल्ली ।	2
7	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, गुवाहाटी	2
8	विदेश व्यापार उपमहानिदेशक कार्यालय, शिलांग	1
रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय		
9	रसायन एवं उर्वरक विभाग, नई दिल्ली	1
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं जनवितरण मन्त्रालय		
10	मुख्य लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नई दिल्ली ।	1
11	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता	1
12	अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, गजियाबाद	1
13	अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	2
14	अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	1

- 15 अन्न बचाओ अभियान, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

1

संचार मंत्रालय

- 16 दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली

1

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

- 17 संस्कृति विभाग

1

रक्षा मंत्रालय

- 18 रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

2

- 19 सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक
कार्यालय

1

- 20 प्रमाण एवं प्रायोगिक स्थापना, चांदीपुर (जिला बालसोर)

1

- 21 टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़

2

- 22 सेना उड़न योग्यता केन्द्र, एच ए एल, कोरवा, जिला
सुल्तानपुर (यू०पी)

1

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

- 23 क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) चण्डीगढ़।

1

- 24 भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून

1

- 25 क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ

2

- 26 क्षेत्रीय कार्यालय (एन इ जेड), शिलांग

2

विदेश मंत्रालय

- 27 विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली।

1

वित्त मंत्रालय

- 28 आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली

1

- 29 सक्षम प्राधिकरण तथा प्रशासक, तस्कर तथा विदेशी मुद्रा
हेराफेरी (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976, तथा
नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थ नियम, 1985,
नई दिल्ली

1

30	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई ।	1
31	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद ।	1
32	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाम ।	1
33	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मदुरै	1
34	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर	2
35	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

36	विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली ।	1
37	विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मुम्बई ।	1
38	सहायक औषध नियन्त्रक (भारत) कार्यालय, मुम्बई	1
39	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई	2
40	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	2
41	बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला, चेन्नई	2
42	क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ।	1

गृह मन्त्रालय

43	न्याय विभाग, जे एण्ड के कार्य विभाग और राजभाषा विभाग सहित गृह मन्त्रालय, नई दिल्ली	2
44	सीमा सुरक्षा बल, महानिदेशक, नई दिल्ली	1
45	आंचलिक सचिवालय परिषद, नई दिल्ली	1
46	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, मुख्यालय, नई दिल्ली	1
47	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान दिल्ली	2
48	सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

49	माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, नई दिल्ली	1
50	प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली	1
51	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	1
52	भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला	1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

53	फिल्म प्रभाग, मुम्बई ।	1
54	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, मुम्बई	1
55	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई ।	1

श्रम मन्त्रालय

56	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय, कोलकाता	1
57	श्रम कल्याण संगठन, इलाहाबाद ।	1
58	क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर	1
59	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी०), चण्डीगढ़ ।	2
60	अ०जाति/अ०ज०जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, हिसार ।	2
61	अ०जाति/अ०ज०जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जयपुर ।	2
62	अ०जाति/अ०ज०जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोवाई ।	1
63	अ०जाति/अ०ज०जाति अनुशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, नागपुर ।	1
64	विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर	2
65	महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अढ़ाईमाइल, तुरा (मेघालय)	1
66	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) तिरुचिरापल्ली	2

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

67	राजभाषा स्कंध, नई दिल्ली	1
68	शाखा सचिवालय, बंगलौर	1
69	कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, कानपुर यू०पी	1
70	कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, केरल, एरनाकुलम, कोची	1
71	कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम, शिलांग	2

खान मंत्रालय

72	खान मंत्रालय, नई दिल्ली	1
----	-------------------------	---

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

73	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर।	1
----	--------------------------------	---

संसदीय कार्य मंत्रालय

74	संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	2
----	----------------------------------	---

रेल मंत्रालय

75 रेल मंत्रालय, नई दिल्ली

2

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं जहाजरानी मन्त्रालय

76 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं जहाजरानी
मन्त्रालय, नई दिल्ली ।

2

77 प्रकाशस्तंभ एवं प्रकाश पोत विभाग, नोयडा।

2

78 मुख्य अभियन्ता एवं प्रशासक कार्यालय, अन्डमान लक्ष्यद्वीप
बन्दरगाह वर्क्स, पोर्टब्लेयर ।

2

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

79 वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली ।

1

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,

80 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली

2

81 योजना आयोग, नई दिल्ली

1

82 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता

2

इस्पात मंत्रालय

83 लोह एवं इस्पात विकास आयुक्त कार्यालय, कोलकाता

2

वस्त्र मंत्रालय

84 वस्त्र मन्त्रालय, नई दिल्ली

1

85 पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता

1

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

86 शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

1

जल संसाधन मंत्रालय

87 जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

1

- | | | |
|----|--|---|
| 88 | केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली । | 1 |
| 89 | गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना । | 1 |

आणविक ऊर्जा विभाग

- | | | |
|----|--|---|
| 90 | आणविक ऊर्जा विभाग, मुम्बई | 1 |
| 91 | अग्रवर्ती प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर | 1 |

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

उन संगठनों की सूची जिन्होंने अर्धप्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, पुनरीक्षा तथा सूचीकरण के संबंध में हुई प्रगति पर अर्धवार्षिक विवरणियाँ भेजीं

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क्र०स०	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणियों की संख्या
<u>कृषि मंत्रालय</u>		
1.	भारतीय कपास निगम, मुम्बई ।	1
<u>रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय</u>		
2	बंगाल कैमिकल एवं फार्मास्यूटिकल्स लि० कोलकाता	1
<u>नागर विमानन मंत्रालय</u>		
3	भारत संचार निगम लि०, अम्बाला ।	1
<u>वाणिज्य मंत्रालय</u>		
4	मसाला बोर्ड, कोची	1
<u>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</u>		
5	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।	1
<u>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय</u>		
6	राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, कोलकाता	1
7	केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, राँची (झारखण्ड)	1
<u>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</u>		
8	क्षेत्रीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।	1

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- | | | |
|----|--|---|
| 9 | अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिकी सूक्ष्म तरंग, अभियान्त्रिकी एवं अनुसंधान समिति, मुम्बई । | 1 |
| 10 | इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे । | 1 |
| 11 | इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, तिसूर | 1 |
| 12 | भारतीय इलेक्ट्रानिकी डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर । | 1 |
| 13 | केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर । | 1 |
| 14 | भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, बंगलौर । | 1 |

श्रम मन्त्रालय

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 15 | कारखाना परामर्श महानिदेशक, मुम्बई | 1 |
| 16 | केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड, नागपुर | 1 |

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मन्त्रालय

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 17 | इंजीनियर्स इण्डिया लि0, नई दिल्ली । | 1 |
|----|-------------------------------------|---|

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय

- | | | |
|----|---|---|
| 18 | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली । | 1 |
| 19 | जवाहर लाल नेहरू अग्रिम वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलोर | 1 |
| 20 | भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलोर | 2 |
| 21 | भारतीय ट्रोपिकल मेटेयोरलाजी संस्थान, पुणे । | 1 |

जहाजरानी मन्त्रालय

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 22 | मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई । | 1 |
|----|------------------------------|---|

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मन्त्रालय

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 23 | कंप्यूटर केन्द्र, नई दिल्ली | 1 |
|----|-----------------------------|---|

इस्पात एवं खान मन्त्रालय

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 24 | खनिज खोज निगम लि0 , नागपुर | 1 |
|----|----------------------------|---|

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

25 भारत सरकार क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, दुबई 1

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

26 दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली 1

जल संसाधन मंत्रालय

27 भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चण्डीगढ़ 1

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

वर्गीकृत अभिलेखों के अव श्रेणीकरण पर अर्द्धवार्षिक सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

(क) सरकारी संगठन

क्र० सं० संगठन का नाम प्राप्त अर्द्धवार्षिक विवरणियों की संख्या

कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय

1	पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली	1
2	विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	1
3	भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, चेन्नई	1
4	यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, बंगलोर	1
5	केन्द्रीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, बंगलोर	1
6	केन्द्रीय मत्स्य नॉटिकल एवं अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान, कोची	1
7	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कोची	1
8	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, गुवाहाटी	1
9	सुपारी व मसाला विकास, निदेशालय, कालीकट	1
10	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (जिला संबलपुर)	1
11	क्षेत्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर	1
12	दलहन विकास निदेशालय, भोपाल	1
13	समन्वित, मत्स्य परियोजना, वाईजैग, इकाई, विशाखापट्टनम	1
14	दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गारलादिन्ने (अनन्तपुर जिला)	1
15	केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर	1

नागर विमानन मंत्रालय

16	रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ	1
----	------------------------	---

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

17	आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली	1
18	आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशक, नई दिल्ली	1
19	मुख्य लेखा नियंत्रक, आपूर्ति विभाग, नई दिल्ली	2
20	औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग, नई दिल्ली	1

21	फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण अंचल कोलकाता	1
22	भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुम्बई	1
23	विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, गुवाहाटी	1

संचार मंत्रालय

24	महापोस्टमास्टर (बी डी एण्ड एफ एम) मुंबई	1
----	---	---

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय

25	खाद्य एवं जन वितरण विभाग, नई दिल्ली	1
26	अग्रवर्ती बाजार आयोग, मुम्बई	1
26क	केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला , कोलकाता	2

रक्षा मंत्रालय

27	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली	1
28	रक्षा मंत्रालय (समन्वय), नई दिल्ली	2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

29	क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ	1
30	उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़	2
31	भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून	1
32	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	1

विदेश मंत्रालय

33	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली	1
----	--	---

वित्त मंत्रालय

34	आर्थिक कार्य विभाग , नई दिल्ली	1
35	केन्द्रीय पेंशन लेखा प्राधिकरण, नई दिल्ली	1
36	आयकर उपायुक्त मुख्य कार्यालय, मुम्बई	1
37	आयकर आयुक्त , केरल, कोची	1
38	आयकर आयुक्त । , जोधपुर	2
39	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , नागपुर	1

40	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , पणजी, गोवा	1
41	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , बेलगाम	1
42	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , चण्डीगढ़	1
43	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , अहमदाबाद -I	1
44	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त , कोची	1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

45	लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल , नई दिल्ली	1
46	विमानपत्तन स्वास्थ्य संगठन, दिल्ली विमानपत्तन, नई दिल्ली	1
47	एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन, कोलकाता	1
48	एयरपोर्ट स्वास्थ्य संगठन, तिरुचिरापल्ली	1
49	विमानपत्तन एवं सीमा संगरोध स्वास्थ्य संगठन, अटारी, अमृतसर	1
50	सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, चेन्नई	1
51	सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल	1
52	बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई	2
53	परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	1
54	भारतीय सहायक औषध नियंत्रक कार्यालय, मुम्बई	1
55	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	1
56	क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे	1
57	क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	1
58	पत्तन स्वास्थ्य संगठन, विशाखापट्टनम	2
59	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर	1
60	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जबलपुर	1
61	निदर्श जीवनाधार एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी इकाई, नागपुर	1
62	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, लखनऊ	1
63	केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद	1
64	केन्द्रीय भारतीय फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद	1

गृह मंत्रालय

65	आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली	1
66	महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली	1
67	समन्वय (पुलिस बेतार) निदेशालय, नई दिल्ली	1
68	सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

69	महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली	1
70	श्रमिक विद्यापीठ, नई दिल्ली	1
71	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता	1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

72	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुम्बई	1
73	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	1

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

74	इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण एवं विकास केन्द्र, मोहाली	1
----	--	---

श्रम मंत्रालय

75	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	1
76	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र मुंबई	1
77	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जबलपुर	1
78	उपमुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बंगलोर	1
79	कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन, बंगलोर	1
80	कल्याण एवं उपकर आयुक्त, जबलपुर	1
81	श्रम कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	1
82	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, अहमदाबाद	1
83	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर	1
84	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर	1
85	शाखा सचिवालय (विधि कार्य विभाग), बंगलोर	1

अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

86	अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली	1
----	--	---

कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय

87	प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली	1
88	कर्मचारी चयन आयोग, गुवाहाटी	1
89	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी	1

रेल मंत्रालय

90 रेल मंत्रालय, नई दिल्ली

1

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

91 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली

1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

92 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली

1

इस्पात मंत्रालय

93 इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली

1

जहाजरानी मंत्रालय

94 जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली

1

95 मुख्य अभियंता एवं प्रशासक कार्यालय अंडमान
लक्षद्वीप बंदरगाह वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर

1

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

96 कम्प्यूटर सेन्टर, नई दिल्ली

1

97 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली

1

इस्पात मंत्रालय

98 इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली

1

99 लौह एवं इस्पात विकास क्षेत्रीय आयुक्त, नई दिल्ली

1

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

100 शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, नई दिल्ली

1

101 भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता

1

योजना आयोग

102 योजना आयोग, नई दिल्ली

2

उन संगठनों की सूची जिन्होंने वर्गीकृत अभिलेखों के अवश्रेणीकरण पर अर्द्धवार्षिक विवरणियाँ भेजीं

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

क्र० सं०	संगठन का नाम	प्राप्त अर्द्धवार्षिक विवरणियों की संख्या
----------	--------------	---

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

1	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, कोलकाता	1
---	---	---

वाणिज्य मंत्रालय

2	केंद्रीय गृह उद्योग निगम लि०, नई दिल्ली	1
3	फाल्टा निर्यात प्रसंस्करण जोन, कोलकाता	2
4	भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर	1
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लि०, उटकमण्डलम	1

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

6	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर ।	1
---	--	---

वित्त मंत्रालय

7	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद	1
---	---	---

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

8	राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान, कोलकाता	1
---	--	---

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

9	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	1
10	भारतीय अग्रवर्ती शिक्षण संस्थान, शिमला	1

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

- 11 महानिदेशक , ऑल इण्डिया रेडियो, नई दिल्ली 1

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 12 भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली 1
13 अनुप्रयुक्त सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियान्त्रिकी एवं
अनुसंधान समिति, मुम्बई । 1
14 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलोर 1
15 भारतीय इलेक्ट्रानिकी अभिकल्प तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र, गोरखपुर 1
16 इलेक्ट्रानिकी प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र, पुणे 1

श्रम मन्त्रालय

- 17 महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान, मुम्बई । 1

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय

- 18 इंजिनियर्स इण्डिया लि० नई दिल्ली 1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- 19 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली 1
20 भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलोर 1
21 रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलोर 1
22 अन्तर्राष्ट्रीय चूर्ण धात्विकी एवं नव्य सामग्री
अग्रवर्ती अनुसंधान केन्द्र , हैदराबाद 1

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं जहाजरानी मन्त्रालय

- 23 मुम्बई पत्तन न्यास मुम्बई
24 भारतीय ड्रेजिंग निगम लि०, विशाखापट्टनम 1
25 मोरमुगांव पत्तन न्यास, गोवा 1

इस्पात एवं खान मंत्रालय

- 26 खनिज खोज निगम लि०, नागपुर 1

वस्त्र मंत्रालय

27 राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि०, कोलकाता 1

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

28 भारत सरकार, क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, दुबई 1

शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

29 राष्ट्रीय सहकारी हाऊसिंग परिसंघ, नई दिल्ली । 1

30 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली 1

जल, संसाधन मंत्रालय

31 सरदार सरोवर विनिर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा 1

32 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की 1

33 भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, चण्डीगढ़ 1

आणविक ऊर्जा विभाग

34 भारतीय दुर्लभ मृदा लि०, मुम्बई 1

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2000 में आयोजित पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची

क्रम सं०	विभागीय अभिलेख अधिकारी का नाम	प्रायोजक प्राधिकारी का नाम
1	2	3
1.	श्री हर गोपाल	लेखन सामग्री नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता
2.	श्री ईश्वर चन्द	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
3.	श्री मोहिन्दर कुमार	व्यय विभाग, नई दिल्ली
4.	श्री नागेश महाजन	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
5.	श्री सागर मेहरा	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली
6.	श्री राम कुमार भोरिया	डाक विभाग, नई दिल्ली
7.	श्री आर एल खन्ना	डाक विभाग, नई दिल्ली
8.	श्री आर एल सहगल	हडको, नई दिल्ली
9.	श्री नोएल किन्दो	एन बी सी सी, नई दिल्ली
10.	श्री वसंत रामचन्द्र हारले	इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण एवं विकास केन्द्र सालिगांव, गोवा
11.	श्री एन सान्था	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई
12.	श्री शिवरामकृष्णन	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय I मण्डल, चेन्नई II कमिशनरात
13.	डा० टीकम दास खत्री	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
14.	श्रीमती पी० सान्था कुमारी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होसर मण्डल I, होसर
15.	श्री एम जे जॉर्ज	अखिल भारतीय (अभि०) मुम्बई
16.	श्री के पी कुटप्पन	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पुणे-1, कमिशनरात, पुणे
17.	श्री ए एन कावले	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर
18.	श्री वरेन्द्र गुप्ता	उर्वरक विभाग, नई दिल्ली
19.	श्री डी भास्कर राय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त IV मण्डल, बंगलूर
20.	श्री जे मुन्नीस्वामी	उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलूर
21.	श्री एस के रघुनाथ	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूर
22.	श्री अजीत सिंह मेन्दीस्ता	माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग (डी एच आर डी), नई दिल्ली
23.	श्री एम एस अय्यर	मैगनीज अयस्क (भारत) लि०, नागपुर
24.	श्री डी आर बाबारिया	एयर इंडिया, मुम्बई
25.	श्री आर बी देसाई	एयर इंडिया, मुम्बई
26.	श्री आर ए भावे	एयर इंडिया, मुम्बई
27.	श्री आर एम पवार	एयर इंडिया, मुम्बई

28.	श्री अजय एन सिंह	इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स
29.	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	डी ई एस आई डी ओ सी , दिल्ली
30.	श्री एस एलंगो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, बंगलोर
31.	श्री एम एस साली	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद
32.	श्री चटर्जी	प्रादेशिक शिक्षता एवं प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद
33.	श्री एस ससी कुमार	श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम
34.	श्री सतीश कुमार वशिष्ठ	प्रादेशिक श्रम आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली
35.	श्री सी एच सम्पत कुमार	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास, विशाखापट्टनम
36.	श्री बी डी जोशी	डी इ एस आई डी ओ सी, दिल्ली
37.	श्री बी टी राजन्ना	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर
38.	श्री राघवेन्द्र कट्टी	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर
39.	श्री ज्वाला प्रसाद	उत्तर क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार
40.	लेफि० माणिकन्दन वी	बंगाल इंजिनियरिंग गुप रिकार्ड्स (बी ई जी), रूड़की (यू० पी०)
41.	मेजर आर ए यादव, डी ए ए जी	सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
42.	श्री पी एल शशीधरन नैयर	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
43.	श्री एम एन पात्रा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, भुवनेश्वर । कमिश्नरात, भुवनेश्वर
44.	लेफि० कमल किशोरे	आर ए जे आर आई एफ , दिल्ली कैंट -10
45.	श्री वाई पी ओबराय	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र नजफगढ़, नई दिल्ली
46.	श्री प्रदीप बन्दोपाध्याय	भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी संस्थान (आई आर आई ई ई) नासिक रोड
47.	श्री जेड बादया नाईक	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, गुन्टूर
48.	श्री वी बी पाध्या	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर
49.	श्री ए पाण्डुराय	प्रादेशिक श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय, चेन्नई
50.	श्री टी जे राजेश्वरी	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर
51.	श्री ए के साहा	सांख्यिकी विभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, सी एस ओ (15 विंग) कोलकाता
52.	श्री रास बिहारी सरन	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
53.	श्री लक्ष्मण स्वरूप	प्रबंध सेवा निदेशालय (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) नई दिल्ली
54.	श्री वी वेन्कटेश	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर
55.	श्री बी पी पालाय	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर

56.	श्री एन वी चलपटी	व्हील एवं एक्सल प्लांट, बंगलोर
57.	श्री सुशील कुमार	डी जी ई एण्ड टी, नई दिल्ली
58.	श्री गोपाल राम	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
59.	श्री ए एस ब्राल	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली
60.	श्री एच बी जोशी	उष्ण कटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
61.	श्री एम चन्द्रन	चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई
62.	डॉ० ई वी फिल्मन	उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
63.	श्री जे आर नागपाल	कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
64.	श्री गयाधर किसन	मुख्य महापोस्टमास्टर कार्यालय, उड़ीसा सर्कल, भुवनेश्वर
65.	श्री के के शर्मा	केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, बल्लभपुर, कोलकाता
66.	श्री वी सी चापेकर	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर
67.	श्रीमती अंजली मोहन	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर
68.	श्रीमती आशा चन्द्रकान्त भोपे	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर
69.	सुश्री पी ए मिनी	राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान कार्यालय, बंगलोर
70.	श्री ओम प्रकाश	भारतीय खान विद्यालय, धनबाद
71.	श्री विनेश पचनंदा	श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़
72.	श्री फूल चन्द्र	वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून
73.	श्रीमती एन राजम्मा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, त्रिचूर
74.	श्रीमती पी सुन्दरम्बल	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कालीकट
75.	श्री पी सी राजलक्ष्मी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कालीकट
76.	श्रीमती पी एस सान्थम्मा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कालीकट
77.	श्रीमती एस तुलसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, कोजीकोड
78.	श्री के टी कनकराजन	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, कन्नोर
79.	श्री सी अरुमुघन	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, पालक्काड
80.	श्री सी वी पृथ्वीराज	सहायक आयुक्त कार्यालय, विशेष सीमा शुल्क प्रभाग, कोजीकोड
81.	श्रीमती पी वी सुजाता	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, कोचीन
82.	श्री एम एन गोविन्दकुट्टी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सहायक आयुक्त कार्यालय, कोट्टायम प्रभाग, कोट्टायम
83.	श्रीमती लता शरत	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य कार्यालय, कोचीन
84.	श्रीमती टी वी अन्नाम्मा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त कार्यालय, कोट्टायम प्रभाग, कोट्टायम

85.	श्रीमती सी एच बी भ्रमरम्बा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, गुन्टूर
86.	श्रीमती पी ईश्वरम्मा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय
87.	श्रीमती बी ई विजयम्मा	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, गुन्टूर
88.	श्रीमती पी निर्मला कुमार	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, नल्लोर
89.	श्री ए सुब्बाराव	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, तिरुपति
90.	श्री एम श्री रामचन्द्रा मूर्ति	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, इलूरु
91.	श्री डेविड राज	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, विजयवाडा
92.	श्रीमती टी कल्याणी कुट्टी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सहायक आयुक्त एरनकुलम I, प्रभाग, कोचीन
93.	श्रीमती टी पी श्यामला देवी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त कार्यालय, मुवत्तुपुज
94.	श्री के नन्द कुमार	सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय का कार्यालय, कालीकट

Third Report
of the
Director General of Archives
on the Implementation of the
Public Records Act, 1993

2000



Government of India
National Archives of India
New Delhi
2002

CONTENTS

1.	INTRODUCTORY	1
2.	ANALYSIS OF THE DATA: GENERAL OBSERVATIONS	2
3.	DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS	3
✓ 4.	DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS	7
5.	SHARING OF SPACE	11
6	RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI CURRENT RECORDS	12
7	INDEXING OF RECORDS	17
✓ 8	COMPILATION OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS	21
9	DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS	25
10	DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES	30
✓ 11	ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	34
✓ 12	ORGANISATIONAL HISTORY	38
✓ 13	MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS	42
14	APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS	43
15	REFERENCE MEDIA	44
16	ACCESSIONS/ACQUISITIONS	45
17	VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS	47
18	ADVISORY WORK	48
19	TRAINING	49
20	ARCHIVAL AWARENESS	52
21	PRIORITIES	55

ANNEXURES

ANNEXURE - I

List of Ministries/Departments/Offices who have furnished information on the Implementation of the Public Records Act, 1993.	57
--	----

ANNEXURE - II

List of Public Sector Undertakings/Statutory Bodies who have furnished information on the implementation of the Public Records Act, 1993.	64
---	----

ANNEXURE - III

List of Organisations who have furnished half-yearly returns on the progress made by them in Recording, Reviewing and Indexing of Semi-Current Records.	66
---	----

ANNEXURE - IV

List of Organisations who have furnished half-yearly returns on De-Classification of Classified Records.	73
--	----

ANNEXURE - V

List of the Departmental Records Officers who have attended five day orientation Course on Records Management during 2000.	81
--	----

INTRODUCTORY

1.1 Rule 8(2) of the Public Records Rules, 1997 stipulates about the submission of Annual Report by the Director General of Archives, Government of India, Ministry of Human Resource Development (now Ministry of Tourism and Culture) every year on the action taken by the Records Officers in pursuance of clauses (a) to (e) of sub-section 1 of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter no.16-12/2001-RM dated 9th April 2001 was issued to 1918 records creating agencies i.e. Ministries/Departments, Attached and Subordinate offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc, requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2000 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act.

1.2 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2000 on the following aspects: -

- 1 Setting up organised Departmental Record Rooms, Nomination of Records Officers;
- 2 Training of Records Officers and Staff;
- 3 Sharing of space for housing semi-current records, periodical recording, reviewing and weeding out of semi-current records;
- 4 Appraisal of non-current records;
- 5 Compilation/revision of Retention Schedule of Records; Periodical review of classified records;
- 6 Compilation of Annual indices to records, Compilation of Organisational history and
- 7 Transfer of Records of Defunct Bodies etc to National Archives of India.

1.3 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

ANALYSIS OF THE DATA

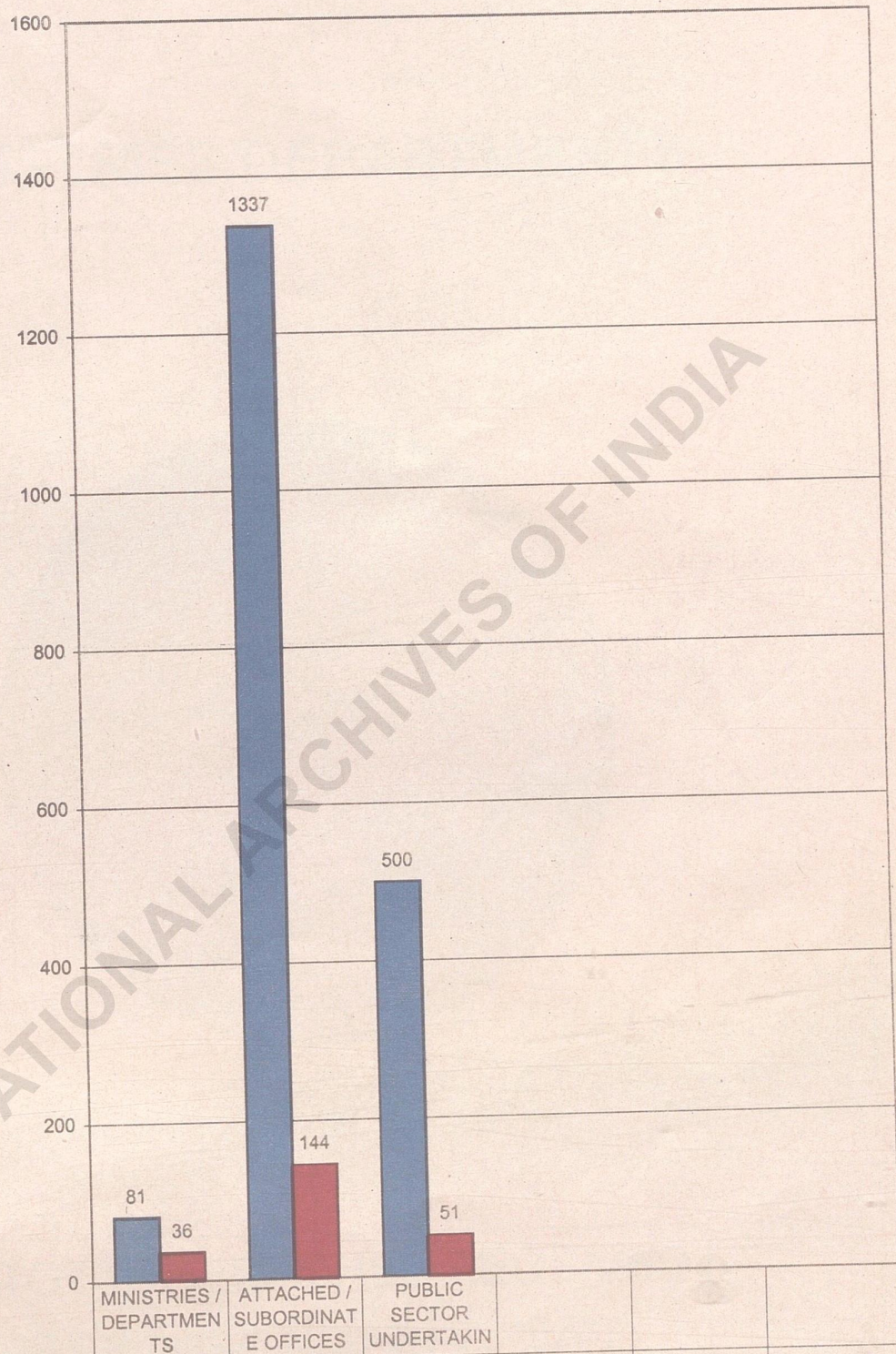
GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of the Public Records Act, 1993 for the year 2000 was sought from 1918 Ministries/ Departments/ Attached/ Subordinate Offices/Public Sector Undertakings, etc of the Government of India. Replies were received from 231 Organisations only. Information received in response to Circular No.16-12/2001-RM dated 9th April 2001 is indicated below in tabulated form: -

Records Creating Agencies	Total no. of organisations	Total response Received
Ministries/Departments	81	36
Attached/Subordinate Offices	1337	144
Public Sector Undertakings etc	500	51
Total	1918	231

2.1 The analysis of the above data indicates that though the response of the records creating agencies has slightly improved from my previous report in this year as 36 Ministries/Departments against 19, 144 Attached and Subordinate Offices and 51 Public Sector Undertakings against 89 and 49 respectively in 1999 have responded to the Circular letter. But in no way, this can be termed as satisfactory as the total response comes to 12.04% only. Obviously, 87.6% have not responded at all. Keeping this in view, may I reiterate that the records creating agencies should re-consider their approach towards records management programme and regulate various activities pertaining to this aspect in accordance with the provisions of the Public Records Act, 1993. Further, I would also like to state that the records creating agencies should also ensure timely submission of information to the National Archives of India in this regard.

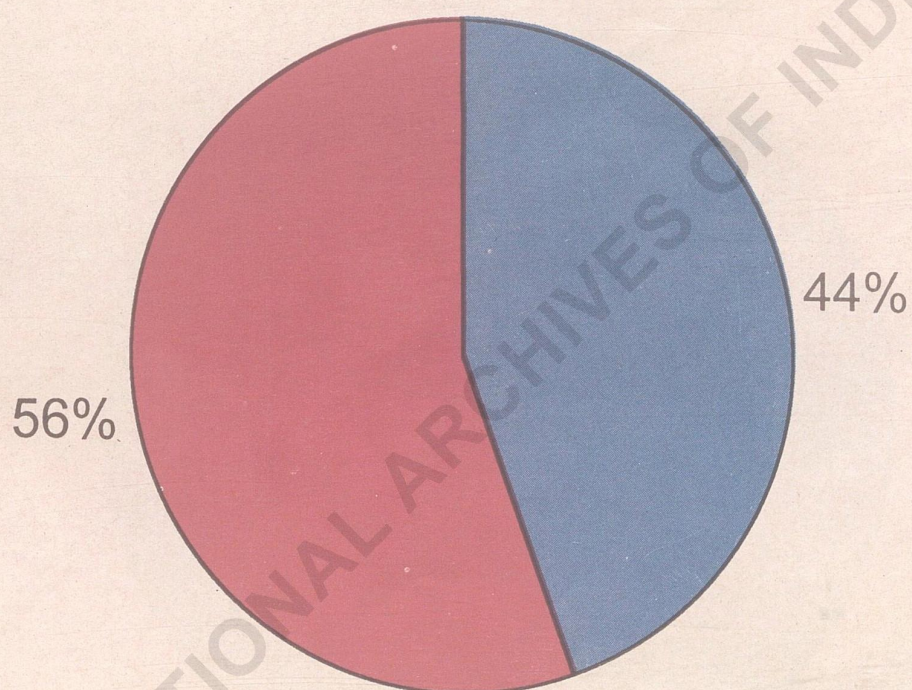
2.2 The Ministries/Departments/Offices which have furnished information for incorporation in this report may be seen in **Annexure I** and the Public Sector Undertakings in **Annexure II**.



■ TOTAL NO. OF ORGANISATIONS	81	1337	500			
■ TOTAL RESPONSE RECEIVED	36	144	51			

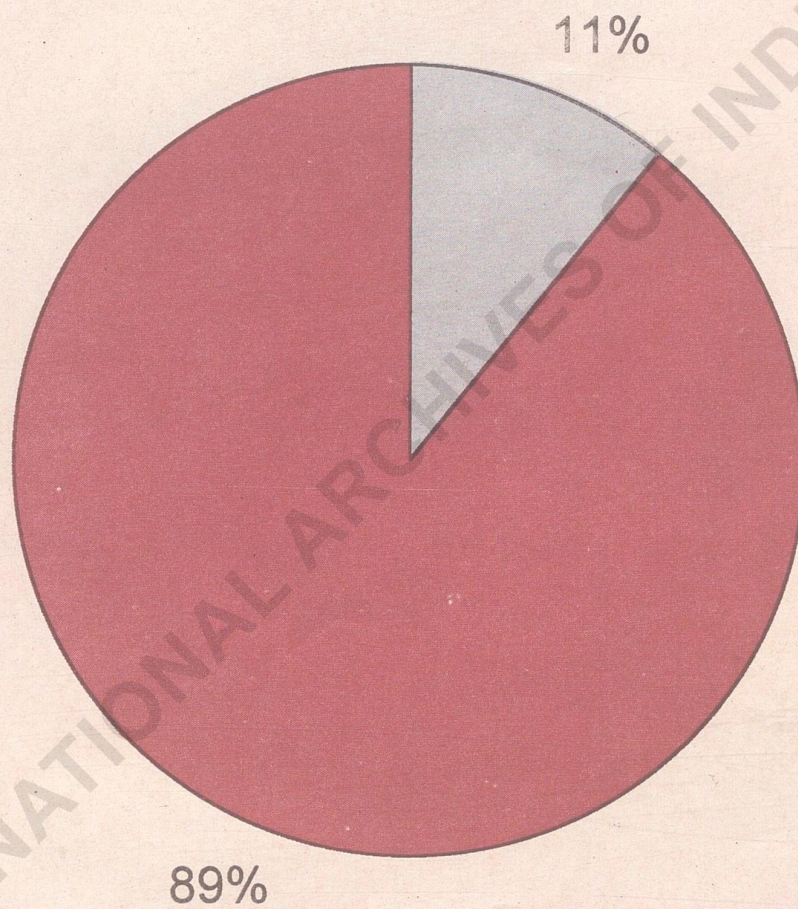
■ TOTAL NO. OF ORGANISATIONS ■ TOTAL RESPONSE RECEIVED

MINISTRIES/DEPARTMENTS



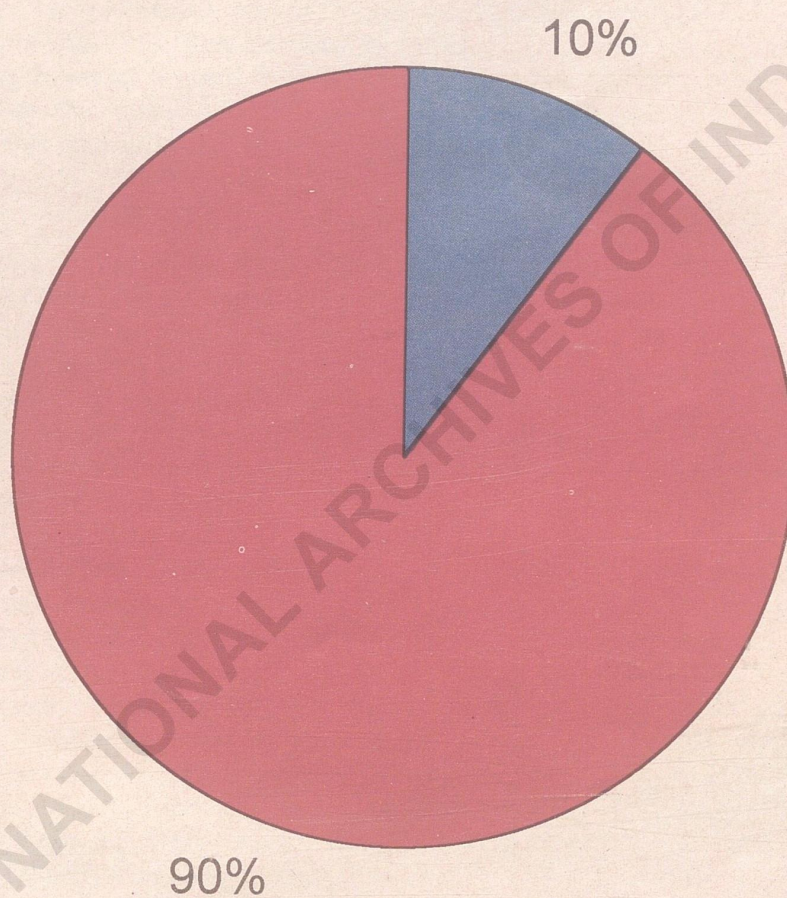
■ TOTAL RESPONSE RECEIVED
■ RESPONSE NOT RECEIVED

ATTACHED/SUBORDINATE OFFICES



■	TOTAL RESPONSE RECEIVED
■	RESPONSE NOT RECEIVED

PUBLIC SECTOR UNDERTAKING



■ TOTAL RESPONSE RECEIVED
■ RESPONSE NOT RECEIVED

DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS

3.1 According to sub section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 all records creating agencies should set up their Records Rooms for housing their semi-current records properly. Departmental Records Rooms should be well organised for better records management under the charge of a Record Officer. The main purpose is to preserve the records of enduring value scientifically and take timely action for their reviewing, indexing and weeding out those records which are no longer required to be retained. National Archives of India has been drawing the attention of records creating agencies repeatedly to set up Records Rooms in their Organisations. However, response received in this behalf reveals that more efforts are required to be made towards this vital aspect of records management.

3.2 In all, 210 Ministries /Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information. Out of this 159 are Ministries/Departments/Offices and 51 are Public Sector Undertakings. The detailed analysis of information received in this regard is delineated in the following manner:- 94 Ministries/Departments/offices have reported that they have well organised Departments Records Rooms. These are:- President's Secretariat, Prime Minister's Office, Ministries of Agriculture, Civil Aviation, Coal, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Health and Family Welfare, Labour, Petroleum & Natural Gas, Power, Railways, Shipping, Steel, Textiles, Urban Development and Poverty Alleviation and Water Resources, Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Personnel and Training, Chemicals and Petrochemicals, Economic Affairs, Expenditure, Food and Public Distribution, Heavy Industry, Industrial Policy and Promotion, Posts, Revenue, Supply and Women and Child Development, Air Headquarters, Planning Commission, Directorate General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Supplies and Disposals, Medical Services (Air), Directorate of Management Services, All India Soil and Land Use Survey, National Sample Survey Organisation and Town and Country Planning Organisation, all in New Delhi; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, B.C.G Vaccine Laboratory, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Training Institute for Instructors, all in Chennai; Office of the Commissioner of Income Tax, Central Statistical Organisation, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Office of Development Commissioner for Iron and Steel, Office of the Jute Commissioner and Port Health Organisation, all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Directorate of Cotton Development, Forward Markets Commission, Office of the Commissioner of Central Excise, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Advanced Training Institute, all in Mumbai; Office of the Official Liquidator, High Court Allahabad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (Dist Anantpur); Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad; Department of Space, Branch Secretariat (Department of Legal

Affairs), National Tuberculosis Institute and Office of the Deputy Chief Labour Welfare Commissioner, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Regional Office of the Ministry Health and Family Welfare, Bhopal; Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy sources, Bhubaneswar; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Surveyor General's Office, Dehradun; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad; Fishery Survey of India, Marmagoa; Nuclear Fuel Complex and Regional Directorate of Apprenticeship Training both in Hyderabad; Office of the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur; Office of the Salt Commissioner and Electronics Test Development Centre both in Jaipur; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur and Indian Bureau of Mines, Nagpur; Postal Training Centre and Office of the Postmaster General, Southern Region both in Madurai; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu, Panaji; Offices of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur, Hyderabad, Nagpur and Vadodara; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi and Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram.

3.3 The following 17 Ministries/Departments/Offices have stated that their Records Rooms are not fully organised. These are:-Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Commerce, Airport Health Organisation, IGI Airport and Headquarters, National Security Guard all in New Delhi; Fishery Survey of India, Chennai and Visakhapatnam; Government Medical Store Depot, Chennai; Directorate of Jute Development and Central Reference Library both in Kolkata; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) and Office of the Commissioner of Income Tax both in Ahmedabad; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi; National Fire Service College, Nagpur and Office of the Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Allahabad.

3.4 The following 8 Ministries/Departments/Offices have informed that they do not have separate Departmental Records Rooms. These are:- Ministry of Parliamentary Affairs and Directorate of Education (Air Headquarters) both in New Delhi; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Kolkata and Surat; Fishery Survey of India, Mumbai and Port Blair; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore and Office of the Chief Postmaster General, Orissa Circle, Bhubaneswar.

3.5 The following 3 offices have informed that they do not feel it necessary to have separate Records Rooms. These are:- Computer Centre (Ministry of Statistics and Programme Implementation) New Delhi; Vocational

Rehabilitation Centre for Handicapped, Allahabad; and Central Government Health Scheme, Jabalpur.

3.6 Following 37 Offices have furnished 'NIL' and vague replies. These are:- Armed Forces Film and Photo Division, Coast Guard headquarters, Office of the Commissioner, Central Excise, Delhi-I Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 & Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, New Delhi and Mumbai; Central Food Laboratory and Staff Selection Commission (Eastern Regional Office) both in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India and Office of the Chief Commissioner, Income Tax both in Mumbai; Central Herd Registration Scheme, Ongole (A.P), Office of the Regional Labour Commissioner, Regional Offices of Ministry of Health and Family Welfare, Hyderabad and Shimla; Directorates of Marketing and Inspection, New Delhi, Lucknow, Hyderabad, Surat, Nasik Road, Tirupur and Visakhapatnam; Offices of the Postmaster General, Western Region, Tamil Nadu, Coimbatore; Goa Region, Panaji; N.K Region, Dharwad; Pune Region, Pune; Postal Training Centre, Vadodara; Office of the Chief Commissioner, Income Tax, Kerala, Kochi; Office of the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad; Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur; Office of the Additional Director General, Central Government Health Scheme, Bangalore; Port Health Organisation, Mandapam; Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/St, Jowai; Offices of the Assistant Labour Commissioner, Bellary and Faridabad, Fishery Survey of India, Porbandar; Regional Offices of Ministry of Environment and Forests, Lucknow and Shillong and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kochi.

3.7 The undermentioned 28 Public Sector Undertakings have informed that they have well organised Records Rooms. These are:- Madras Fertilizers Ltd and Cargo Handling Division, both in Chennai; Uranium Corporation of India Ltd., Tata Institute of Fundamental Research; Electronics Regional Testing Laboratory (West), Mumbai Port Trust and Mazagaon Dock Ltd, all in Mumbai; Centre for D.N.A Finger Printing and Diagnostics and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials both in Hyderabad; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur; Harishchandra Research Institute, Allahabad; National Institute of Financial Management, Faridabad; Centre for materials for Electronics Technology, Pune; Mormugao Port Trust, Goa; and Cochin; Special Economic Zone, Kochi; Brahmaputra Board, Guwahati; Indian Petrochemicals Corporation, Vadodra; AIR, (News Service Division), Director General (AIR), Central Monitoring Services all in New Delhi; Prasar Bharti (AIR), Jaipur, Gulbarga, Goa, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry and Tuticorin.

3.8 The other 4 Public Sector Undertakings have informed that the work is under progress. These are:- Software Technology Parks of India, New Delhi; Indian Rare Earths Ltd., Mumbai; Indian Institute of Tropical & Meteorology, Pune and North Eastern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur (Assam)

3.9 Chennai Port Trust, Chennai, has informed that they are following their own method.

3.10 The other category of 18 Public Sector Undertakings have forwarded 'NIL' reports. These are :- Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; The Institute of Mathematical Science, Chennai; Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Memorial Centre and Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; Centre for Development of Advanced Computing, Pune; Diesel Component Works, Patiala; Prasar Bharti (AIR), Chennai, Shimla, Gwalior, Patna, Guna, Karaikal, Jamshedpur, Chaibasa, Calicut, Balangir and Thiruvananthapuram.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as a Records Officer to discharge the functions of Records Officers. Rule 3 of the Public Records Rules, 1997 further envisages that the records officer should not be below the rank or grade of a Section Officer and a copy of such order shall be forwarded to the Director General of Archives. Needless to mention here that it is the first step for evolving a sound Records management system in an organisation as it will ensure proper discharging of the responsibilities assigned to the Departmental Records Officers under Section 6(1) of the Public Records Act, 1993. It is the duty of the Departmental Records Officers to co-ordinate and guide the Sections/Branches/Divisions of their respective organisations as well as liaising with the Director General of Archives regarding the compilation of records Retention Schedule of substantive functions, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation. Taking this into consideration, National Archives of India has requested all the Organisations falling under the purview of the Act to nominate Departmental Records Officer at their earliest. So far, 570 Organisations including Public Sector Undertakings have nominated one of their officers as Records Officer. The response received in this behalf is as summarized below:-

4.1 In all, 203 Organisations have furnished the requisite information out of which 153 are Ministries/Departments/ Offices and 50 are Public Sector Undertakings. Following Ministries/Departments/Offices numbering 32 have informed that they have full time trained Departmental Records Officers. These are :- Ministries of Agriculture, Coal, Defence, Environment and Forests,, Parliamentary Affairs, Petroleum, Steel, Textiles, Railways, Water Resources and Youth Affairs and Sports, Departments of Fertilizers, Chemicals and Petro-Chemicals, Commerce, Heavy Industry, Industrial Policy and Promotion, Posts, Supply, Public Distribution, Women and Child Development, Directorate of Pers & Planning of Air Headquarters, Directorates General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Regional Agmark Laboratory of Directorate of Marketing and Inspection, National Sample Survey Organisation, Coast Guard Headquarters and All India Soil and Land Use Survey, all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Kolkata, Marketing and Inspection and Cashewnut and Cocoa Development both in Cochin, Arecanut and Spices Development, Calicut; Office of the Postmaster General Bhubaneswar and Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

4.2 In all 91 Ministries/ Departments/Offices have reported that Officers of the rank of Section Officers, Junior Analysts, Assistant Personal Officers, Administrative Officers, Assessing Officers, Scientific Officers, Engineers, Under Secretaries, Joint Directors are supervising the work of Departmental Records Rooms. These are :- Ministries of Agriculture, Civil Aviation, Coal,

Environment and Forests, External Affairs, Labour, Petroleum and Natural Gas, Parliament Affairs, Power, Railways, Shipping, Steel, Textiles, Urban Development and Poverty Alleviation, Water Resources and Youth Affairs and Sports, Departments of Chemicals and Petro-Chemicals, Commerce, Expenditure, Economic Affairs, Food and Public Distribution, Heavy Industry, Industrial Policy and Promotion, Legal Affairs, Posts, Supply, Revenue, Women and Child Welfare, Personnel and Training and Administrative Reforms and Public Grievances, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Office of the Director General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Supplies and Disposals, Department of Management Service (Ministry of Defence), All India Soil Land Use Survey, Armed Forces Film and Photo Division, Authority for Advance Rulings (Department of Revenue), Airport Health Organisation, Delhi Airport, Headquarter, National Security Guard, National Sample Survey Organisation and Computer Centre (Ministry of Statistics and Programme Implementation) all in New Delhi; Government Medical Store Depot and B.C.G Vaccine Laboratory both in Chennai; Central Reference Library, Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Central Statistical Organisation, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Development Commissioner of Iron and Steel and Office of the Jute Commissioner all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission and Advanced Training Institute all in Mumbai; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax, Mumbai, Cochin and Pune, Office of the Commissioner Customs and Central Excise, Mumbai, Nagpur, Vadodara, Raipur, Belgaum, Chandigarh and Hyderabad, Department of Space, Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and National Tuberculosis Institute all in Bangalore; National Fire Service College and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Central Herd Registration Scheme, Ongole, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin; Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad; Directorate of Marketing and Inspection, Regional Office (Central) of Ministry of Environment and Forests both in Lucknow; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Regional Office (North-East) of Ministry of Environment and Forests, Shillong; Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Bhopal; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Welfare Commissioner, Allahabad; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi; Director General of Mines Safety, Dhanbad; Nuclear Fuel Complex and Regional Directorate of Apprenticeship Training both in Hyderabad; Office of the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur; Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Surveyor General's Office, Dehra Dun.

4.3 Ministry of Defence and Home Affairs both in New Delhi have placed their Records Rooms under the charge of Assistant/Assistant Archivist.

4.4 The following 6 offices have placed their Records Rooms under the charge of UDCs, LDCs, Daftaries and Records Keepers. These are:- Directorate of Education of Air Headquarters, New Delhi; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Training Institute for Instructors all in Chennai;

Directorate of Cotton Development, Mumbai and Office of the Deputy Chief Labour Commissioner, Bangalore.

4.5 Directorate of Pulses Development, Bhopal has informed that there is no Records Officer at present. It is a subordinate office of Ministry of Agriculture and Cooperation. Being small Organisation, there seems to be no need to nominate any one as Records Officer. Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore has stated that their's being small office they do not maintain Records Room.

4.6 The other 52 Ministries/offices have given Vague/'NIL' replies or have stated that it is not applicable to them. These are:- Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Medical Services (AIR), Regional Agmark Laboratory all in New Delhi; Central Food Laboratory and Staff Selection Commission both in Kolkata; Office of the Regional Labour Commissioner, Hyderabad; Fishery Survey of India, Chennai, Mumbai, Port Blair, Porbander, Marmagoa, Visakhapatnam, Office of the Assistant Labour Commissioner, Bellary and Faridabad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (District Anantpur); Directorate of Marketing and Inspection, Tirupur, Surat, Hyderabad and Visakhapatnam; Postal Training Centre, Vadodara and Madurai, Offices of the Postmaster General, Pune region, Pune; N.K.Region, Dharwad; Goa Region, Panaji, Western Region (Tamil Nadu), Coimbatore; Southern Region (Tamil Nadu) Madurai and (Kerala Circle), Trivandrum; Offices of the Commissioner, Central Excise, New Delhi and Aurangabad; Offices of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 and Narcotic Drugs Psychotropic Substances Act, 1985, New Delhi and Mumbai; Offices of the Commissioner of Income Tax (Appeals) and Commissioner of Income Tax-IX, Ahmedabad and Kolkata; Central Government Health Scheme, Mumbai, Bangalore and Jabalpur; Port Health Organisation, Kolkata and Mandapam; Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur; Regional Offices of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla and Hyderabad; Central Drug Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Ahmedabad, Jabalpur and Mumbai; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Surat and Jowai; Office of the Official Liquidator, High Court, Allahabad; Office of the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu, Panaji and Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources, Bhubaneswar.

4.7 As regard the appointment of Departmental Records Officers in Public Sector Undertakings/Statutory Bodies, the position is as follows: -

The 28 Public Sector Undertakings who have full time Departmental Records Officers are:- News Service Division and Director General, AIR both in New Delhi; Cargo Handling Division and Madras Fertilizers Ltd., both in Chennai; Indian Rare Earths Ltd., Uranium Corporation of India, Tata Institute of Fundamental Research, Saha Institute of Nuclear Physics, Electrical Regional Test Laboratory (West), Mumbai Port Trust and Mazagaon Dock Ltd, all in Mumbai; Centre for D.N.A Finger Printing and Diagnostic and International Advance Research Centre for Powder Metallurgy and New

Materials both in Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Ltd. and Central Board for Workers Education both in Nagpur; Centre for material for Electronics Technology and Centre for Development of Advanced Computing both in Pune; Harish Chander Research Institute, Allahabad; National Institute of Financial Management, Faridabad; Mormugao Port Trust, Goa; Cochin Special Economic Zone, Kochi; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra; Brahamputra Board, Guwahati; Prasar Bharti, Thiruvanthapuram, Jaipur, Goa, Pondicherry, Tuticorin.

4.8 Software Technology Parks of India and Central Monitoring Service both in New Delhi and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune have informed that the appointment of Departmental Records Officer is under process.

4.9 Chennai Port Trust, Chennai has given vague reply by stating that it is following its own procedure.

4.10 Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Institute of Mathematical Science, Chennai; Metropolitan Transport Project (Railway), Mumbai; Diesel Components Works, Patiala, North Eastern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute Sonitpur (Assam); Prasar Bharti (AIR), Chennai, Chaibasa, Calicut, Imphal, Karaikal, Gulbarga, Jamshedpur, Bhagalpur, Balangir, Shimla, Gwalior, Patna, Guna, have forwarded 'NIL' report.

SHARING OF SPACE

The longevity of records depends on the conducive conditions to be provided by the records creating agencies for proper up-keep and preservation of records. However, it has been observed that some of the records creating agencies are housing their semi-current records in the almirahs or corridors of their building due to shortage of space which is unscientific and harmful. To deal with this problem of shortage of space and to ensure that the records are preserved in a proper scientific manner till such time, the records creating agencies are able to set up their Departmental Records Rooms, National Archives of India has been offering to all the Organisations of the Government of India to share space in its Annexe Building and also at its Regional Office, Bhopal and Records Centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar.

5.1 In all 216 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information in this regard. Out of which 165 Central Government Offices and 51 Public Sector Undertakings have sent information. As regards the Central Government Offices 153 Organisations have given negative response and only 12 offices have reported that they are willing to share space in the Annexe Building of National Archives of India and its Regional Records Centres. Details of replies are as follows:- Ministry of Coal as well as Ministry of Health and Family Welfare have informed that they are ready to share space in the Annexe Building of National Archives of India. Department of Economic Affairs, New Delhi has stated that the issue will be examined in view of manpower being available for bringing records so as to maintain security during transit. Department of Food and Public Distribution, New Delhi is willing to share space for 1578 files in the Annexe building of National Archives of India while Department of Heavy Industry, New Delhi wants to share space for 37 files. Department of Space, Bangalore has stated that decision to share space in National Archives of India is yet to be considered. Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Kolkata has stated that Bhubaneswar being the nearest records centre, they would prefer to share the space with it while office of the Salt Commissioner Jaipur wants to share space at Record Centre Jaipur, National Archives of India. Office of the Chief Postmaster General, Orissa Circle, Bhubaneswar is also willing to share space for its 234 files at Record Centre, Bhubaneswar. Similarly, National Atlas Thematic Mapping Organisation, Kolkata would like to share space at Record Centre, National Archives of India, Bhubaneswar. Office of the Assistant Labour Commissioner, Faridabad intends to transfer 100 files for preservation at National Archives of India, New Delhi. Central Herd Registration Scheme, Ongole (A.P.) is also willing to share space for its records.

5.2 Out of 51 Public Sector Undertakings who have furnished information for sharing space in National Archives of India, Annexe Building, Regional Centres, only 2 organisations i.e. Prasar Bharti (All India Radio), Jaipur and Imphal have informed they are willing to share space. The remaining 49 Public Sector Undertakings have shown their unwillingness.

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

Recording, Reviewing and Weeding of Semi-current records is one of the essential items of the Records Management Programme in any Organisation. Timely action in this regard, not only helps in eliminating the records of ephemeral nature but at the same it assists the records creating agencies to enforce proper management, upkeep and maintenance of records of enduring value. Under Section 6(1)(b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 9 of the Public Records Rules, 1997, it is provided that no public record shall be destroyed without being recorded and reviewed by the records creating agency. To monitor the action taken in this regard, National Archives of India has been requesting the records creating agencies to furnish half-yearly returns regularly. In response to a Circular letter No.16-5/2001-RM dated 11th July, 2001, 92 Ministries/Departments/Offices of the Government of India have furnished half yearly returns in this behalf during the period under report. Please see Annexure III (A) for details.

6.1 Reports for half yearly returns on the progress made in Recording, Reviewing, Weeding of semi-current records have been received from the Ministries of Defence, External Affairs, Home Affairs including Department of Justice, Jammu and Kashmir Affairs and Official Language, Mines, Parliamentary Affairs, Railways, Road Transport and Highways, Shipping, Textiles, Urban Development and Poverty Alleviation and Water Resources, Departments of Telecommunications, Chemicals and Petrochemicals, Industrial Policy and Promotion, Economic Affairs, Culture, Secondary Education and Higher Education, Elementary Education and Literacy and Scientific and Industrial Research, Planning Commission, Office of the Chief Controller of Accounts (Ministry of Defence), Office of the Director General, Armed Forces Medical Services, Competent Authority, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, Airport Health Organisation, Director General Border Security Force, Zonal Councils Secretariat, Headquarter National Security Guard, National Institute of Criminology and Forensic Science, Official Language (Ministry of Law, Justice and Company Affairs), National Sample Survey Organisation, Central Soil and Materials Research Station all in New Delhi; B.C.G Vaccine Laboratory, Chennai; Office of the Director, Central Food Laboratory, Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Statistical Organisation and Development Commissioner for Iron and Steel and Office of the Jute Commissioner all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Assistant Drugs Controller (India), Films Division, Central Board of Film Certification, Forward Markets Commission, Airport Health Organisation and Central Government Health Scheme all in Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad, Belgaum, Madurai, Nagpur & Raipur, Labour Welfare Organisation, Allahabad; Regional Vocational Training Institute for Women and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) both in Bangalore; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources),

Bhubaneswar; Proof and Experimental Establishment, Chandipur, (District Balasore); Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Bondinayakanur; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi; Office of the Regional Labour Commissioner (C), Regional Office (Northern Region) (Ministry of Environment and Forests) and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Survey of India, Dehradun; Offices of Save Grain Campaign, Ahmedabad, Hyderabad, Ghaziabad and Jaipur; Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati; Nuclear Fuel Complex and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy both in Hyderabad; Centre for Advanced Technology, Indore; Central Government Health Scheme, Jaipur and Jabalpur; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST Hissar, Jaipur, Jowai and Nagpur; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur; Office of the Registrar of Companies, U.P., Kanpur; Office of the Registrar of Companies, Kerala, Kochi; Regional Office (Central Region), (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road; Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile, Tura (Meghalaya); Ganga Flood Control Commission, Patna; Office of the Postmaster General, Goa region, Panaji; Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair; Office of the Deputy Director General of Foreign Trade and Office of the Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram both in Shillong; Regional Centre for Military Airworthiness, HAL, Korwa, District Sultanpur (U.P.); Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) and Indian Institute of Advanced Studies both in Shimla and Office of the Labour Enforcement Officer (Central), Tiruchirapalli.

6.2 Information in this regard was also received in response to our General Circular Letter No.16-12/2001-R.M dated 9th April, 2001 from 180 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings. Out of these, 132 are Government Organisations and 48 Public Sector Undertakings. As regards Government Organisations, 95 Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending the job of recording, reviewing and weeding of semi-current records, 23 have sent 'NIL' report, 4 Offices have intimated that this procedure is not applicable to them, 2 Offices have given vague reply. 2 Offices have informed that action is being taken, 2 Offices have reported that action will be taken in due course, 3 Offices have stated that is not possible for them to attend the work due to shortage of staff and 1 Office has reported that their Head Office may be contacted for getting information in this regard. Analysis of information received in this regard is detailed below:-

6.3 The following 95 Ministries/Departments/Offices have informed that they are attending the job of Recording, Reviewing and Weeding of Semi-current records. These are:-Ministries of Civil Aviation, Coal, Defence, Environment and Forests, External Affairs, Health and Family Welfare, Labour, Parliamentary Affairs, Petroleum and Natural Gas, Power, Railways, Road Transport and Highways, Shipping, Steel, Textiles, Urban Development and Poverty Alleviation, Water Resources and Departments of Agriculture and Co-operation, Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Economic

Affairs, Expenditure, Fertilizers, Food and Public Distribution, Heavy Industry, Administrative Reforms and Public Grievances, Personnel and Training, Posts, Revenue, Supply, Women and Child Development, Planning Commission, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Institute of Secretariat, Training and Management, Office of the Director General of Civil Aviation, Directorate General of Supplies and Disposals, All India Soil and Land Use Survey, Air Head Quarters, Directorate of Management Service (Ministry of Defence), Directorate General of Medical Services (Air), Directorate of Education (AIR), Armed Forces, Films and Photo Division, Directorate of Data Processing (Air Headquarters) Directorate of Research and Development Organisation, Computer Centre (Ministry of Statistics and Programme Implementation) Tariff Commission, Air Port Health Organisation, Office of the Director General Central Reserve Police Force, Office of the Director General, Central Government Health Scheme, Headquarter and National Security Guard all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Central Training Institute for Instructors and Government Medical Store Depot all in Chennai; Directorate of Jute Development, Office of the Commissioner of Income Tax, Central Food Laboratory and Central Reference Library, all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Deputy Commissioner of Income Tax (HQ), Forward Markets Commission and Advanced Training Institute (Ministry of Labour) all in Mumbai; Office of the Commissioner of Income Tax, Ahmedabad; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Mumbai, Aurangabad, Belgaum, Hyderabad and Raipur; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Cental Excise Commissionerate and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage and Office of the Assistant Labour Commissioner both in Faridabad; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Regional Office for Health and Family Welfare and Nuclear Fuel Complex both in Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow, Kochi, Nasik and Tirupur; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training both in Kochi; Office of the Post Master General, Southern Region (T.N) and Postal Training Centre both in Madurai; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Indian Bureau of Mines and National Fire Service College, both in Nagpur; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi; Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram and Central Excise and Customs Commissionerate, Vadodara.

6.4 The other category of 23 Offices which have furnished 'NIL' report are as under:- Coast Guard Headquarters and Office of the Commissioner of Central Excise both in New Delhi; Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) and Office of the Commissioner of Central Excise both in Ahmedabad; Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme and Random Sample Poultry Performance Testing Centre both in Bangalore; Regional Office for Health and

Family Welfare, Bhopal; Post Master General (Western Region), Coimbatore; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Electronics Test and Development Centre, Jaipur; Coaching cum-Guidance Centres for SC/ST, Jowai and Surat; Regional Office, (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji; Office of the Post Master General, Pune Region, Pune; Regional Office (Ministry of Environment and Forests) Shillong; Postal Training Centre, Vadodara and Directorate of Marketing and Inspection, Visakapatnam.

6.5 Authority for Advance Rulings (Ministry of Finance), New Delhi; Port Health Organisation, Kolkata, Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur and Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla have informed that the procedure is not applicable to them.

6.6 Office of the Commissioner of Income Tax, Gujarat II, Ahmedabad and Directorate of Marketing and Inspection Sub-Office Hyderabad have sent vague replies.

6.7 Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering, Chennai and Labour Welfare Organisation, Allahabad have informed that action is being initiated by them.

6.8 The other two Offices have informed that the action will be taken in due course are:- Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (Anantpur) District (A.P) and Cochin Special Economic Zone, Kochi.

6.9 Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme and Fishery Survey of India both in Kolkata and Kapas Vikas Nideshalaya, Mumbai have intimated that it is not possible for them to attend to this work due to shortage of staff.

6.10 Regional Agmark Laboratory, New Delhi has intimated that their Head Office may be contacted for getting information in this regard.

6.11 In all 48 Public Sector Undertakings have furnished information out of which 30 Public Sector Undertakings have mentioned that they are already doing the job, 1 is following its own procedure, 1 Public Sector Undertaking will be attending the work in due course and 16 have forwarded 'NIL' reports.

6.12 The Public Sector Undertakings numbering 30 who have intimated that they are attending the job are: Cargo Handling Division, Chennai; Indian Rare Earths, Ltd., Uranium Corporation of India, Saha Institute of Nuclear Physics; Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Mumbai; Port Trust and Mazagaon Dock Ltd. all in Mumbai; Harishchandra Research Institute Allahabad; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd. both in Nagpur; Mormugao Port Trust, Goa; Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune; International Advanced Research Centre for Powder, Metallurgy and New Materials, Hyderabad;

Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd, Vadodra; Director General, All India Radio, New Delhi, Prasar Bharti (All India Radio) New Service Division (Central Monitoring Service), New Delhi, Balangir; Shimla, Thiruvananthapuram; Jaipur, Karaikal, Gulbarga, Goa, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry, Tuticorin and Brahmaputra Board, Guwahati.

6.13 Chennai Port Trust, Chennai has stated that they are following their own procedures.

6.14 The other 16 Public Sector Undertakings which have sent 'NIL' reports are :- Council of Scientific and Industrial Research and Software Technology Parks of India both in New Delhi. The Institute of Mathematical Science, Chennai, Electronics Regional Testing Laboratory (West) and Metropolitan Transport Project (Railway) both in Mumbai; National Institute of Financial Management, Faridabad; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Diesel Components Works, Patiala; Centre for D.N.A Finger Printing and Diagnostics, Hyderabad; North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur (Assam) and Prasar Bharti (All India Radio) Gwalior, Chennai, Patna, Guna, Chaibasa and Calicut.

6.15 Madras Fertilizers, Ltd Chennai has stated that they would be attending the job in due course.

6.16 In response to a separate Circular Letter No.16-5/2001-RM dated 11 July, 2001 on the subject, 27 Public Sector Undertakings have furnished half-yearly returns on recording, reviewing and indexing which may be seen in Annexure III B.

INDEXING OF RECORDS

I have been emphasising in my earlier reports that the records creating agencies should give top priority for compiling indices to 'A' 'B' and C 10 categories of records so as to facilitate quick retrieval of information. However, the information received from the Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings in this regard shows that no appreciable change has taken place in the existing situation and this aspect of records management continues to remain unattended by the records creating agencies. It hardly needs to be stressed once again that in the absence of indices, it is difficult to retrieve information amongst the bulk of records which are accumulating day-by-day. The solution to quick retrieval of information lies only in preparing adequate indices to records. May, I, therefore, reiterate here that expert guidance being offered in this regard by the National Archives of India may be availed of by the Ministries/Departments, etc.

7.1 The National Archives of India requested all records creating agencies vide its Circular letter No.16-12/2001-R.M dated 9th April, 2001 to furnish information on the action taken in this regard. In all, 165 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc have furnished information. Out of which 116 Central Government Offices and 49 Public Sector Undertakings have sent information. As regards the Government Organisations, 12 have informed that they are preparing indices while 23 have furnished 'NIL' information, 53 have informed that they are not attending the job, 14 have reported that this procedure is not applicable to them, 2 Offices have intimated that the work has been initiated, whereas 2 Offices have mentioned that in the absence of Departmental Records Rooms, the work of Compilation of Indices to records could not be taken up, 1 Office has intimated that theirs is a newly created office, 2 Offices have intimated that compilation work will be taken up in due course and 7 offices have given miscellaneous replies. Details of the replies received are indicated below:-

7.2 The following 12 Ministries/Departments/Offices have stated that they are compiling indices to their records. These are:- Ministry of Civil Aviation, Department of Fertilizers and Headquarter, National Security Guard all in New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata; Forward Markets Commission, Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum and Nagpur and Office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi; Office of the Salt Commissioner, Jaipur and Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram.

7.3 There are 53 Minsitries/Departments/Offices who have informed that they are not compiling indices. These are:- Ministries of Environment and Forests, External Affairs, Petroleum and Natural Gas, Power, Railways, Steel, Textiles and Youth Affairs and Sports, Planning Commission, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Economic Affairs, Expenditure, Heavy

Industry, Personnel and Training, Women and Child Development, Town and Country Planning Organisation, Prime Minister's Office, Directorate General of Supplies and Disposals, Directorate of Data Processing (Air headquarters), Coast Guard Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Education (Air), Air Port Health Organisation, National Sample Survey Organisation and Authority for Advance Rulings (Department of Revenue) all in New Delhi; B.C.G Vaccine Laboratory and Medical Store Depot both in Chennai; Office of the Commissioner of Income Tax, Eastern Regional Office of Staff Selection Commission, Development Commissioner for Iron and Steel, Office of the Jute Commissioner and Central Reference Library all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India and Fishery Survey of India both in Mumbai; Department of Space, Random Sample Poultry Performance Testing Centre and National Tuberculosis Institute all in Bangalore; Regional Office for Health and Family Welfare, Bhopal; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) Central Excise Commissionerate and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Surveyor General's Office, Dehra Dun; Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Central Institute of Fisheries and Cochin Special Economic Zone, all in Kochi; Regional Office, Central Region (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Postal Training Centre, Madurai; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Indian Bureau of Mines, Nagpur and Postal Training Centre, Vadodara.

7.4 In all, 23 Offices have provided 'NIL' reports in this regard. These are: Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Department of Commerce and Office of the Commissioner of Central Excise and Customs all in New Delhi; Port Health Organisation, Central Statistical Organisation and Central Food Laboratory all in Kolkata; Office of the Commissioner of Income Tax, Gujarat III and Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), IX both in Ahmedabad; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad; Office of the Additional Director General, Central Government Health Scheme, Bangalore; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Regional Office (Ministry of Non-conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Post Master General, Western Region (T.N), Coimbatore; Office of the Commissioner of Income Tax, Kochi; Port Health Organisation, Mandapam Camp; National Fire Service College, Nagpur; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Office of the Post Master General, Goa region Panaji; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Office of the Post Master General both in Pune; Directorate of Marketing and Inspection, Surat and Visakhapatnam.

7.5 The following 14 Organisations who have reported that this procedure is not applicable to them are:- Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Chemicals and Petrochemicals, Revenue, Directorate General of Medical Services (AIR) and All India Soil and Land Use Survey all in New Delhi; Office of the Commissioner of Income-Tax, Mumbai XI, Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme and Office of

the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 all in Mumbai; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise and Regional Office for Ministry of Health and Family Welfare both in Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur, Directorate of Marketing and Inspection, Kochi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road.

7.6 Ministry of Water Resources, New Delhi and Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur have intimated that this work has been initiated.

7.7 Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi and Regional Office (North Eastern Zone) (Ministry of Environment and Forests), Shillong have reported that this work has not been done so far because no Records Room has been set up in their Organisations.

7.8 Directorate of Jute Development, Kolkata has informed that compilation of indices is not required as their's is a newly created office.

7.9 Directorate of Management Service (Ministry of Defence), New Delhi has reported that the work for Compilation of Indices has not been taken up so far and the action will be initiated at appropriate time. Tariff Commission, New Delhi has stated that this work will be taken up only after the posting of records keeper in Record Room.

7.10 Ministry of Coal, New Delhi has reported that sections of the Ministry have been instructed to compile the Indices. Ministry of Defence, New Delhi has intimated that since number of such files are limited, the necessity for compiling indices has not been felt by them. President's Secretariat, New Delhi has stated that the information is being collected. Post Master General, Southern Region (T.N) Madurai has intimated that Register of Records is maintained with suitable provisions. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad has reported that the records are being examined in their organisation for the purpose. Department of Supply, New Delhi has informed that compilation of indices is not necessary and Institute of Secretariat Training and Management in New Delhi has intimated that they do not have any 'A', 'B' and C-10 Category files, as such, the question of compilation of Annual Indices to records does not arise.

7.11 In all 49 Public Sector Undertakings/Statutory Bodies/Corporations have furnished the information in this regard. The detailed analysis of information is given below:-

7.12 There are 5 Public Sector Undertakings who have informed that they are attending the job of preparation of Indexing to Records. These are:- The

Institute of Mathematical Sciences, Chennai; Mormugao Port Trust, Goa; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra; and Prasar Bharti (All India Radio) Imphal and Tuticorin.

7.13 The other 4 Public Sector Undertakings have informed that it is not applicable to them. These are:- Council of Scientific Industrial Research and News Service Division of All India Radio both in New Delhi, Centre for Materials for Electronics Technology, Pune and Prasar Bharti, Karaikal.

7.14 Cargo Handling Division and Chennai Port Trust both in Chennai have informed that they are following their own system. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad and Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur have yet to start the work of preparation of indexing to their records.

7.15 The following 36 Public Sector Undertakings have forwarded 'NIL' reports:-Software Technology Parks of India and Director General, All India Radio both in New Delhi; Madras Fertilizers Ltd., Chennai; Metropolitan Transport Project (Railway), Mazagaon Dock Ltd., Indian Rare Earths Ltd., Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Uranium Corporation of India and Electronics Regional Testing Laboratory (West) all in Mumbai; Centre for Development of Advanced Computing and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune; Diesel Component Works, Patiala; Brahmaputra Board, Guwahati; Centre for D.N.A Finger Printings and Diagnostic, Hyderabad; Central Board for Workers Education, Nagpur; National Institute of Financial Management, Faridabad; Harish Chandra Research Institute, Allahabad; North Eastern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur; Central Monitoring Service (All India Radio), New Delhi and Prasar Bharati (All India Radio), Chennai, Balangir, Shimla, Thiruvananthapuram, Jaipur, Gwalior, Patna, Guna, Gulbarga, Jamshedpur, Goa, Bhagalpur, Pondicherry, Chaibasa and Calicut.

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

A well prepared records retention schedule which prescribes retention periods of various records groups is an important administrative tool in the hands of the administrators for maintaining a reasonable ratio between the records of vital importance and those which are of ephemeral nature. Keeping this in view, Section 6(1) (e) of the Public Records Act 1993, lays down that all records creating agencies should frame a Retention Schedule for substantive functions and get it vetted by the National Archives of India. Further, revision of such retention schedules after every fifth year becomes absolutely essential as new subjects are likely to be included or some old subjects to be excluded due to some administrative changes in the organisation and retention period for such record groups have to be determined accordingly.

8.1 In response to our Circular No.16-12/2001-R.M dated 9th April 2001, 156 Government Organisations and 51 Public Sector Undertakings have responded. A detailed analysis is given below:-

The following 43 Offices have informed that they have compiled retention schedules. These are:- Ministries of Urban Affairs and Poverty Alleviation, Water Resources, Railways, Power, Petroleum and Natural Gas, Labour, Parliamentary Affairs, Road Transport and Highways, Shipping, Civil Aviation, Defence, Coal, External Affairs, Environment and Forests and Departments of Agriculture and Cooperation, Food and Public Distribution, Economic Affairs, Personnel and Training, Posts, Commerce, Director General of Civil Aviation, Airport Health Organisation, Directorate General of Supplies and Disposals, National Sample Survey Organisation, Town and Country Planning Organisation and Tariff Commission all in New Delhi; National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Jute Commissioner both in Kolkata; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Mumbai and Jabalpur, Forward Markets Commission, Mumbai; Indian Bureau of Mines and National Fire Service College both in Nagpur; Department of Space and National Tuberculosis Institute both in Bangalore; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi; Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad; Commissioner of Income Tax, Gujarat III, Ahmedabad; Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad I, Hyderabad; Central Drug Standards Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi; Surveyor General's Office, Dehradun; Office of the Salt Commissioner, Jaipur and Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

8.2 The undermentioned 7 Organisations have requested us to contact their headquarters for this purpose. These are:- Regional Agmark Laboratory, New Delhi; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Kolkata and Surat; Directorates of Marketing and Inspection, Hyderabad and Lucknow; Office of the Regional Labour Commissioner(c) and Regional Directorate of Apprenticeship Training (DGE&T) both in Hyderabad.

8.3 Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training and Registrar of Companies Kerala both in Kochi have reported that records retention schedule could be prepared only after the designated Departmental Record Officer receives the training. Similarly, Postal Directorate has intimated that action could not be initiated for want of orders from the Chief Post Master General, Tiruvananthapuram.

8.4 The following 8 offices have given vague information. These are Historical Cell (Air headquarter) and All India Soil and Use Survey both in New Delhi; Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act of 1976 and Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 and Kapas Vikas Nideshalaya both in Mumbai; Office of the Commissioner of Income Tax, Gujarat and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Ahmedabad; Coaching cum guidance centre for SC/ST, Jowai; Central Institute of Indian Languages, Mysore.

8.5 Fishery Survey of India, Visakhapatnam, Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad and Director General of Mines Safety, Dhanbad have sought our advice in this regard.

8.6 There is yet another category of Organisations who are following their own Manuals. These are:- Directorate of Management (Ministry of Defence) and Director General of Central Reserve Police Force both in New Delhi; Government Medical Store Depot, Kolkata, Advanced Training Institute (DGE&T), Mumbai, Nuclear Fuel Complex, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research both in Hyderabad; Commissioner of Customs and Central Excise, Nagpur and Deputy Chief Labour Commissioner, Bangalore; Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Kochi.

8.7 Below mentioned 5 Offices have conveyed that they are following Manual of Office Procedure. These are:- Department of Women and Child Development, Computer Centre and Headquarter National Security Guard all in New Delhi; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and B.C.G. Vaccine Laboratory both in Chennai.

8.8 Ministries of Steel and Textiles, Departments of Administrative Reforms and Public Grievances, Supply all in New Delhi, Central Reference Library and Staff Selection Commission both in Kolkata have communicated that they have initiated action in this regard.

8.9 Additional Director, C.G.H.S Mumbai and Assistant Labour Commissioner, Bellary both have informed that this work could not be taken up by them due to shortage of staff.

8.10 Report as 'NIL' has been furnished by 69 offices which are as under:- Ministries of Youth Affairs and Sports, Heavy Industries and Public Enterprises, Coast Guard Headquarters, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Education (AIR), Director General, Medical

Services (AIR), Commissioner of Central Excise Delhi I, Authority for Advance Rulings (Department of Revenue), President's Secretariat and Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act of 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 all in New Delhi; Fishery and Survey of India, Chennai, Mumbai, Port Blair, Porbander and Goa; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering also in Chennai; Directorate of Jute Development, Variable Energy Cyclotron Centre, Central Food Laboratory, Port Health Organisation, Central Statistical Organisation and Development Commissioner for Iron and Steel all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Board of Radiation and Isotope Technology, Office of the Custodian of Enemy Property for India and Atomic Energy Regulatory Board, Commissioner of Central Excise, Mumbai-II, all in Mumbai; Directorates of Marketing and Inspection, Tirupur, Kochi, Nasik, Surat and Visakhapatnam; Postal Training Centres, Vadodara, Pune, Dharwad, Madurai and Panaji, Office of the Post Master (Western Region) Tamil Nadu, Coimbatore, Central Herd Registration Scheme, Ongole; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (District Anantapur); General Services Organisation (Department of Atomic Energy) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research both in Kalpakkam; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) and Additional Director, CGHS all in Bangalore; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Registrar of Cooperative Societies, Panaji, Goa; Centre for Advanced Technology, Indore; North Eastern Regional Office (Ministry Environment and Forests) Shillong; Regional Office, Central Region (Ministry of Environment and Forests) Lucknow; Commissioner of Income Tax (Appeals) IX, Ahmedabad ; Joint Director CGHS, Jabalpur; Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur; Regional Offices of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla, Bhopal and Hyderabad; Electronics Test and Development Centres, Jaipur and Mohali; Port Health Organisation, Mandapam; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) Bhubaneswar; Vikram Sarabhai Space Centre, Tiruvananthapuram; Registrar of Companies, U.P., Kanpur; Office of the Official Liquidator, High Court Allahabad, and Office of the Commissioner, Central Excise and Customs, Vadodara.

8.11 As regards preparation of Records Retention Schedules by the Public Sector Undertakings/Committees/Commissions/Corporations etc., 3 have informed that they have prepared Records Retention Schedules, 4 do not feel it necessary to prepare such schedules, 7 have conveyed that they are following their own schedules, 7 have yet to initiate action whereas 30 have sent 'NIL' reports.

8.12 The other 3 Public Sector Undertakings namely Directorate General, All India Radio, New Delhi, Harish Chandra Research Institute, Allahabad and Centre for D.N.A Finger Printing and Diagonistics, Hyderabad have informed that they have prepared their schedules.

8.13 The following 4 Public Sector Undertakings have reported that they do not feel it necessary to prepare such schedules. These are:- Council of

Scientific and Industrial Research, New Delhi, the Institute of Mathematical Science and Cargo Handling Division (Chennai Port Trust) both in Chennai and Mazagaon Dock Ltd., Mumbai.

8.14 The 7 Public Sector Undertakings who are following their own Schedules are:- All India Radio (News Service Division); Chennai Port Trust, Chennai; Electronics Regional Testing Laboratory (West) Mumbai, Prasar Bharti (All India Radio), Tuticorin, Thiruvananthapuram and Karaikal and Cochin Special Economic Zone, Kochi.

8.15 Central Monitoring Service, All India Radio, New Delhi Madras Fertilizers Ltd., Chennai, Centre for Development Advanced Computing and Indian Institute of Tropical Meteorology both in Pune, Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur and International Advance Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have yet to start preparation of their schedules.

8.16 The following 30 Public Sector Undertakings have supplied 'NIL' reports:- Software Technical Parks of India, New Delhi; Indian Rare Earths Ltd., Uranium Corporation of India Ltd., Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Memorial Centre, Mumbai Port Trust and Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; North Eastern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur, National Institute of Financial Management, Faridabad; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Central Board of Workers Education, Nagpur; Mormugao Port Trust, Goa; Brahmaputra Board, Guwahati; Diesel Component Works, Patiala; Indian Petrochemicals Corporation Ltd. Vadodra; Prasar Bharti (All India Radio) Chennai, Balamgir, Shimla, Jaipur, Gwalior, Patna, Guna, Gulbarga, Jamshedpur, Goa, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry, Chaibasa and Calicut.

DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

Section 6(1) (f) of the Public Records Act, 1993 to be read with Rule 7 of Public Records Rules, 1997 makes it mandatory for all records creating agencies falling under the purview of the above mentioned Act to initiate action to de-classify their classified records. All those records which are downgraded to the extent of unclassified category need to be amalgamated in the regular series of records. After attaining the age of 25 years they should be appraised in consultation with National Archives of India. Records recommended for permanent preservation after appraisal will be transferred to National Archives of India. Drawing the attention of the records creating agencies to the above provisions, a Circular Letter No.16-12/2001 dated 9th April, 2001 was issued wherein they were requested to furnish information on the action initiated by them. Replies received in this regard are scanty and also discouraging as only 157 Government Organisations and 51 Public Sector Undertakings have responded. A detailed analysis of the information received in response to this letter is given below:-

9.1 The following 33 Offices have informed that they are declassifying classified records periodically. These are:- Ministries of Defence, Civil Aviation, Labour, Road Transport and Highways, Shipping, Petroleum and Natural Gas, Water Resources, Railways, Departments of Economic Affairs, Supply Personnel and Training, Steel, All India Soil and Land use Survey, Directorate of Education (AIR) Headquarter, National Security Guard, Planning Commission, Prime Minister's Office and Directorate General, Central Reserve Police Force all in New Delhi; Staff Selection Commission, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Development, Commissioner for Iron and Steel all in Kolkata; Commissioner of Central Excise, Mumbai III, Mumbai; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Commissioner of Income Tax, Gujarat III, Ahmedabad; Central Drug Standards Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; National Fire Service College and Indian Bureau of Mines both in Nagpur; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur; Assistant Labour Commissioner Ranchi; Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources) Bhubaneswar; Post Master General, Southern Region (T.N) Madurai; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Vikram Sarabhai Space Centre, Tiruvananthapuram and Labour Welfare Commissioner, Allahabad.

9.2 There are 22 Offices, which have communicated that they do not have classified records. These are:- Departments of Agriculture and Co-operation, Revenue, Women and Child Development, Administrative Reforms and Public Grievances, Director General Civil Aviation, Director General Supplies and Disposals and Computer Centre all in New Delhi; B.C.G Vaccine Laboratory, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Central Training Institute for Instructors (DGE&T) all in Chennai; Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Kolkata; Advanced Training Institute (DGE&T),

Mumbai; Directorate of Marketing and Inspection, Kochi, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Bhopal; Joint Director, Central Government, Health Scheme, Jabalpur; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) and Regional Directorate of Apprenticeship Training (DGE&T) both in Hyderabad; Official Liquidator, High Court, Allahabad; Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore; Commissioner of Customs and Central Excise, Nagpur and Postal Training Centre, Madurai.

9.3 The following 6 Offices have given vague information. These are:- Department of Power, New Delhi; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Chennai; Kapas Vikas Nideshalaya, Mumbai; Regional Office (Central Region) of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow; Commissioner of Income Tax, Gujarat II, Ahmedabad and Southern Region Farm Machinery Training and Testing Unit, Garladinne, (Anantapur District)

9.4 Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has reported that once a classified film is produced for Armed Forces, it cannot be declassified.

9.5 Central Herd Registration Scheme, Ongole, Electronics Test and Development Centre, Mohali and Director General Mines Safety, Dhanbad have intimated that they would take up this work in consultation with National Archives of India. Similarly, Fishery Survey of India, Chennai and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi both have informed that the work could not be taken up by them due to lack of training to their personnel.

9.6 The following 3 Offices have requested us to contact their Headquarter. These are:- Regional Agmark Laboratory, New Delhi; Directorate of Marketing and Inspection and Regional Labour Commissioner (Central) both in Hyderabad.

9.7 Directorate of Management (Ministry of Defence), New Delhi has stated that action is taken from time to time in this regard.

9.8 The following 6 Organisations have intimated that they propose to take action in this regard. These are:- Department of Food and Public Distribution, New Delhi; Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, Atomic Energy Regulatory Board both in Mumbai; Fishery Survey of India; Goa; Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad and Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur.

9.9 The other replies are summarised below:-

Ministry of Coal, New Delhi has informed that a decision in this regard is yet to be taken. Ministry of Environment and Forests, New Delhi has intimated that though the instructions were issued to all sections but no action has been reported by them. Ministry of External Affairs, New Delhi has

informed that declassification of files is done by the originator. However, originators do not downgrade the files but merely review and return them. Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad I, Hyderabad has informed that they are following their own procedure. Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur has informed that as they are imparting training in Bio-Statistics, they do not create such records. Department of Commerce, New Delhi has stated that not much attention has been paid to this aspect as Departmental Records Officer has recently joined. Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai has informed their work cannot be carried out in absence of specific staff to be posted in the Records Room.

9.10 Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai (Meghalaya) has informed that since it is a newly established office it was not possible to take action. Similarly, Coaching Cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat has stated that information could not be sent as there was no designated Records Officer. Assistant Labour Commissioner, Bellary has reported that the Headquarter will be requested to issue instructions/suggestions. Department of Space, Bangalore has communicated that a committee has been constituted to look into the matter. Ministry of Youth Affairs and Sports, New Delhi has informed that this work has not been taken up due to paucity of staff. Surveyor General's Office, Dehra Dun has conveyed that their technical records are of permanent nature. Registrar of Companies, Kerala, Kochi has informed that the report will be sent only after the appointment of the Departmental Records Officer.

9.11 The following 66 Offices, which have given 'NIL' information are:- Ministries of Textiles, Health and Family Welfare, Urban Affairs and Poverty Alleviation, Departments of Posts, Revenue, Heavy Industries and Public Enterprises, Air Headquarters, Historical Cell (Air HQ), Director General Medical Services (AIR), Authority for Advance Rulings (Department of Revenue), Tariff Commission, Airport Health Organisation, Office of the Commissioner of Central Excise, Delhi I, President's Secretariat, National Sample Survey Organisation, Town and Country Planning Organisation, Coast Guard Headquarters, Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 all in New Delhi; Office of the Jute Commissioner, Central Statistical Organisation, Central Reference Library, Central Food Laboratory, Port Health Organisation and Directorate of Jute Development all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Fishery Survey of India, Board of Radiation and Isotope Technology, Forward Markets Commission, Custodian of Enemy Property for India and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped all in Mumbai; Directorates of Marketing and Inspection, Tirupur, Nasik, Surat, Lucknow and Visakhapatnam; Fishery Survey of India, Port Blair and Porbandar; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, both in Kochi; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Additional Director Central Government Health Scheme and Deputy Chief Labour Commissioner (C) all in Bangalore; Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad; Directorate of Arecanut and Spices Development,

Calicut; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong, Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Centre for Advanced Technology, Indore; General Services Organisation (Department of Atomic Energy), Variable Energy Cyclotron Centre and Indian Gandhi Centre for Atomic Energy all in Kalpakkam; Registrar of Cooperative Societies, Registrar of Companies and Post Master General all in Panaji Goa; Salt Commissioner and Electronics Test and Development Centre both in Jaipur; Commissioner of Income Tax (Appeals) IX, Ahmedabad; Central Excise and Customs Commissionerate, Vadodra; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) Shimla; Port Health Organisation, Mandapam; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad; Assistant Labour Commissioner (C) Faridabad; Registrar of Companies U.P. Kanpur; Post Master General, Dharwad and Madurai and Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

9.12 Analysis of information received from 51 Public Sector Undertakings in this regard is as under:- In all, 3 Organisations have informed that they are doing declassification of files, 2 have replied that they follow their own guidelines, 3 have reported that it is not applicable to them, 3 have replied that they will be sending it in due course, whereas 'NIL' information has been sent by 30 Public Sector Undertakings.

9.13 There are 13 Public Sector Undertakings who have informed that they are attending the job of de-classification of files. These are:- Prasar Bharti, New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Kolkata; Mumbai Port Trust, Tata Institute of Fundamental Research and Electronics Regional Test Laboratory (West), all in Mumbai; Mormugao Port Trust, Goa; Centre for DNA Finger Printing and Diagnostics, Hyderabad; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra; Prasar Bharti (AIR), Jaipur, Thiruvananthapuram, Karaikal, Bhagalpur and Pondicherry.

9.14 The Cargo Handling Division and Chennai Port Trust, both in Chennai have intimated that they are following their own procedure.

9.15 There are 3 Public Sector Undertakings who have informed that it is not applicable to them. These are Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; The Institute of Mathematical Science, Chennai and Prasar Bharti (AIR), Tuticorin.

9.16 Madras Fertilizers., Chennai, The Shipping Corporation of India Ltd., Mumbai and International Advanced Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have reported that they will be sending information in due course.

9.17 Information as 'NIL' has been sent by the following 30 Public Sector Undertakings. These are:- Engineers India Ltd., Central Cottage Industries Corporation of India, Ltd., National Cooperation Housing Federation of India, Central Government Employees Welfare Organisation, University of Delhi, Software Technology Parks of India, News Service Division (All India Radio) and Director General (AIR) all in new Delhi; Prasarbharti, Chennai; Falta Export Processing Zone, National Institute of Homoeopathy and National Jute

Manufacturers Corporation Ltd., all in Kolkata; Central Power Research Institute, Indian Academy of Sciences, Software Technology Parks of India, Raman Research Institute, Institute of Wood Science and Technology, Bharat Earth Movers Ltd and Spices Trading Corporation all in Bangalore; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Dte. General Factory Advice Service and Labour Institute, Indian Rare Earths Ltd., Uranium Corporation of India, Ltd., Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Memorial Centre, Mumbai Port Trust, Mazagoan Dock Ltd., and Metropolitan Transport Project all in Mumbai; Centre for Material for Electronics Technology, Centre for Development of Advanced Computing and Indian Institute of Tropical Meteorology all in Pune; Mineral Exploration Corporation Ltd., Central Board for Workers Education both in Nagpur, Centre for Electronics Design and Technology of India, Gorakhpur; Dredging Corporation of India Ltd., Vishakhapatnam; Indian Institute of Advanced Study Shimla, Sardar Sarovar Constructions Advisory Committee, Vadodara; Government of India Regional Tourist Office, Dubai; National Institute of Hydrology, Roorkee; Bhakra Beas Management Board, Chandigarh; North Eastern Regional Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur; Harish Chandra Research Institute, Allahabad; National Institute of Financial Management Faridabad; Cochin Special Economic Zone, Kochi, Brahmaputra Board Guwahati, Diesel Component Works, Patiala, Prasar Bharti (AIR), Balangir, Shimla, Gwalior, Patna, Guna, Karaikal, Gulbarga, Jamshedpur, Goa, Bhagalpur, Imphal, Chaibasa and Calicut.

9.18 Further, in response to another Circular Letter No.16-4/2001-RM dated 11th July, 2001 requesting the records creating agencies to furnish half yearly returns on the subject, 102 Government Organisations and 34 Public Sector Undertakings have sent the returns in this connection. The details of half-yearly returns can be seen in Annexure IV- A and B.

DEFUNCT COMMISSIONS/COMMITTEES

Information contained in the records of Commissions/Committees appointed by the Government from time to time is of immense historical importance. Moreover, these records are unique in the sense that information contained therein is not available elsewhere. Needless to mention here that the findings of these reports, thus, supplement the links in public records. Keeping in view the importance of these records and also the provision as stipulated under Section 6(1) (l) of the Public Records Act, 1993 for transferring the records of the defunct bodies to the National Archives of India, a Circular Letter No.16-12/2001-RM dated 9th April, 2001 was issued to all the Organisations requesting them to furnish information in this regard. In response to the said Circular, 167 Ministries/Departments/Offices of the Government of India and 51 Public Sector Undertakings have furnished information. Details of information furnished by the Governmental Organisations are given as under:-

10.1 Ministry of Defence, New Delhi have informed that they have records of two defunct bodies i.e. Expert Classification Committee and Special Surplus Store Disposal Committee in their custody.

10.2 Ministries of Civil Aviation and Health and Family Welfare both in New Delhi have informed that information in this regard is being collected.

10.3 The following 153 Offices have sent 'NIL' report. These are:- Ministries of Environment and Forests, External Affairs, Labour, Parliamentary Affairs, Steel, Road Transport and Highways, Shipping, Urban Affairs and Poverty Alleviation, Water Resources, Textiles, Youth Affairs and Sports, Railways, Power, Petroleum and Natural Gas and Departments of Agriculture and Cooperation, Food and Public Distribution, Coal, Revenue, Supply, Heavy Industry and Public Enterprises, Women and Child Development, Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances, Posts, All India Soil and Land Use Survey, Regional Agmark Laboratory, Director General Civil Aviation, Coast Guard Headquarters, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Directorate of Management Services (Ministry of Defence) Historical Cell (Air Headquarters), Directorate General of Medical Services (AIR), Directorate of Education (AIR), Office of the Commissioner of Central Excise, Delhi I, Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, Authority for Advanced Rulings (Department of Revenue) Director General Supplies and Disposals, Tariff Commission, Airport Health Organisation, Directorate General of Central/Reserve Police Force, Headquarters, National Security Guards, National Sample Survey Organisation, Planning Commission, Computer Centre, Prime Minister's Office, Town and Country Planning Organisation and President's Secretariat all in New Delhi; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, B.C.G Vaccine Laboratory, Government Medical Store Depot, Central Training Institute for Instructors

(DGE &T) all in Chennai, Directorate of Jute Development, Variable Energy Cyclotron Centre, Port Health Organisation, Central Food Laboratory, Central Reference Library, Staff Selection Commission, Central Statistical Organisation, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Jute Commissioner all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Kapas Vikas Nideshalaya, Fishery Survey of India, Atomic Energy Regulatory Board, Board of Radiation and Isotope Technology, Forward Markets Commission, Custodian of Enemy Property for India, Advanced Training Institute (Ministry of Labour) and office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act of 1985 all in Mumbai; Directorate of Marketing and Inspection, Tirupur, Kochi, Nasik Road, Surat, Lucknow, Hyderabad and Visakhapatnam; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Banglaore and Kochi; Department of Space, Random Sample Poultry Performance Testing Centre, National Tuberculosis Institute, Additional Director Central Government Health Scheme and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs) all in Bangalore; Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut, Fishery Survey of India, Chennai, Port Blair, Visakhapatnam, Porbander, Goa; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (District Anantapur); Registrar of Cooperative Societies, Panaji; Nuclear Fuel Complex, Atomic Minerals Division and Directorate for Exploration and Research all in Hyderabad; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; North Eastern Regional Office and Regional Office (Central Region) Ministry of Environment and Forests, Shillong and Lucknow; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) Ahmedabad III, Ahmedabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Offices of the Commissioner of Central Excise, Mumbai, Nagpur, Vadodara, Ahmedabad, Raipur, Hyderabad I; Joint Director Central Government Health Scheme, Jabalpur and Bangalore; National Fire Service College, Model Vital and Health Statistics Unit, both in Nagpur; Regional Offices of Ministry of Health and Family Welfare Shimla, Bhopal and Hyderabad; Port Health Organisation, Mandapam; Central Drug Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Electronics Test and Development Centres, Jaipur and Mohali; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Chennai, Mumbai, Ahmedabad and Jabalpur; Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Kolkata, Jowai (Meghalaya) and Surat; Office of the Labour Welfare Commissioner, Allahabad; Deputy Chief Labour Commissioner (C) and Office of the Regional Labour Commissioner (C) both in Bangalore; Offices of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi and Faridabad; Director General Mines Safety, Dhanbad; Regional Directorate of Apprenticeship Training (DGE&T) Hyderabad; Office of the Official Liquidator, High Court Allahabad, Allahabad; Offices of the Registrar of Companies, U.P. Kanpur; Goa Daman and Diu, Panaji Goa; Regional Office of Ministry of Non-Conventional Energy Sources Bhubaneswar; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Postal Training Centres, Vadodara and Madurai; Post Master General, Pune Region, Pune, N.K Region, Dharwad, Goa Region, Panaji, Southern Region, (TN), Madurai, Bhubaneswar, Western Region, (TN),

Coimbatore; Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram; Electronics Test and Development Centre, Mohali and Surveyor General's Office, Dehra Dun.

10.4 Fishery Survey of India, Kochi, Regional Labour Commissioner (Central) Hyderabad and Assistant Labour Commissioner, Bellary have informed that their Headquarter Office may be contacted in this regard.

10.5 Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata has informed that records of defunct bodies have been destroyed after taking orders from Competent Authority.

10.6 Department of Economic Affairs have informed that the records of defunct bodies are yet to be transferred.

10.7 Office of the Chief Commissioner Income Tax, Kerala, Kochi has informed that their's is tax collecting Department, therefore, the question of transfer of records does not arise.

10.8 Office of the Additional Director, CGHS, Mumbai has informed that their work could be taken only after the appointment of additional staff. Similarly, Registrar of Companies, Kerala, Kochi has informed that this job can be taken up only after the appointment of Departmental Records Officer in their Organisation.

10.9 Office of the Chief Post Master General, Tiruvananthapuram has intimated that the specific orders from the Postal Directorate is awaited in this regard.

10.10 As regards Public Sector Undertakings 51 have furnished information on defunct Committees/Commissions out of which 50 have sent 'NIL' information. These are: Council of Scientific and Industrial Research, Software Technology Parks of India, Dte. General, All India Radio and Central Monitoring Services all in New Delhi; Cargo Handling Division, Madras Fertilizers Ltd and Institute of Mathematical Science all in Chennai; Indian Rare Earths Ltd, Uranium Corporation of India Ltd., Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Electronics Regional Test Laboratory, Metropolitan Transport Project (Railway), Mumbai Port Trust and Mazagaon Dock Ltd. all in Mumbai; Centre for Materials for Electronics Technology, Centre for Development of Advanced Computing and Indian Institute of Tropical Meteorology all in Pune; North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur; National Institute of Financial Management, Faridabad; Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra; Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd. both in Nagpur; Diesel Component Works, Patiala; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Centre for DNA Finger Printing both in Hyderabad; Mormugao Port Trust, Goa; Brahmaputra Board Guwahati; Harish Chandra Research Institute, Allahabad; Prasar Bharti (All India Radio); News Service Division, New Delhi, Balangir, Shimla, Thiruvananthapuram,

Jaipur, Gwalior, Guna, Karaikal, Gulbarga, Jamshedpur, Goa, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry, Tuticorin, Chaibasa, Broadcasting Services, Chennai, Patna, Bharat Sanchar Nigam Ltd, Calicut and Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rai Bareilli.

10.11 Chennai Port Trust has sent vague reply saying that they follow their own system.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

As per Section 6(1) (C) of the Public Records Act, 1993, in earlier reports the need for regular appraisal of non-current records in collaboration with the National Archives of India has been stressed. This exercise on the one hand will help in saving precious working shelf space by destroying records of ephemeral nature in the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc and on the other, the upkeep and preservation of records of enduring value will be done properly. The National Archives of India has been making its earnest efforts to guide and advise the records creating agencies on this aspect. Accordingly, Circular letter No.16-12/2001-R.M dated 9th April, 2001 was issued to all records creating agencies seeking information in this behalf.

11.1 In response to the above said Circular, 163 Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc have furnished information. Out of which 116 are the Central Government Organisations and 47 are Public Sector Undertakings. Out of 116 Government Organisations, 18 Offices have informed that they are appraising their 25 years old records in consultation with National Archives of India, whereas 65 have sent 'NIL' reports, 23 Offices have reported that the said procedure is not applicable to them, 7 have conveyed that they do not have 25 years old records, 2 Offices have informed that their Head Office may be contacted for getting the desired information and 1 Office has given vague reply that furnishing of desired information is not required. The analysis of information received is detailed below:-

11.2 The following 18 Ministries/Departments/Offices have reported that they have non-current record which have been appraised by them in consultation with National Archives of India. These are, Ministries of External Affairs, Parliamentary Affairs, Railways, Road Transport and Highways, Shipping, Urban Development and Poverty Alleviation and Water Resources, Departments of Economic Affairs, Expenditure, Personnel and Training, Planning Commission, Office of the Director General, Central Government Health Scheme all in New Delhi; Central Statistical Organisation and National Atlas and Thematic Mapping Organisation both in Kolkata; Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad; National Tuberculosis Institute, Bangalore and Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

11.3 65 Organisations which have given 'NIL' reports are as under:- Ministries of Coal, Petroleum and Natural Gas, Power, Textiles, Youth Affairs and Sports, Departments of Heavy Industries, Supply, President's Secretariat,

Prime Minister's Office, Office of the Director General of Civil Aviation, Coast Guard Headquarters, Directorate of Data Processing (Air Headquarters), Directorate of Research and Development Organisation (Ministry of Defence), Directorate of Education (Air), Office of the Armed Forces Film and Photo Division, National Sample Survey Organisation and Authority for Advance Rulings (Department of Revenue) all in New Delhi; B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai; Eastern Regional Office of Staff Selection Commission, Development Commissioner for Iron and Steel, Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library and Central Food Laboratory all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Forward Markets Commission and Fishery Survey of India all in Mumbai; Department of Space, Office of the Additional Director General, Central Government Health Scheme and Random Sample Poultry Performance Testing Centre all in Bangalore; Regional Office for Health and Family Welfare, Bhopal; Dte. of Arecanut and Spices Development, Calicut, Northern Region Office (Ministry of Environment and Forests) and Terminal Ballistics Research Laboratory all in Chandigarh; Post Master General, Western Region (T.N), Coimbatore, Surveyor General's Office, Dehradun; Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad; Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training and Office of the Regional Office, Central Region (Ministry of Environment and Forests) Lucknow; Post Master General, Southern Region (T.N) and Postal Training Centre both in Madurai; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Indian Bureau of Mines and National Fire Service College both in Nagpur; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Office of the Post Master General, Goa Region, Panaji and Pune; Office of North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram; Office of the Commissioner of Central Excise, New Delhi, Belgaum, Nagpur and Raipur; Office of the Commissioner of Income Tax, Commissioner, Kolkata, Ahmedabad, Kochi and Pune, Postal Training Centre, Vadodara and Directorate of Marketing and Inspection, Surat and Visakhapatnam.

11.4 There are 23 Offices which have informed that this aspect is not applicable to them. These are:- Departments of Chemicals and Petrochemicals, Revenue and Women and Child Development, Directorate General of Medical Services (Air), Port Health Organisation, IGI Airport, Town and Country Planning Organisation, All India Soil and Land Use Survey and Institute of Secretariat Training and Management all in New Delhi; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training Unit, Chennai; Port Health Organisation and Director General, Government Health Scheme both in Kolkata; Office of the Commissioner of Income Tax, Mumbai XI; Office of the Commissioner of Central Excise and Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme all in Mumbai; Southern Region, Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne, (Anantpur District); Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Regional Office for Health and Family Welfare, Hyderabad; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development and Kochi; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.

11.5 Below mentioned 7 Offices have intimated that they are not having 25 years old records. Directorate General of Supplies and Disposals and Head Quarter, National Security Guard both in New Delhi; Office of the Commissioner of Income Tax, Gujarat III, Ahmedabad; Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur and National Fire Service College, Nagpur.

11.6 Regional Agmark Laboratory, New Delhi and Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow have informed that their Head Office may be contacted for getting the requisite information.

11.7 Directorate of Jute Development, Kolkata has given vague reply by stating that furnishing of desired information is not required.

11.8 In all, 47 Public Sector Undertakings have furnished information, out of which 2 have furnished desired information, 39 have sent 'NIL' report, 1 is following its own procedure, 3 have informed that it is not applicable to them whereas 2 have communicated that they will be doing it in due course.

11.9 Cargo Handling Division (Chennai Port Trust) Chennai and Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune have furnished desired information.

11.10 The Public Sector Undertaking numbering 39 have furnished 'NIL' information. These are:- Software Technology Parks of India, Director General, All India Radio and Central Monitoring Services all in New Delhi; Indian Rare Earths Ltd., Uranium Corporation of India, Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Electronics Regional Test Laboratory (West), Mumbai Port Trust, Mazagaon Dock Ltd and Metropolitan Transport Project (Railways) all in Mumbai; Prasar Bharati (All India Radio), Chennai, Balangir, Shimla Thiruvananthapuram, Jaipur, Gwalior, Patna, Guna, Gulbarga, Jamshedpur, Imphal, Pondicherry, Chaibasa and Calicut, National Institute of Financial Management, Faridabad; Centre for Materials for Electronics Technology and Centre for Development of Advanced Computing both in Pune; Central Board for Workers Education, Nagpur; Mormugao Port Trust, Goa; Centre for D.N.A Finger Printing and Diagnostics and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials both in Hyderabad; Brahmaputra Board, Guwahati; Mineral Exploration Corporation Ltd. Nagpur; Diesel Component Works, Patiala; and Indian Petrochemicals Corporation Ltd., Vadodra and Harish Chander Research Institute Ltd., Allahabad.

11.11 Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; Institute of Mathematical Sciences, Chennai and Prasar Bharti, Karaikal have reported that it is not applicable to them.

11.12 Chennai Port Trust Chennai, is following its own procedure.

11.13 Madras Fertilizers Ltd., Chennai and North Eastern Regional Farm Machinery, Training and Testing Institute, Sonitpur, (Assam) will be attending the work in due course.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ORGANISATIONAL HISTORY

Organisational history of an organisation plays a vital role in having better appreciation of the organisation as it reflects all changes in detail that have taken place from time to time due to administrative exigencies. It provides first hand knowledge of various records series and their importance which consequently equip the officers of the National Archives of India while conducting spot studies for vetting the Records Retention Schedules and appraising the non-current records of more than 25 years old. [Compilation of Organisational history is very important from administrative and historical point of view. Keeping this in view under Section 6(1) (i) of Public Records Act, 1993 it has been laid down that all records creating agencies shall compile their Organisational History. In pursuance of this the National Archives of India issued a Circular Letter No.16-12/2001-R.M dated 9 April 2001 seeking information in this regard.] In all, 212 Ministries/Departments/Offices and Public Sector Undertakings have furnished information out of which 161 are Ministries/Departments 51 are Public Sector Undertakings. Detailed analysis of the information is given below:-

12.1 The following 56 Organisations have informed that they have already compiled the Organisational History. These are:- Ministries of Coal, Environment and Forests, External Affairs, Labour, Parliamentary Affairs, Road Transport and Highways, Shipping, Urban Affairs and Poverty Alleviation, Water Resources and Railways, Departments of Agriculture and Cooperation, Food and Public Distribution, Revenue, Economic Affairs, Commerce, Heavy Industries and Public Enterprises, All India Soil and Land Use Survey, Director General, Civil Aviation, Airport Health Organisation, Directorate General, Central Reserve Police Force, National Sample Survey Organisation and Planning Commission all in New Delhi; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Vocational Rehabilitation for Handicapped and Central Training Institute for Instructors (DGE &T) all in Chennai; Directorate of Jute Development, Central Food Laboratory, Central Reference Library, Central Statistical Organisation, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Office of the Development Commissioner for Iron and Steel and Office of the Jute Commissioner all in Kolkata; Fishery Survey of India, Forward Markets Commission, Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture and Property) Act of 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and Custodian of Enemy Property for India all in Mumbai; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Directorate of Pulses Development, Bhopal; Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi; Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and National Tuberculosis Institute all in Bangalore; Directorate of Plant Protection and Quarantine and Storage, Faridabad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (District Anantapur); Nuclear Fuel Complex and Regional Directorate of Apprenticeship Training (DGE&T), both in Hyderabad; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Regional Office (Central

Region), (Ministry of Environment and Forests), Lucknow; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise and Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Electronics Test and Development Centre, Mohali; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi; Directorate General of Mines Safety, Dhanbad; Office of the Registrar of Companies, Goa, Daman and Diu, Panaji-Goa; Office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar and Surveyor General's Office, Dehra Dun.

12.2 The following 11 Organisations have informed that their headquarters should be contacted for this purpose. These are:- Regional Agmark Laboratory, New Delhi, Government Medical Store Depot, Chennai; Port Health Organisation, Kolkata, Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow and Hyderabad; Office of the Post Master General, Southern Region (TN) Madurai; Fishery Survey of India, Kochi and Goa; Office of the Labour Commissioner, Bellary; Regional Office of the Ministry of Health and Family Welfare, Hyderabad and Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (C), Bangalore.

12.3 National Security Guard Headquarters, New Delhi has stated that information being secret in nature cannot be divulged.

12.4 Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad has reported that they are following norms of Department of Atomic Energy available on website, whereas Registrar of Companies, Kerala, Kochi has informed that the work would be taken up after the appointment of the Departmental Records Officer. Similarly, Additional Director, C.G.H.S, Mumbai has conveyed that the work of Compilation of Organisational History could not be taken up due to shortage of staff.

12.5 The following 8 Offices have intimated that they are compiling Organisational history and the same will be forwarded to National Archives of India. These are:- Ministries of Defence, Civil Aviation and Textiles, Departments of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances, Tariff Commission, all in New Delhi; Staff Selection Commission, Kolkata and Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

12.6 Historical Cell (Air Headquarters) New Delhi, Office of the Chief Commissioner, Income Tax Kerala, Kochi and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) Shimla have sent vague replies.

12.7 Department of Supply, New Delhi has informed that their Organisational History is reflected in the Annual Report.

12.8 The following 78 Offices have sent 'NIL' reports:- Ministries of Health and Family Welfare, Steel, Power, Petroleum and Natural Gas, Youth Affairs and Sports, Departments of Women and Child Development, Posts, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Computer Centre, Town and Country Planning Organisation, Coast Guard Headquarters, Air headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Director General of Medical

Services(AIR), Office of the Commissioner of Central Excise, Delhi I, Authority for Advance Rulings (Department of Revenue), Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, all in New Delhi; Fishery Survey of India, Chennai, Port Blair, Porbander and Visakhapatnam; B.C.G Vaccine Laboratory, Chennai; Variable Energy Cyclotron Centre and Central Reference Library, both in Kolkata; Department of Atomic Energy, Atomic Energy Regulatory Board and Board of Radiation and Isotope Technology, Advanced Training Institute (DGE&T) all in Mumbai; Directorate of Marketing and Inspection, Tirupur, Kochi, Nasik, Surat and Visakhapatnam; Central Institute of Indian Languages, Mysore; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Mumbai, Jabalpur and Ahmedabad; Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Registrar of Cooperative Societies, Panaji; General Services Organisation (D/AE), Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam; Centre for Advance Technology, Indore; North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) Shillong; Commissioner of Income Tax (Appeals) IX, Commissioner of Income Tax, Gujarat II and Commissioner of Income Tax, Gujarat III all in Ahmedabad; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Mumbai, Nagpur; Vadodara, Raipur and Hyderabad; Office of the Joint Director and Additional Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur and Bangalore; Model Vital and Health Statistics and National Fire Service College both in Nagpur; Port Health Organisation, Mandapam; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Bhopal; Electronics Test and Development Centre, Jaipur; Coaching-cum-Guidance Centres for SC/ST, Kolkata, Surat and Jowai (Meghalaya); Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Postal Training Centres, Madurai and Vadodara; Vikram Sarabhai Space Centre, Tiruvananthapuram; Post Master General (Goa Region), Goa Western Region (TN), (Pune region), Panaji, Coimbatore and Pune; Department of Space and Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), both in Bangalore; Labour Welfare Commissioner, Regional Labour Commissioner (C), Assistant Labour Commissioner, Allahabad, Hyderabad and Faridabad; Official Liquidator High Court of Allahabad, Allahabad; Registrar of Companies U.P., Kanpur and Regional Office, (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar.

12.9 Copies of the Organisational Histories have been furnished by 19 Public Sector Undertakings. These are:- National Project Construction Corporation Ltd., Pharmacy Council of India and All India Radio (News Service Division) all in New Delhi; The Institute of Mathematical Science, Chennai, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd., Kolkata, Mumbai Port Trust, Indian Rare Earths Mumbai; Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Ltd., Port Blair, Centre for Materials for Electronics Technology and Centre for Development of Advanced Computing both in Pune, Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd. both in Nagpur, Narmada Control Authority, Indore; Auroville Foundation, Villupuram, Rashtriya Bhartiya Sainya College, Dehra Dun; North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute,

Sonitpur; Harish Chander Research Institute, Allahabad; Cochin Special Economic Zone, Kochi and Brahmaputra Board, Guwahati.

12.10 There are 4 Public Sector Undertakings which have informed that they will be compiling their Organisational History in due course. These are:- Uranium Corporation of India Ltd; Mumbai; Mormugao Port Trust, Goa; The Rubber Board, Kottayam; International Advance Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.

12.11 There is yet another group of Public Sector Undertakings numbering 27 who have supplied 'NIL' information. These are:- Software Technology Parks, Council of Scientific and Industrial Research and Central Monitoring service (All India Radio), all in New Delhi and Madras Fertilizers Ltd., Prasar Bharti (All India Radio) and Cargo Handling Division all in Chennai; Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Mazagaon Dock Ltd., Electronic Regional Test Laboratory (West) and Metropolitan Transport Project (Railways), all in Mumbai; Prasar Bharti (All India Radio), Shimla; Thiruvananthapuram, Jaipur, Gwalior, Patna, Guna, Gulbarga, Jamshedpur, Goa, Karaikal, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry, Chaibasa and Calicut.

12.12 Chennai Port Trust, Chennai has given vague reply.

CHAPTER 13

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

As has been reported in the previous report that National Archives of India started the work of preparing microfilm of 'A' Category records lying in the custody of the records creating agencies. During the year under report, it further continued its efforts in this direction. In all 5 Organisations have furnished information, details of which are as under:-

13.1 Before taking up the microfilming of 'A' category records, it was considered necessary to verify the records if they belong to the said category. National Archives of India deputed its officers to examine the records of the Departments of Posts and Expenditure both in New Delhi and National Academy of Sciences India, Allahabad. After the inspection, the work of microfilming of records of the above organisations has been completed.

13.2 Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Coimbatore has informed that they have few documents falling under this category. These documents relate to the Registration Deeds of Erode, Salem and Pollachi Divisional Offices and the Sale deeds of the ready built flats purchased for office headquarters in Coimbatore city. Since the number is very small comprising approximately 276 pages, the microfilming of these pages will be taken up along with that of other records available in the Southern Zone.

13.3 Department of Supply, New Delhi has furnished 'NIL' report in this aspect.

APPRAISAL OF NON CURRENT RECORDS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with the elaborate Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 the Director General of Archives has been empowered to appraise and also accept for deposit records of permanent nature which are more than 25 years old for their safe custody. This helps in segregating the records of enduring value from those which are required to be retained for specified period besides saving their wanton destruction.

14.1 During the period under report, the National Archives of India in all appraised 48,200 non-current records out of which 35,100 files were recommended for retention and 13,100 files were marked for destruction. Thus resulting in saving of Rs.13,100/- per annum on the up-keep of records. The details are indicated below:-

14.2 The Organisations whose records were appraised are:- Ministries of Home Affairs (1972-75), Parliamentary Affairs (1969-74), Departments of Industrial Policy and Promotion (1959-71), Personnel and Training (1950-75), Posts (1946-76), Revenue (1951-76), Tele Communications (1953-76), Planning Commission (1956-75), Archaeological Survey of India, Delhi Circle (1911-65), Central Reserve Police Force (1949-68), Directorate of Advertising and Visual Publicity (1945-76), Office of the Joint Director General of Foreign Trade (1956-75) all in New Delhi.

14.3 Besides , records of following units/regiments/armoured corps of Ministry of Defence were also appraised. These are:- Rajputana Rifles, Delhi Cantt. (1916-48), Kumaon regiment, Ranikhet (1911-53), Jammu and Kashmir Rifles (1933-53), Grenadiers Regimental Centre (1933-52) and Corps Signals (1932-71) all in Jabalpur and Armoured Corps, Ahmed Nagar (1933-53).

14.4 Further, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar had also appraised 1536 files of Archaeological Survey of India, Bhubaneswar Circle (1963-75); Office of the Development Commissioner of Iron and Steel, Kolkata (1957-75); Balmer Lawrie Ltd., Kolkata (1967-75) and Bioco Lawries Ltd., Kolkata (1915-75). Out of which 963 files were marked for retention and 573 files for destruction.

REFERENCE MEDIA

As per Section 3(2) (e) of the Public Records Act 1993 the Director General of Archives has been assigned the job of preparation of inventories, indices and other reference media of Public Records. The reference media being an important aid for quick retrieval of information, National Archives has been emphasising in its earlier reports that all efforts should be made by each and every organisation to prepare reference media of records lying under their custody. Similarly, it continued its efforts to prepare suitable reference media for the records lying its custody. The work undertaken during the period is indicated below:-

15.1 The Project "Guide to the Sources of Asian History" has made considerable progress as Volume 3.4 was printed and also distributed. Similarly, the work of compilation of Volume 3.5 under the above project had made considerable progress as the write-ups of the records holdings of J&K and Karnataka were finalised and write-up of records holdings of Pondicherry and Chandigarh were revised. Further, for collection of information for the said volume, team of officials were also deputed to visit Punjab State Archives alongwith its repository branch Patiala and Andhra Pradesh State Archives, Hyderabad.

15.2 Besides, subject list of 680 files of the Department of Civil Aviation/Ministry of Civil Aviation (1933-70) and 1306 files of Madras Political Agency (1863-1942) were prepared.

15.3 Under the programme of Computerisation of reference media to records available in the National Archives of India, data entry of 22,558 records of Foreign Department was completed and validation of 39,684 records of Home (Public), (1747-1859) and 19,725 records of Foreign Department was completed.

ACCESSIONS/ACQUISITIONS

Section 3(2)(b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 authorises the Director General of the Archives, National Archives of India to accept for deposit and preservation of Public Records of permanent value which have been retained after recording by the records creating agencies in its Records Rooms for the last 25 years or more. Similarly, Section 11(1) of the said Act also stipulates acceptance of any records of historical or national importance from any private source by way of gift, purchase or otherwise. In compliance with the above said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and also the private papers during the period under report:-

16.1 As regards accessioning of public records, 4409 files of Ministry of Home Affairs (1949-71), 2230 files of Ministry of Communications (Department of Tele-Communications) (1945-71), 3994 files of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (1953-72), 56 files of (Ministry of Finance) Department of Expenditure (1963-74) and 1270 files of the Ministry of External Affairs (1914-71) were accessioned. Besides one Volume of Report on the Kangra Settlement by George Carnac Barnes (1850) was also accessioned from the Ministry of External Affairs.

16.2 In addition to above, National Archives of India Record Centre, Bhubaneswar accessioned 234 files of the Office of the Post Master General, Bhubaneswar (1900-75), 168 papers/loose documents from the Surendra Nath Dwivedy (1927-96) were acquired which also includes 100 papers/items (1961-82) of Ram Devi Papers. Similarly, National Archives of India, Record Centre, Jaipur also accessioned 1,76,038 files (1803-1953) of the Crown Representatives which were lying in the custody of the Gujarat State Archives at Bhavnagar, Vadodara and Rajkot.

16.3 Besides Public Records, National Archives of India continued to acquire private papers of eminent Indians in various fields as well as records of Indian interest from abroad. Under this programme, one letter of Shri Lal Bahadur Shastri dated 6 November 1963 which was donated by Shri Rajeshwar Prasad, Dehradun, U.P. was acquired. It contains day to day politics, congress policy and his visit to Rajghat on Gandhiji's birthday etc. 7 folders containing approximately 238 pages, one album containing 38 photos and 3 packets containing 129 loose photographs of Late Shri Minoo R. Masani, a freedom fighter donated by Shri Arvind A. Deshpande and Smt. Sheela Masani, Mumbai were also acquired. These papers relate to M.R. Masani's Correspondence with various leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Netaji Subhas Chander Bose, Rajaji and others.

16.4 Further under the programme of acquisition of records/microfilms rolls of Indian interest from abroad 14 microfilm rolls of Dominion Offices-35

series (1946-60) were purchased from Public Records Office, London. These rolls relate to U.N. Policy 1947, Indians in the Union of South Africa, Indian Preventive Detention Act 1950, the Citizen Act 1955, the Constitution (Tenth Amendment Bill) 1956, India's decision to become Republic 1946-50, India and Pakistan Residents' Amendment Act 1952, Status of Indians in Ceylon, Functions of Indian Representatives in Malaya and Singapore, resignations of C.D. Deshmukh and T.T.Krishnamchari Cabinet Members of Nehru Government, affairs of Rajasthan, Article 356 of Indian Constitution, Report of the States Re-organisation Commission, Boundary Disputes between West Bengal and Bihar, Bombay's Tragic riots, position of Indian traders in Gibraltar, Sino-India Trade Agreement of 1954, Indian General Elections, 1957, Nehru's visit to USA., U.K and Canada, Indian and Pakistan Citizenship Legislation, Indian Policy over Kashmir, possible Pakistan's attack on Kashmir.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

Section 6(1)(e) of the Public Records Act, 1993 stipulates that the Records Officer shall be responsible for compilation of records retention schedule in consultation with the National Archives of India. These retention schedules are as well required to be revised once in five years so as to take notice of changing and expanding activities of the concerned records creating agencies with a view to assign adequate retention period for such records groups. The progress made in this regard is indicated below:-

17.1 The study reports alongwith duly vetted records retention schedules of Ministry of Surface Transport, New Delhi, National Savings Organisations and Regional Directorate of National Savings Organisations both in Nagpur, Goa Shipyard Ltd., Vasco-de-Gama, Goa and Instruments Research and Development Establishment, Dehradun, whose studies were completed in the previous year i.e. 1999 were forwarded for implementation to the concerned agencies.

17.2 Study Reports alongwith Retention Schedules were sent for implementation to the following Ministries/Departments/Offices:- Department of Personnel and Training, Pensions and Pensioners Welfare, Public Enterprises Selection Board, Directorate General of Armed Forces Medical Services, Directorate General of Foreign Trade, Directorate General of Civil Aviation, Inspector General's Branch (Ministry of Defence), Regional Office of the Directorate General of Foreign Trade, National Building Construction Corporation and Regional Labour Commission all in New Delhi. Port Health Organisations Kolkata and Mumbai, Surveyor General's Office and Geodetic and Research Branch of Survey of India, both in Dehradun, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage Faridabad, National Fertilizers Limited Corporate Office (Ministry of Chemicals and Fertilizers) and Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, both in Noida.

17.3 On the spot study for vetting the records retention schedule of the Department of Chemicals and Petro-Chemicals and National Thermal Power Corporation both in New Delhi were also taken up. The study reports are in various stages of finalisation.

ADVISORY WORK

Section 3(2) (i) of the Public Records Act empowers the Director General of Archives to tender advice to all records creating agencies falling within the purview of Public Records Act, 1993 on various aspects of records management and other ancillary subjects. Keeping this in view, National Archives of India continued its efforts to advise various offices on their records management problems.

18.1 To ensure that the records are properly preserved in the Departmental Records Rooms of Ministries/Departments during their semi-current stage, the National Archives of India conducted the inspection of Departmental Records Rooms of 14 Organisations during the period under report. These are:- Ministries of Information Technology, Information and Broadcasting, Environment and Forests and External Affairs, Departments of Civil Aviation, Revenue, Expenditure, Supply, Agriculture and Cooperation, Personnel and Training, Heavy Industry, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat and Minerals and Metals Trading Corporation all in New Delhi.

18.2 Officials of the National Archives of India visited the Vice President's Secretariat, Election Commission and Minerals and Metal Trading Corporation all in New Delhi and advised them on setting up of organised Departmental Records Rooms.

18.3 An officer of National Archives of India also visited Cabinet Secretariat, New Delhi and advised them on the subject of downgrading of classified records.

18.4 Besides the representatives of various organisations falling within the gamut of the said Act, were given advice on implementation of its various provisions as and when they visited the National Archives of India.

CHAPTER 19

TRAINING

To cater to the needs of professional Archivists and Records Manager and sub professionals, several courses relating to Records Management, Archives Administration, Conservation, Reprography are being conducted by School of Archival Studies of National Archives of India. These comprise One Year Diploma course in Archival Studies, Short Term Certificate Course in Records Management, Archives Administration and Conservation of Books, manuscripts and Archives, Reprography, servicing and repair of records. Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings can avail of this facility by deputing their staff to undergo training in such courses. To strengthen the records management activities in accordance with the Public Records Act, 1993, Five Day Orientation Course on Records Management is being conducted exclusively for the Departmental Records Officers. This Department has conducted 9 Five Days Orientation Courses and 94 D.R.Os have undergone training during the period under report. A list of Departmental Records Officers who attended these courses during 2000 may be seen at Annexure V of the Report.

19.1 One Year Diploma Course in Archival Studies for the academic year 2000-2001 had a batch of 7 students, out of them two candidates were sponsored by the Directorate of Archaeology, Archives and Museum, Srinagar and West Bengal State Archives, Kolkata and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted 2 courses each in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives and Servicing and Repair of records.

19.3 20 nominees of Central Government and other Organisations including Private Candidates attended 2 courses in records management on each sponsored by National Archives of India, Prime Minister Office both in New Delhi, one each from Manipur State Archives, Imphal, Aizwal Theological College, Aizwal (Mizoram) and the rest of 16 were private candidates.

19.4 One session of Archives Administration was attended by 7 candidates. One each was sponsored by National Archives of India and Jamia Hamdard, New Delhi, 4 candidates were sponsored by Maharashtra State Archives, Mumbai and one was a private candidate.

19.5 13 Trainees attended 2 sessions of Short Term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives. Out of these, one each was sponsored by Madhya Pradesh Vidhan Sabha Secretariat and Directorate of Archaeology, Archives and Museum both in Bhopal, Commissionerate of Tamil Nadu Archives and Historical Research, Chennai and Hembatinandan

Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Uttaranchal) and the rest were private candidates.

19.6 Two sessions of Servicing and Repair of records course were attended by 7 candidates. Out of these one candidate each was sponsored by Directorate of Archaeology, Archives and Museum, Jammu and Kashmir Government, Srinagar, Salarjung Museum, Hyderabad, Indian Space Research Organisation (Headquarters), Bangalore, Manipur State Archives, Imphal, 2 Candidates each from Directorate of School Education, Agartala and one was a private candidate.

19.7 Similarly, 2 reprography courses were attended by 11 Candidates. One each was sponsored by Department of Industrial Policy and Promotion, National Archives of India, Indira Gandhi National Centre for Arts and Al-Hikmat Library all in New Delhi; one Candidate was sponsored by Orissa State Museum, Bhubaneswar and rest of 6 candidates were private.

19.8 A Ten Day Special Course in Reprography for the Officials of Reserve Bank of India, Pune was also conducted by officials of National Archives of India.

19.9 The following 136 Ministries/Departments/Offices have shown their willingness to depute their officials for various in-service-training courses. These are:- Ministries of External Affairs, Environments and Forests, Parliamentary Affairs, Labour, Power, Railways, Health and Family Welfare, Youth Affairs and Sports, Water Resources, Urban Development and Poverty Alleviation, Civil Aviation, Textiles, Steel, Road Transport and Highways and Shipping, Departments of Economic Affairs, Revenue, Expenditure, Food and Public Distribution, Agriculture and Cooperation, Personnel and Training, Posts, Women and Child Development, Supply, Commerce, Coast Guard Headquarters, Air Headquarters, Directorate of management Service (Ministry of Defence), Directorate of Education (AIR), Director General Civil Aviation, All India Soil and Land Use Survey, Institute of Secretariat Training and Management, National Sample Survey Organisation, Planning Commission, President's Secretariat, Directorate General Central Reserve Police Force, Director General, National Security Guard, Tariff Commission, Director General, Supplies and Disposals, Airport Health Organisation and Prime Minister's Office, all in New Delhi; Central training Institute for Instructors, B.C.G. Vaccine Laboratory and Government Medical Store Depot, all in Chennai; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped Chennai and Jabalpur; Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Commissioner of Income Tax, West Bengal, Directorate of Jute Development, Central Food Laboratory; Development Commissioner for Iron and Steel and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, all in Kolkata; Department of Atomic Energy, Forward Markets Commission, Chief Commissioner of Income Tax, Atomic Energy Regulatory Board, Board of Radiation and Isotope Technology, Advanced Training Institute (DGE&T) and Custodian for Enemy Property for India, all in Mumbai and Fishery Survey of India, Mumbai, Kochi, Visakhapatnam, Porbandar and Goa; Commissioner of Income Tax (Appeals), Commissioner of Income Tax Gujarat III and Vocational Rehabilitation Centre

for Handicapped, all in Ahmedabad; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Directorate of Marketing and Inspection, Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, all in Kochi; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Indian Bureau of Mines and National Fire Service College all in Nagpur; Central Excise and Customs Commissioner, Vadodara; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur, Hyderabad, Chandigarh, Aurangabad; Regional Offices (Ministry of Environment and Forests) Shillong, Chandigarh and Lucknow; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Atomic Minerals Directorates for Exploration and Research, Nuclear Fuel Complex and Regional Directorate of Apprenticeship Training all in Hyderabad; Surveyor General's Office, Dehra Dun; Department of Space, Deputy Chief Labour Commissioner (C), Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; General Services Organisation and Indira Gandhi Centre for Atomic Research both in Kalpakkam; Centre for Advanced Technology, Indore; Central Herd Registration Scheme, Ongole; Directorate of Pulses Development and Regional Office of (Ministry of Health and Family Welfare) both in Bhopal; Central Government Health Scheme, Jabalpur; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone) Ghaziabad; Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad; Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (Anantapur District A.P); Regional Office (Ministry of Non-Conventional Energy Sources), Bhubaneswar; Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut; Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi; Director General of Mines Safety, Dhanbad; Chief Post Master General, Kerala Circle and Vikram Sarabhai Space Centre both in Thiruvananthapuram; Registrar of Companies U.P., Kanpur and Electronics Test and Development Centre, Mohali.

19.10 Besides, 26 Public Sector Undertakings have also shown their willingness to sponsor their officials for in-service-training in Records Management and Archives Administration being conducted by the School of Archival Studies in the National Archives of India. These are:- Software Technology Parks of India, New Delhi; Cargo Handling Division (Chennai Port), Chennai; Indian Rare Earths Ltd., Uranium Corporation of India Ltd., Saha Institute of Nuclear Physics, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre, Electronics Regional Test Laboratory (West) and Mumbai Port Trust, all in Mumbai; Centre for Materials for Electronics Technology and Centre for Development of Advanced Computing both in Pune, Central Board for Workers Education and Mineral Exploration Corporation Ltd., both in Nagpur, Harish Chander Research Institute, Allahabad; National Institute of Financial Management, Faridabad; Mormugao Port Trust, Goa; Prasar Bharti, New Delhi, (News Service Division), New Delhi, Balangir, Shimla, Jaipur, Goa, Bhagalpur, Imphal, Pondicherry and Tuticorin.

ARCHIVAL AWARENESS

As envisaged in Section 3(2)(d) of the Public Records Act, 1993 the Director General of Archives is authorised to hold exhibitions of Public Records with a view to arouse archival awareness among the common people. Accordingly, the following activities were undertaken during the period under report:-

20.1 An exhibition entitled "We the People of India" was organised on 28th January, 2000 to commemorate the Golden Jubilee of Indian Republic. The exhibition was inaugurated by Shri L.K.Advani, Hon'ble Union Minister of Home Affairs. The occasion was also graced by the presence of Hon'ble Shri Anantha Kumar, Minister of Tourism and Culture and Th. Chauba Singh, the then Minister of State for Culture, Youth Affairs and Sports, besides other dignitaries during the inauguration of the exhibition. The exhibition drew large number of visitors from all walks of life and it was highly appreciated. On the request of Governments of Maharashtra and Kerala, the exhibition was mounted with the help of State Archives at Thiruvananthapuram and Mumbai on 28th February to 3rd March, 2000 and 7th March to 11th March, 2000 respectively.

20.2 On the occasion of 500 years of Indo-Turkish relations, an exhibition entitled "Dhaga Prem Ka;Bairam and Rahim" was organised in the National Archives of India, New Delhi. The exhibition was based on original manuscripts, paintings and rare literature and was inaugurated by Shri R.V.Vaidyanatha Ayyar, the then Secretary to the Government of India, Department of Culture on 25th August 2000 in the presence of academicians, administrators and diplomats. This exhibition was also mounted at Ashquabat (Turkmenistan) for eight days from 4th to 11th September 2000. The exhibition was inaugurated by Hon'ble Minister of Tourism and Culture, Government of India and Hon'ble Deputy Premier, Government of Turkemenistan on 4th September 2000. The exhibition on Bairam Khan was later presented by Secretary, Department of Culture and Tourism, Government of India to the Government of Turkemenistan.

20.3 On the occasion of Archives Week (11th December to 17th December, 2000) a display of rare manuscripts of National Archives of India was organised in the Department which was inaugurated by Pandit Satkari Mukhopadhyay, Co-ordinator, Kala Kosh, Indira Gandhi National Centre for the Arts on 11th December, 2000.

20.4 A photo album entitled "Azad Hind Fauj Ki Gaurav Gatha" based on de-classified files of the Ministry of Defence on INA records depicting the role of Netaji Subhas Chander Bose in National Movement and contribution of Indian National Army in the freedom struggle was published.

20.5 Similarly, 21 photographs of prominent women were supplied to the Project Director of Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resources Development, New Delhi which were displayed in Ashoka Hotel on 18th April, 2000 in connection with an exhibition organised on the

occasion of a meeting of Women Ministers of the Commonwealth countries in the Capital. This Department also assisted the Lok Sabha Secretariat for mounting an exhibition entitled "Life and Times of Andhra Kesari Tanguturi Prakasam" on 5th May, 2000 in the Parliament House. Similarly, 156 xerox pages on Sardar Vallabh Bhai Patel were as well made available to Gujrat State Archives to facilitate the mounting of an exhibition on "Life and Works on Sardar Patel". This was organised by the State Archives at Ahmedabad to celebrate the birth anniversary of Sardar Patel.

20.6 Dr .S. Sarkar, Director General of Archives had attended the following meetings during the period under report:-

- i) Annual Meeting of the Society of Delhi Institute of Heritage Research and Management, Government of N.C.T of Delhi on 21st January, 2000 at Old Secretariat, Delhi;
- ii) expert Committee meeting under the scheme for financial assistance for promotion and strengthening of regional and local museums held on 9, 18 and 21 February, 2000 at National Museum, New Delhi;
- iii) meeting with the Hon'ble Chief Justice of Patna High Court in connection with the proper management of records of the Patna High Court on 14th and 15th March, 2000 at Patna;
- iv) meeting of the Indian Committee to consider celebration of 500 anniversary of Bairam Khan Turkman on 21 April, 2000 at the residence of Vice President of India, New Delhi;
- v) meeting on setting up of digital Archives of India and other institutions at National Institute of Advanced Studies at Bangalore on 16 May 2000;
- vi) meeting of the Advisory Committee of the Archives of the Indian Labour held on 19 May, 2000 at Shram Shakti Bhawan, New Delhi;
- vii) 6th Joint Advisory Council Meeting of the Archives of Indian Labour held at National Archives of India on 1st June, 2000 at New Delhi;
- viii) meeting to discuss the setting up of the Bharat Darshan Science/Cultural Park in Delhi on 23 June, 2000;
- ix) meeting on upgradation of Museum of Zeenat Mahal at Red Fort on 27 July, 2000;
- x) meeting to discuss the activities of Libraries, Archives held on 20 July, 2000 in National Museum, New Delhi;
- xi) meeting in the Department of Culture to finalise the Indo-Turkish Cultural Exchange Programme 2000-2002 held on 27 March, 2000 at New Delhi;

- xii) meeting on Development of Archives held on 25-26 August, 2000 at Vigyan Bhawan, New Delhi;
- xiii) meeting in Department of Culture to discuss Indo-Sudan Cultural Exchange Programme-Implementation on 19 September, 2000 at New Delhi.
- xiv) meeting of Governing Council of Vrindaban Research Institute Vrindaban on 2 December, 2000; and
- xv) 44th meeting of I.C.H.R held on 19 December, 2000 at New Delhi.

20.7 Shri H.D Singh, Deputy Director of Archives attended the following meetings:-

- i) meeting of Directors of Museums and Heads of the Organisations held on 21-22 January, 2000 at National Museum, New Delhi;
- ii) meeting of Management System, Divisional Council of Bureau of Indian Standards held on 8 June, 2000 in New Delhi and;
- iii) the meeting which was chaired by Shri A.M.Arora, Joint Secertary, Department of Personnel and Training regarding digitalisation of records held on 17 July, 2000 at J.N.U Campus, New Delhi;

20.8 Shri S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives attended the meeting of the Art and Purchase Committee of the Panipat Museum held on 25 May, 2000 at Haryana Bhawan, New Delhi and

20.9 Dr.Shitla Prasad, Deputy Director of Archives attended the meeting of Governing Council of Vrindaban Research Institute held on 15th January, 2000 at Vrindaban.

20.10 Dr.R.P. Malik, Assistant Director of Archives attended meeting on conservation sub-committee of Rampur Raza Library, Rampur and the meeting of the Expert Committee held on 14-15 April, 2000 at Lucknow to prepare report on conservation and preservation of printed material held on 19 January, 2000.

CHAPTER 21

PRIORITIES

It has all along been mentioned in the previous reports on the implementation of the Public Records Act, 1993 that the records creating agencies are not paying due attention as required to a statutory provision. The response of the records creating agencies has slightly improved. It is now 12.4% as against 8% during the last year but it is negligible when we compare that 87.6% records creating agencies have not furnished information at all. I still feel that the records creating agencies should consider records management as an on-going activity instead of attending it in an isolated manner i.e. confining it to the weeding of records only during special drives. The earlier suggestion of incorporating one Chapter on Records Management in the Annual Report of the respective organisations would yield some good results as in order to show some work in the said report, they will give a serious thought to this aspect and initiate action in the field of records management accordingly.

21.1 Setting up of Organised Departmental Records Rooms and the speedy appointment of Departmental Records Officers, as required under Section 5 (1 and 2) of the Public Records Act are the two vital areas which still require greater attention of the records creating agencies. If these activities are attended to properly, the records management programme of an organisation would be put on right track.

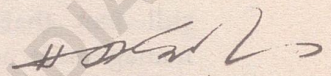
21.2 De-classification of classified records is another vital area where there is no breakthrough at all, inspite of the fact that Rule 7 of the Public Records Rules, 1997 stipulates that such records should be evaluated after every fifth year. The response of the records creating agencies in furnishing half-yearly returns, which is statutory requirement, is very meager as only 136 Organisations have submitted half-yearly returns out of 1918 Organisations, that too, most of the Organisations have furnished the information as 'Nil'. I may like to state here that the motto of the records creating agencies in this regard should be "lesser the number, higher the security". As such, the records creating agencies should attend to this aspect of records management at their earliest possible.

21.3 The scheduling of records, to my mind, is another important area which should be taken care of by the records creating agencies as it is an important administrative tool which helps them in determining the life period of the record groups, besides their categorization. I would, therefore, like to urge upon all those records creating agencies who have not attended to this work so far to take the assistance of National Archives of India and get the Record Retention Schedules of their organisation vetted/finalized by the National Archives of India as soon as possible.

21.4 Let me reiterate here that training of the Departmental Records Officers is essential for the proper implementation of the Public Records Act and

therefore I would urge upon the various Organisations who have not deputed their designated Records Officer for undergoing training in Five-Day Orientation Course should avail this facility at the earliest. The calendar of the Orientation Courses is issued in the beginning of every year to all the records creating agencies. However, I shall be too glad to furnish any information in this behalf, if required.

My above suggestions, I hope will be considered in the true spirit by all the Ministries/Departments/Offices/Public Sector Undertakings etc of the Government of India and if the action on these aspects is initiated on priority basis, I feel, the desired result for streamlining the Records Management system as envisaged under the Act could be achieved.


(H.D.SINGH)

Director General of Archives(Incharge)
Government of India

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE I**LIST OF MINISTRIES/DEPARTMENTS/OFFICES WHO HAVE FURNISHED INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACTS, 1993****Ministry of Agriculture and Co-operation**

1. Department of Agriculture and Co-operation, New Delhi.
2. All India Soil and Land Use Survey, New Delhi.
3. Regional Agmark Laboratory, New Delhi.
4. Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Unit, Chennai.
5. Fishery Survey of India, Chennai.
6. Fishery Survey of India, Mumbai.
7. Fishery Survey of India, Port Blair.
8. Fishery Survey of India, Visakhapatnam.
9. Fishery Survey of India, Porbandar.
10. Fishery Survey of India, Goa.
11. Fishery Survey of India, Kochi.
12. Directorate of Jute Development, Kolkata.
13. Directorate of Cotton Development, Mumbai.
14. Directorate of Marketing and Inspection, Visakhapatnam.
15. Directorate of Marketing and Inspection, Lucknow.
16. Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad.
17. Directorate of Marketing and Inspection, Tripura.
18. Directorate of Marketing and Inspection, Kochi.
19. Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road.
20. Directorate of Marketing and Inspection, Surat.
21. Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi.
22. Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.
23. Directorate of Pulses Development, Bhopal.
24. Central Herd Registration Scheme, Ongole.
25. Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore.
26. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
27. Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad.
28. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute Garladinne, (Anantapur).
29. Office of the Registrar of Co-operative Societies, Panaji, Goa.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

30. Department of Chemicals and Petro-Chemicals, New Delhi.
31. Department of Fertilizers, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

32. Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
33. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.

Ministry of Commerce and Industry

- 34 Department of Supply, New Delhi.
- 35 Department of Commerce, New Delhi.
- 36 Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
- 37 Tariff Commission, New Delhi.
- 38 Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai.
- 39 Office of the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Kochi.

Ministry of Coal

- 40 Ministry of Coal, New Delhi.

Ministry of Communications

- 41 Department of Posts, New Delhi.
- 42 Postal Training College, Madurai.
- 43 Postal Training College, Vadodara.
- 44 Office of the Post Master General, (Pune Region), Pune.
- 45 Office of the Post Master General, (N.K. Region), Dharwad.
- 46 Office of the Post Master General, (Goa Region), Panaji.
- 47 Office of the Post Master General, (Western Region T.N.) Coimbatore.
- 48 Office of the Post Master General, (Southern Region, T.N.) Madurai.
- 49 Office of the Post Master General, (Orissa Circle), Bhubaneswar.
- 50 Chief Post Master General, (Kerala Circle), Thiruvananthapuram.
- 51 Chief Post Master General, (Jharkhand), Ranchi.

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

- 52 Department of Food and Public Distribution, New Delhi.
- 53 Forward Markets Commission, Mumbai.

Ministry of Defence

- 54 Ministry of Defence, New Delhi.
- 55 Directorate of Education, (AIR) New Delhi.
- 56 Directorate General of Medical Services (Air), New Delhi.
- 57 Historical Cell (Air HQ), New Delhi.
- 58 Directorate of management Services, New Delhi.
- 59 Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
- 60 Air Head Quarters, New Delhi.
- 61 Coast Guard Headquarters, New Delhi.
- 62 Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment and Forests

- 63 Ministry of Environment and Forests, New Delhi.
- 64 North Eastern Regional Office, Shillong.

- 65 Regional Office, (Central Region), Lucknow.
- 66 North Regional Office, Chandigarh.

Ministry of External Affairs

- 67 Ministry of External Affairs, New Delhi.

Ministry of Finance

- 68 Department of Economic Affairs, New Delhi.
- 69 Department of Revenue, New Delhi.
- 70 Department of Expenditure, New Delhi.
- 71 Office of the Commissioner of Central Excise Delhi-I, New Delhi.
- 72 Authority for Advance Rulings (Department of Revenue), New Delhi.
- 73 Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) act 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, New Delhi.
- 74 Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) act 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, Mumbai.
- 75 Office of the Commissioner of Income Tax, Mumbai XI, Mumbai.
- 76 Office of the Deputy Commissioner of Income Tax (HQ), Mumbai.
- 77 Office of the Commissioner of Income Tax, (Appeals) Ahmedabad.
- 78 Office of the Commissioner of Income Tax, Gujarat II, Ahmedabad.
- 79 Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Pune.
- 80 Office of the Commissioner of Central Excise, Delhi I, New Delhi.
- 81 Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Mumbai.
- 82 Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Nagpur.
- 83 Central Excise and Customs Commissionerate, Vadodara.
- 84 Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Hyderabad I Commissionerate, Hyderabad.
- 85 Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Raipur.
- 86 Central Excise Commissionerate, Chandigarh I, Chandigarh.
- 87 Office of the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad I, Ahmedabad.
- 88 Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.
- 89 Office of the Commissioner of Central Excise, Gulbarga.
- 90 Office of the Commissioner of Central Excise, Bellary.
- 91 Office of the Commissioner of Central Excise, Hubli.
- 92 Office of the Commissioner of Central Excise, Dharwar.
- 93 Office of the Commissioner of Central Excise, Aurangabad.
- 94 Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

Ministry of Health and Family Welfare

- 95 Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
- 96 Air Port Health Organisation, New Delhi.
- 97 B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.
- 98 Government Medical Store Depot, Chennai.

- 99 Port Health Organisation, Kolkata.
- 100 Central Food Laboratory, Kolkata.
- 101 Office of the Additional Director, CGHS, Mumbai.
- 102 Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Bangalore.
- 103 National Tuberculosis Institute, Bangalore.
- 104 Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Shimla.
- 105 Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Bhopal.
- 106 Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Hyderabad.
- 107 Office of the Joint Director, CGHS, Jabalpur.
- 108 Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur.
- 109 Port Health Organisation, Mandapam Camp.
- 110 Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad.

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

- 111 Department of Heavy Industry, New Delhi.

Ministry of Home Affairs

- 112 Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force , New Delhi.
- 113 Headquarters, National Security Guard, New Delhi.
- 114 National Fire Service College, Nagpur.

Ministry of Human Resource Development

- 115 Department of Women and Child Development, New Delhi.
- 116 Central Reference Library, Kolkata.
- 117 Central Institute of Indian Languages, Mysore.

Ministry of Information Technology

- 118 Electronics Test and Development Centre, Jaipur.
- 119 Electronics Test and Development Centre, Mohali.

Ministry of Labour

- 120 Ministry of Labour, New Delhi
- 121 Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai.
- 122 Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai.
- 123 Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ahmedabad.
- 124 Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur.
- 125 Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Kolkata.
- 126 Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Surat.
- 127 Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jowai.
- 128 Office of the Welfare Commissioner, Allahabad.
- 129 Office of the Deputy Chief Labour Commissioner(Central), Bangalore.
- 130 Office of the Regional Labour Commissioner(Central), Hyderabad.
- 131 Office of the Assistant Labour Commissioner(Central), Bellary.

- 132 Office of the Assistant Labour Commissioner(Central), Faridabad.
- 133 Office of the Assistant Labour Commissioner, Ranchi.
- 134 Advanced Training Institute, Mumbai.
- 135 Directorate General Mines Safety, Dhanbad.
- 136 Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

- 137 Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore.
- 138 Office of the Registrar of Companies, Kerala, Kochi.
- 139 Office of the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur.
- 140 Office of the Registrar of Companies, Goa, Daman & Diu, Panaji, Goa.
- 141 Office of the Official Liquidator, High Court Allahabad, Allahabad.

Ministry of Mines

- 142 Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- 143 Regional Office, Bhubaneswar.

Ministry of Parliamentary Affairs

- 144 Ministry of Parliamentary Affairs. New Delhi.

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

- 145 Department of Personnel and Training, New Delhi.
- 146 Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.
- 147 Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi.
- 148 Staff Selection Commission, Kolkata.
- 149 Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

- 150 Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

Ministry of Power

- 151 Minister of Power, New Delhi.

Ministry of Railways

- 152 Ministry of Railways, New Delhi.

Ministry of Road Transport and Highways,
Ministry of Shipping

- 153 Ministry of Road Transport and Highways.
 Ministry of Shipping, New Delhi.

Ministry of Science and Technology

- 154 National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Kolkata.
 155 Surveyor General's Office, Dehra Dun.

Ministry of Statistics and Programme Implementation

- 156 Planning Commission, New Delhi.
 157 National sample Survey Organisation, New Delhi.
 158 Computer Centre, New Delhi.
 159 Central Statistical Organisation, Kolkata .

Ministry of Steel

- 160 Ministry of Steel, New Delhi.
 161 Office of the Development Commissioner for Iron and Steel,
 Kolkata.

Ministry of Textiles

- 162 Ministry of Textiles, New Delhi.
 163 Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

- 164 Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New
 Delhi .
 165 Town and Country Planning Organisation, New Delhi.

Ministry of Water Resources

- 166 Ministry of Water Resources, New Delhi

Ministry of Youth Affairs and Sports

- 167 Ministry of Youth Affairs & Sports, New Delhi.

Department of Atomic Energy

- 168 Department of Atomic Energy, Mumbai.
 169 Atomic Energy Regulatory Board, Mumbai.
 170 General Services Organisation, Mumbai.
 171 Board of Radiation and Isotope Technology, Mumbai.
 172 Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.
 173 Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research,
 Hyderabad.
 174 Variable Energy Cyclotron Centre, Kolkata.

- 175 Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam.
176 Centre for advanced Technology, Indore

Department of Space

- 177 Department of Space, Bangalore.
178 Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram.

179 **President's Secretariat, New Delhi.**

180 **Prime Minister's Office, New Delhi.**

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ANNEXURE II**LIST OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS WHO HAVE FURNISHED
INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993****Ministry of Agriculture and Co-operation**

- 1 North Eastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Sonitpur (Assam).

Ministry of Chemicals and Fertilizers

- 2 Madras Fertilizers Ltd., Chennai.
- 3 Indian Petro Chemicals Corporation Ltd., Vadodara.

Ministry of Finance

- 4 National Institute of Financial Management, Faridabad.

Ministry of Information and Broadcasting

- 5 Directorate General, All India Radio, New Delhi.
- 6 Central Monitoring Service, New Delhi.
- 7 Prasar Bharti (News Service Division), New Delhi.
- 8 Prasar Bharti, Commercial Broadcasting Service, Chennai.
- 9 Prasar Bharti, Balangir.
- 10 Prasar Bharti, Shimla.
- 11 Prasar Bharti, Thiruvananthapuram.
- 12 Prasar Bharti, Jaipur.
- 13 Prasar Bharti, Gwalior.
- 14 Prasar Bharti, Guna.
- 15 Prasar Bharti, Karaikal.
- 16 Prasar Bharti, Gulbarga.
- 17 Prasar Bharti, Jamshedpur.
- 18 Prasar Bharti, Goa.
- 19 Prasar Bharti, Bhagalpur.
- 20 Prasar Bharti, Imphal.
- 21 Prasar Bharti, Pondicherry.
- 22 Prasar Bharti, Tuticorin.
- 23 Prasar Bharti, Chaibasa.
- 24 Prasar Bharti, Commercial Broadcasting Service, Patna.
- 25 Bharat Sanchar Nigam Ltd, Calicut I.

Ministry of Information Technology

- 26 Software Technology Park, New Delhi.
- 27 Electronics Regional Test Laboratory, Mumbai.
- 28 Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.

- 29 Centre for Development of Advanced Computing, Pune.

Ministry of Labour

- 30 Central Board for Workers Education, Nagpur.

Ministry of Mines

- 31 Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.

Ministry of Railways

- 32 Metropolitan Transport Project (Railways), Mumbai.
33 Diesel Component Works, Patiala.

Ministry of Science and Technology

- 34 Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
35 International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.
36 Centre for DNA Fingerprints and Diagnostics, Hyderabad.
37 Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.

Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping

- 38 Chennai Port Trust, Chennai.
39 Cargo Handling Division (Chennai Port Trust) Chennai.
40 Mumbai Port Trust, Mumbai.
41 Mazagoan Dock Ltd., Mumbai.
42 Mormugao Port Trust, Goa.

Ministry of Water Resources

- 43 Brahmaputra Board, Guwahati.

Department of Atomic Energy

- 44 The Institute of Mathematical Sciences, Chennai.
45 Indian Rare Earths Ltd., Mumbai.
46 Uranium Co-operation of India, Mumbai.
47 Saha Institute of Nuclear Physics, Mumbai.
48 Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
49 Tata Memorial Centre, Mumbai.
50 Harish Chandra Research Institute, Allahabad.

Department of Space

- 51 National Remote Sensing Agency, Hyderabad.

ANNEXURE III

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN RECORDING, REVIEWING AND INDEXING OF SEMI-CURRENT RECORDS.

(A) Government Organisations

S.No.	Name of Organisation	No. of half yearly returns received
1	2	3

Ministry of Agriculture

1.	Forward Markets Commission, Mumbai.	2
2.	Directorate of Marketing and Inspection, Sub-office, Bondinayakanur.	1
3	Directorate of Marketing and Inspection, Sub-office Nasik Road.	2
4	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.	1
5.	Directorate of Cashewnut and Cocoa Development, Kochi	1

Ministry of Commerce and Industry

6	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	2
7	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Guwahati.	2
8	Office of the Deputy Director General of Foreign Trade, Shillong.	1

Ministry of Chemicals and Fertilizer

9.	Department of Chemicals and Fertilizers, New Delhi.	1
----	---	---

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

10	Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.	1
11	Central Food Laboratory, Kolkata.	1
12	Save Grain Campaign, Regional Office, Ghaziabad.	1
13	Save Grain Campaign, Regional Office, Hyderabad.	2
14	Save Grain Campaign, Regional Office, Jaipur.	1
15	Save Grain Campaign, Regional Office, Ahmedabad.	1

Ministry of Communications

16	Department of Telecommunications, New Delhi.	1
----	--	---

1	2	3
---	---	---

Ministry of Tourism & Culture

17	Department of Culture, New Delhi.	1
----	-----------------------------------	---

Ministry of Defence

18	Ministry of Defence, New Delhi.	2
19	Office of the Director General, Armed Forces Medical Services, New Delhi.	1
20	Proof and Experimental Establishment, Chandipur (District Balasore).	1
21	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.	2
22	Regional Centre for Military Airworthiness, HAL, Korwa, Sultanpur District (U.P.).	1

Ministry of Environment and Forests

23	Regional Office (Northern Region), Chandigarh.	1
24	Forest Survey of India, Dehradun.	1
25	Regional Office (Central Region) Lucknow.	2
26	Regional Office (NEZ) Shillong.	2

Ministry of External Affairs

27	Ministry of External Affairs, New Delhi.	1
----	--	---

Ministry of Finance

28	Department of Economic Affairs, New Delhi.	1
29	Office of the Competent Authority and Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, New Delhi.	1
30	Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai.	1
31	Office of the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad.	1
32	Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.	1
33	Office of the Commissioner of Central Excise, Madurai.	1
34	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur.	2
35	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur.	1

1	2	3
---	---	---

Ministry of Health and Family Welfare

36	Airport Health Organisation, New Delhi.	1
37	Airport Health Organisation, Mumbai.	1
38	Office of the Assistant Drugs Controller(India), Mumbai.	1
39	Central Government Health Scheme, Mumbai.	2
40	Central Government Health Scheme, Jabalpur.	2
41	B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.	2
42	Regional Office, Shimla	1

Ministry of Home Affairs

43	Ministry of Home Affairs including Department of Justice, Department of J&K Affairs and Department of Official Language New Delhi.	2
44	Director General, Border Security Force, New Delhi.	1
45	Zonal Councils Secretariat, New Delhi.	1
46	Head Quarters, National Security Guard, New Delhi.	1
47	National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi.	2
48	Sardar Vallabhbhai Patel, National Police Academy, Hyderabad.	1

Ministry of Human Resource Development

49	Department of Secondary Education and Higher Education, New Delhi.	1
50	Department of Elementary Education and Literacy, New Delhi.	1
51	Central Institute of Indian Languages, Mysore.	1
52	Indian Institute of Higher Studies, Shimla.	1

Ministry of Information and Broadcasting

53	Films Division, Mumbai.	1
54	National Film Archives, Mumbai.	1
55	Central Board of Film Certification, Mumbai.	1

Ministry of Labour

56	Office of the Regional Labour Commissioner (Central) Kolkata.	1
57	Labour Welfare Organisation, Allahabad.	1
58	Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.	1
59	Office of the Regional Labour Commissioner (C), Chandigarh.	2
60	Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Hissar.	2
61	Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Jaipur.	2
62	Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Jowai.	1

1	2	3
---	---	---

63	Coaching-cum-guidance Centre for SC/ST, Nagpur.	1
64	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur.	2
65	Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile Tura (Meghalaya).	1
66	Office of the Labour Enforcement Officer (Central) Tiruchirapalli	2

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

67	Official Language Wing, New Delhi.	1
68	Branch Secretariat, Bangalore.	1
69	Office of the Registrar of Companies, U.P, Kanpur	1
70	Office of the Registrar of Companies, Kerala, Ernakulam, Kochi.	1
71	Office of the Registrar of Companies, Assam, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram, Shillong.	2

Ministry of Mines

72	Ministry of Mines, New Delhi.	1
----	-------------------------------	---

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

73	Regional Office, Bhubaneswar.	1
----	-------------------------------	---

Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi

74	Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.	2
----	---	---

Ministry of Railways

75	Ministry of Railways, New Delhi.	2
----	----------------------------------	---

Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of shipping

76	Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping, New Delhi.	2
77	Department of Lighthouses and Lightships, Noida.	2
78	Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour works, Port Blair.	2

1	2	3
---	---	---

Ministry of Science and Technology

79	Department of Scientific and Industrial Research, New Delhi.	1
----	--	---

Ministry of Statistics and Programme Implementation

80	National Sample Survey Organisation, New Delhi.	2
81	Planning Commission, New Delhi	1
82	Central Statistical Organisation, Kolkata.	2

Ministry of Steel

83	Office of the Development Commissioner for Iron and Steel, Kolkata	2
----	---	---

Ministry of Textiles

84	Ministry of Textiles, New Delhi.	1
85	Office of the Jute Commissioner, Kolkata.	1

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

86	Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi.	1
----	--	---

Ministry of Water Resources

87	Ministry of Water Resources, New Delhi.	1
88	Central Soil and Materials Research Station, New Delhi.	1
89	Ganga Flood Control Commission, Patna.	1

Department of Atomic Energy

90	Department of Atomic Energy, Mumbai.	1
91	Centre for Advanced Technology, Indore.	1

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF YEARLY RETURNS ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN RECORDING, REVIEWING AND INDEXING OF SEMI-URRENT RECORDS.

(B) Public Sector Undertakings

S.No.	Name of Organisation	No. of half yearly returns
1	2	3

Ministry of Agriculture

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Cotton Corporation of India, Mumbai. | 1 |
|----|--------------------------------------|---|

Ministry of Chemicals and Fertilizers

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | Bengal Chemicals and Pharmaceutical Ltd, Kolkata. | 1 |
|----|---|---|

Ministry of Civil Aviation

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 3. | Bharat Sanchar Nigam Ltd., Ambala . | 1 |
|----|-------------------------------------|---|

Ministry of Commerce

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 4 | Spices Board, Kochi. | 1 |
|---|----------------------|---|

Ministry of Environment and Forests

- | | | |
|---|---|---|
| 5 | Institute of Wood Sciences and Technology, Bangalore. | 1 |
|---|---|---|

Ministry of Health and Family Welfare

- | | | |
|---|--|---|
| 6 | National Institute of Homoeopathy, Kolkata. | 1 |
| 7 | Central Institute of Psychiatry, Ranchi (Jharkhand). | 1 |

Ministry of Human Resource Development

- | | | |
|---|--|---|
| 8 | Regional Engineering College, Kurukshetra. | 1 |
|---|--|---|

Ministry of Information Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 9. | Society for Applies Microwave Electronics, Engineering and Research, Mumbai. | 1 |
| 10. | Centre for Materials for Electronics Technology, Pune. | 1 |

1	2	3
11.	Centre for Materials for Electronics Technology, Tissur Kerala.	1
12	Centre for Electronics Design and Technology of India, Gorakhpur.	1
13.	Central Power Research Institute, Bangalore	1
14	Software Technology Parks of India, Bangalore.	1

Ministry of Labour

15	Dte. General Factory Advice, Mumbai.	1
16	Central Board for Workers Education, Nagpur.	1

Ministry of Petroleum and Natural Gas

17	Engineers India Ltd, New Delhi.	1
----	---------------------------------	---

Ministry of Science and Technology

18	Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.	1
19	Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	1
20	Indian Academy of Sciences, Bangalore.	2
21	Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	1

Ministry of Shipping

22	Mumbai Port Trust, Mumbai.	1
----	----------------------------	---

Ministry of Statistics and Programme Implementation

23	Computer Centre, New Delhi.	1
----	-----------------------------	---

Ministry of Steel and Mines

24	Mineral Exploration Corporation Ltd, Nagpur.	1
----	--	---

Ministry of Tourism and Culture

25	Government of India Regional Tourist Office, Dubai.	1
----	---	---

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

26	Delhi Urban Arts Commission, New Delhi.	1
----	---	---

Ministry of Water Resources

27	Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.	1
----	---	---

ANNEXURE IV**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS.****(A) Government Organisations**

S.No.	Name of Organisation	No. of half yearly returns received
1	2	3
<u>Ministry of Agriculture and Co-operation</u>		
1.	Department of Animal Husbandry and Diaring, New Delhi.	1
2.	Directorate of Extension, New Delhi..	1
3	Fishery Survey of India, Chennai.	1
4	Random Sample Poultry Performance Testing Centre, Bangalore.	1
5	Central Poultry Training Institute, Bangalore.	1
6	Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Kochi.	1
7	Directorate of Marketing and Inspection, Kochi.	1
8	Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati.	1
9	Directorate of Arecanut and Spices Development, Calicut.	1
10	Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (Dist.Sambalpur).	1
11	Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar.	1
12	Directorate of Pulses Development, Bhopal.	1
13	Integrated Fisheries Project Vizag Unit, Visakhapatnam.	1
14	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Garladinne (Anantapur District).	1
15	Central Agmark Laboratory, Nagpur.	1

Ministry of Civil Aviation

16	Commission of Railway Safety, Lucknow.	1
----	--	---

Ministry of Commerce and Industry

17	Department of Supply, New Delhi.	
18	Director General, Supply and Disposal, New Delhi.	
19	Chief Controller of Accounts , Department of Supply, New Delhi.	2

1	2	3
20	Department of Industrial Policy and Promotion, New Delhi.	1
21	Falta Export Processing Zone, Kolkata.	1
22	Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai.	1
23	Office of the Joint Director General Foreign Trade, Guwahati.	1

Ministry of Communications

24	Post Master General (BD & FM), Mumbai.	1
----	--	---

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

25	Department of Food and Public Distribution, New Delhi.	1
26	Forward Markets Commission, Mumbai.	1
26A	Central Food Laboratory, Kolkata.	2

Ministry of Defence

27	Ministry of Defence, New Delhi.	1
28	Ministry of Defence, (Coord), New Delhi.	2

Ministry of Environment and Forests

29	Regional Office (Central Region), Lucknow.	1
30	Northern Regional Office, Chandigarh.	2
31	Forest Survey of India, Dehra Dun.	1
32	North Eastern Regional Office, Shillong.	1

Ministry of External Affairs

33	Regional Passport Office, New Delhi.	1
----	--------------------------------------	---

Ministry of Finance

34	Department of Economic Affairs, New Delhi.	1
35	Central Pension Accounting Authority, New Delhi.	1
36	Office of the Deputy Commissioner of Income Tax, Headquarter, Mumbai.	1
37	Commissioner of Income Tax, Kerala, Kochi.	1
38	Commissioner of Income Tax-I, Jodhpur.	2
39	Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur.	1
40	Commissioner of Central Excise and Customs, Panaji, Goa.	1
41	Commissioner of Central Excise and Customs, Belgaum.	1
42	Commissioner of Central Excise and Customs, Chandigarh.	1
43	Commissioner of Central Excise and Customs, Ahmedabad-I.	1
44	Commissioner of Central Excise and Customs, Kochi.	1

1	2	3
---	---	---

Ministry of Health and Family Welfare

45	Lady Reading Health School, New Delhi.	1
46	Airport Health Organisation Delhi Airport, New Delhi.	1
47	Airport Health Organisation, Kolkata.	1
48	Airport Health Organisation, Tiruchirapalli.	1
49	Airport and Border Quarantine Health Organisation Attari, Amritsar.	1
50	Government Medical Store Depot, Chennai.	1
51	Government Medical Store Depot, Karnal.	1
52	B.C.G. Vaccine Laboratory, Chennai.	2
53	Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai.	1
54	Office of the Assistant Drugs Controller India, Mumbai.	1
55	Regional Office, Bhopal.	1
56	Regional Office, Pune.	1
57	Regional Office, Hyderabad.	1
58	Port Health Organisation, Visakhapatnam.	2
59	Central Government Health Scheme, Jabalpur.	1
60	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur.	1
61	Model Vital and Health Statistics Unit, Nagpur.	1
62	Central Drugs Standard Control Organisation, Lucknow.	1
63	Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad.	1
64	Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad.	1

Ministry of Home Affairs

65	Zonal Councils Secretariat, New Delhi.	1
66	Directorate General Border Security Force, New Delhi.	1
67	Directorate of Co-ordination (Police Wireless), New Delhi.	1
68	Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.	1

Ministry of Human Resource Development

69	Department of Women and Child Development, New Delhi.	1
70	Shramik Vidyapeeth, New Delhi.	1
71	Central Reference Library, Kolkata.	1

Ministry of Information and Broadcasting

72	Central Board of Film Certification, Mumbai.	1
73	National Film Archives of India, Pune.	1

1	2	3
---	---	---

Ministry of Information Technology

74	Electronics Test and Development Centre, Mohali.	1
----	--	---

Ministry of Labour

75	Ministry of Labour, New Delhi	1
76	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai.	1
77	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jabalpur.	1
78	Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Bangalore.	1
79	Welfare Commissioner, Labour Welfare Organisation, Bangalore.	1
80	Welfare and Cess Commissioner, Jabalpur.	1
81	Labour Welfare Commissioner, Allahabad.	1
82	Regional Labour Commissioner, Ahmedabad.	1
83	Central Board for Workers Education, Nagpur.	1
84	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar.	1
85	Branch Secretariat (Department of Legal Affairs), Bangalore.	1

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

86	Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi.	1
----	---	---

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

87	Department of Administrative Reforms and Public Grievances, New Delhi.	1
88	Staff Selection Commission, Guwahati.	1
89	Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.	1

Ministry of Railways

90	Ministry of Railways, New Delhi.	1
----	----------------------------------	---

Ministry of Road Transport and Highways

91	Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi.	1
----	---	---

Ministry of Science and Technology

92	Department of Science and Technology, New Delhi.	1
----	--	---

Ministry of Steel

93.	Ministry of Steel, New Delhi.	1
-----	-------------------------------	---

1	2	3
---	---	---

Ministry of Shipping

94	Ministry of Shipping, New Delhi.	1
95	Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.	1

Ministry of Statistics and Programme Implementation

96	Computer Centre, New Delhi.	1
97	National Sample Survey Organisation, New Delhi .	1

Ministry of Steel

98	Ministry of Steel, New Delhi.	1
99	Regional Development Commissioner for Iron and Steel, New Delhi.	1

Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation

100	Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, New Delhi.	1
101	Government of India Stationary Office, Kolkata.	1

Planning Commission

102	Planning Commission, New Delhi.	2
-----	---------------------------------	---

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY
RETURNS ON DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS**

(B) Public Sector Undertakings

S.No.	Name of Organisation	No. of half yearly returns received
1	2	3

Ministry of Chemicals and Fertilizers

1.	Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. Kolkata.	1
----	--	---

Ministry of Commerce

2	Central Cottage Industries Corporation of India Ltd, New Delhi.	1
3	Falta Export Processing zone, Kolkata.	2
4	Bharat Earth Movers Ltd, Bangalore.	1
5	Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd, Udhagamandalam.	1

Ministry of Environment and Forests

6	Institute of Wood Science and Technology, Bangalore.	1
---	--	---

Ministry of Finance

7	National Institute of Financial Management, Faridabad.	1
---	--	---

Ministry of Health and Family Welfare

8	National Institute of Homoeopathy, Kolkata.	1
---	---	---

Ministry of Human Resource Development

9	University of Delhi, New Delhi.	1
10	Indian Institute of Advanced Study, Shimla.	1

Ministry of Information and Broadcasting

11	Dte. General, All India Radio, New Delhi.	1
----	---	---

1	2	3
---	---	---

Ministry of Information and Technology

12	Software Technology Parks of India, New Delhi.	1
13	Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Mumbai.	1
14	Central Power Research Institute, Bangalore.	1
15	Centre for Electronics Design and Technology of India, Gorakhpur.	1
16	Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.	1

Ministry of Labour

17	Directorate General Factory Advice Service and Labour Institute, Mumbai.	1
----	--	---

Ministry of Petroleum and Natural Gas

18	Engineers India Ltd., New Delhi.	
----	----------------------------------	--

Ministry of Science and Technology

19	Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.	1
20	Indian Academy of Science, Bangalore.	1
21	Raman Research Institute, Bangalore.	1
22	International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.	1

Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping

23	Mumbai Port Trust, Mumbai.	
24	Dredging Corporation of India Ltd, Visakhapatnam.	1
25	Mormugao Port Trust, Goa.	1

Ministry of Steel and Mines

26	Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur.	1
----	---	---

Ministry of Textiles

27	National Jute Manufacturers Corporation Ltd., Kolkata.	1
----	--	---

Ministry of Tourism & Culture

28	Government of India Regional Tourist office, Dubai.	1
----	---	---

1	2	3
---	---	---

Ministry of Urban Affairs and Poverty Alleviation

- | | | |
|----|---|---|
| 29 | National Cooperative Housing Federation of India, New Delhi. | 1 |
| 30 | Central Government Employees Welfare Housing Organisation, New Delhi. | 1 |

Ministry of Water Resources

- | | | |
|----|--|---|
| 31 | Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodra. | 1 |
| 32 | National Institute of Hydrology, Roorkee. | 1 |
| 33 | Bhakra Beas Management Board, Chandigarh. | 1 |

Department of Atomic Energy

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 34 | Indian Rare Earths Ltd., Mumbai. | 1 |
|----|----------------------------------|---|

ANNEXURE V**NAME OF THE DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION COURSE ON RECORDS MANAGEMENT DURING 2000**

S. No.	Name of the Departmental Records Officers	Name of the Sponsoring Authority
1	2	3
1	Shri Har Gopal	Office of the Controller of Stationery, Kolkata
2	Shri Ishwar Chand	National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi
3	Shri Mohinder Kumar	Department of Expenditure, New Delhi
4	Shri Nagesh Mahajan	National Water Development Agency, New Delhi
5	Shri Sagar Mehra	Department of Chemicals and Petro-Chemicals, New Delhi
6	Shri Ram Kumar Bhorla	Department of Posts, New Delhi
7	Shri R.L Khanna	Department of Posts, New Delhi
8	Shri R.L Sehgal	HUDCO, New Delhi
9	Shri Noel Kindo	N.B.C.C., New Delhi
10	Shri Vasant Ramchandra Harale	Electronic Test and Development Centre, Saligao, Goa
11	Shri N.Santha	Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai
12	Shri Sivaramakrishnan	Office of the Central Excise I Div. Chennai II Commissionerate, Chennai
13	Dr.Teekam Das Khatri	Regional Office for Health and Family Welfare, Jaipur

14	Smt.P.Santha Kumari	Central Excise Hosur I Division, Hosur
15	Shri M.J.George	All India (Engg) Mumbai
16	Shri K.P.Kuttappan	Central Excise Pune Commissionerate, Pune
17	Shri A.N. Kawle	Central Excise, Nagpur
18	Shri Varinder Gupta	Department of Fertilizers, New Delhi
19	Shri D.Bhaskar Ra	Commissioner of Central Excise IV Division, Bangalore
20	Shri J.Muniswamy	Commissioner of Central Excise, Bangalore
21	Shri S.K.Raghunatha	Central Power Research Institute, Bangalore.
22	Shri Ajit Singh Mendiratta	Department of Secondary & Higher Education (DHRD), New Delhi
23	Shri M.S.Ayer	Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur
24	Shri D.R. Babaria	Air India, Mumbai
25	Shri R.B. Desai	Air India, Mumbai
26	Shri R.A.Bhave	Air India, Mumbai
27	Shri R.M. Pawar	Air India, Mumbai
28	Shri Ajay N.Singh	Indian School of Mines, Dhanbad
29	Shri Vijay Kumar Srivastava	DESIDOC, Delhi
30	Shri S., Elango	Indian Space Research Organisation, Bangalore
31	Shri M.S.Sali	Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Aurangabad

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 32 | Shri Chatterjee | Regional Directorate of Apprenticeship and Training, Hyderabad |
| 33 | Shri S.Sasi Kumar | Shree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram |
| 34 | Shri Satish Kumar Vashist | Office of the Regional Labour Commissioner, New Delhi |
| 35 | Sh.Ch. Sampat Kumar | Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam |
| 36 | Shri B.D.Joshi | DESIDOC, Delhi |
| 37 | Shri B.T.Rajanna | Wheel and Axle Plant, Bangalore |
| 38 | Shri Raghavendra Katti | Wheel and Axle Plant, Bangalore |
| 39 | Shri Jwala Parashad | Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar |
| 40 | Lt.Manikandan V. | Bengal Engineer Group Records (BEG), Roorkee (U.P) |
| 41 | Major R.A.Yadav, DAAG | Army Headquarters, New Delhi |
| 42 | Shri P.L.Sasidharan Nair | Indian Institute of Forest Management, Bhopal |
| 43 | Shri M.N.Patra | Commissioner, Central Excise and Customs, Bhubaneswar I Commissionerate, Bhubaneswar |
| 44 | Lt.Kamal Kishore | RAJRIF, Delhi Cantt-10 |
| 45 | Shri Y.P. Oberoi | Rural Health Training Centre, Najafgarh, New Delhi |
| 46 | Shri Pradip Bandhopadhyaya | Indian Railway Institute of Electrical Engineering (IRIEE), Nashik Road |
| 47 | Shri Z. Badya Naik | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Guntur |

48	Shri V.B.Padhya	Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur
49	Shri A.Pondurai	Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chennai
50	Shri T.J Rajeshwari	Wheel and Axle Plant, Bangalore
51	Shri A.K.Saha	Department of Statistics, Ministry of Statistics and Programme Implementation C.S.O (15 Wing), Kolkata
52	Shri Rash Bihari Saran	Indian School of Mines, Dhanbad
53	Shri Lakshman Swarup	Directorate of Management Services, (Defence Research and Development Organisation) New Delhi
54	Shri V.Venkatesha	Wheel and Axle Plant, Bangalore
55	Shri B.P. Palaiah	Wheel and Axle Plant, Bangalore
56	Shri N.V.Chalapathy	Wheel and Axle Plant, Bangalore
57	Shri Sushil Kumar	DGE&T, New Delhi
58	Shri Gopal Ram	Indian School of Mines, Dhanbad
59	Shri A.S Drall	Ministry of Labour, New Delhi
60	Shri H.B. Joshi	Tropical Forest Research Institute, Jabalpur
61	Shri M.Chandran	Chennai Port Trust, Chennai
62	Dr.E.P. Philemon	North-Eastern Hill University, Shillong
63	Shri J.R. Nagpal	Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhawan, New Delhi

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 64 | Shri. Gayadhar Kisan | Office of the Chief Postmaster General, Orissa Circle, Bhubaneswar |
| 65 | Shri K.K.Sharma | Central Reference Library, Belvedere, Kolkata |
| 66 | Shri V.C.Chapekar | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur |
| 67 | Mrs. Anjali Mohan | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur |
| 68 | Mrs. Asha Chandrakant Bhope | Office of the Commissioner of Central Excise, Nagpur |
| 69 | Ms.P.A.Mini | Office of the National Tuberculosis Institute, Bangalore |
| 70 | Shri Om Prakash | Indian School of Mines, Dhanbad |
| 71 | Shri Vinesh Pachnanda | Labour Bureau, Chandigarh |
| 72 | Shri Phool Chand | Directorate of Forest Education, Dehradun |
| 73 | Smt.N.Rajamma | Office of the Central Excise and Customs, Trichur |
| 74 | Smt.P.Sundarambal | Central Excise and Customs, HQ Office, Calicut |
| 75 | Shri P.C.Rajalakshmi | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Calicut |
| 76 | Smt.P.S.Santhamma | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Calicut |
| 77 | Smt.S.Thulasi | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Kozhikode |
| 78 | Shri K.T.Kanakarajan | Central Excise Division, Cannanore |
| 79 | Shri C.Arumughan | Central Excise Div.Palakkad |

80	Shri C.V.Prithviraj	Office of the Assistant Commissioner, Special Customs Division, Kozhikode
81	Smt.P.V.Sujatha	Office of the Central Excise and Customs, Cochin
82	Shri M.N. Govindankutty	Office of the Deputy Commissioner of Central Excise, Ernakulam II Division, Cochin
83	Smt. Latha Sarath	Central Excise Headquarters Office, Cochin
84	Smt. T.V.Annamma	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Kottayam Division, Kottayam.
85	Smt.Ch.B.Bhramaramba	Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Guntur
86	Smt.P.Eswaramma	Office of the Commissioner of Customs and Central Excise
87	Smt.B.E.Vijayamma	Office of the Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Guntur
88	Smt.P.Nirmala Kumar	Office of the Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Nellore
89	Shri A.Subba Rao	Office of the Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Tirupati
90	Sh. M.Sriramachandra Murthy	Office of the Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Eluru
91	Shri Davidraj	Office of the Deputy Commissioner of Customs and Central Excise, Vijayawada
92	Smt.T.Kalliani Kutty	Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Ernakulam I Division, Cochin

93 Smt.T.P.Shyamala Devi

Office of the Deputy
Commissioner of Central
Excise, Muvattupuzha

94 Shri K.Nandakumar

Office of the Directorate of
Arecanut and Spices
Development, Calicut

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA